BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO. 66 OF 2025
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 492/2022

IN THE MATTER OF:

Green Wood City Villa Jan Welfare Society Through Its President Ravindra Singh **....APPLICANT**

Versus

Godwin Construction Company Pvt Ltd Through Its Director & Ors. **....RESPONDENT(s)**

INDEX

S.NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	ADDITIONAL RESPONSE ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, MEERUT IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 27.05.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI	
	ANNEXURES	
2.	COPY OF THE LETTER DT. 06.03.2026 AND DETAILS OF THE PROPERTIES HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-1	
3.	COPIES OF THE RECOVERY CITATION HAS BEEN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-2	
4.	COPIES OF ENVIONMENT REMEDIATION PLAN ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-3	
5.	COPY OF THE ORDER DT. 25.03.2036 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-4	
6.	COPY OF THE ORDER DT. 21.05.2026 ANNEXED	

	HEREWITH AS ANNEXURE R-5	
7.	**COPY OF THE ORDER DT. 03.06.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-6**	
8.	**COPY OF THE MINUTES OF MEETING DT. 09.07.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-7**	
9.	**COPY OF THE MINUTES OF MEETING DT. 18.07.2026 ANNEXED HEREWITH AS ANNEXURE R-8**	

THROUGH COUNSEL

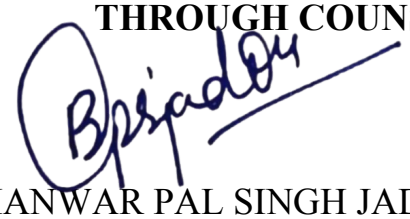

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR STATE OF U.P.
Bhanwar09jadon09@gmail.com| 9639286572

Date: 21.07.2026
Place: NOIDA

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

EXECUTION APPLICATION NO. 66 OF 2025
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 492/2022

IN THE MATTER OF:

Green Wood City Villa Jan Welfare Society Through Its President Ravindra Singh .....APPLICANT

Versus

Godwin Construction Company Pvt Ltd Through Its Director & Ors. .... RESPONDENT(S)

ADDITIONAL RESPONSE ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, MEERUT IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 27.05.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

I, Vijay Kumar Singh aged about 54 years S/o Late Shri Parmanand Singh, presently posted as District Magistrate, Meerut do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the Deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present response.

2. That I state that the contents of the response have been drafted by my counsel on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. That the Applicants had filed O.A. No. 492/2022 raising grievances regarding improper handling, management and disposal of sewage and solid waste in the project area developed by M/s Godwin Construction Company Pvt Ltd, Meerut.

II. JOINT COMMITTEE REPORT FILED BEFORE THIS HON'BLE TRIBUNAL

4. That the Hon'ble Tribunal vide order dt. 08.07.2022 considered the grievances of the Applicant and constituted a Joint Committee to verify the facts and take remedial action by following due process of law for ensuring compliance of environmental norms for urban development and compliance of Solid Waste Management Rules 2016 for solid waste management. That the relevant portion of the said order is as under:

"2. In view of the serious allegations made in the present application, it would be appropriate to have a factual and action taken report in the matter. Accordingly, we constitute a Joint Committee comprising of Vice Chairman, Meerut Development Authority, Commissioner, Municipal Corporation, Meerut, State PCB and District Magistrate, Meerut. The State PCB will be the Nodal agency for coordination and compliance.

NOTARY SURESH KUMAR Advocate Meerut Reg. No.- 50269/2026 GOVT. OF INDIA

3. The Joint Committee may meet within four weeks, undertake site visits, look into the grievances of the applicants, verify the facts and take remedial action by following due process of law for ensuring compliance of environmental norms for urban development and compliance of Solid Waste Management Rules 2016 for solid waste management. Factual and action taken report may be furnished within two months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF."

5. That in compliance of the aforesaid order, the Action Taken Report dt. 23.11.2022 was filed by the Regional Officer, Meerut.

III. ORIGINAL APPLICATION DISPOSED OF VIDE ORDER DT. 04.03.2025

6. That the abovesaid O.A. was disposed of by this Tribunal vide judgment dated 04.03.2025. The relevant operative part of the judgment is reproduced as under:-

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Reg. No. 50269/2020 GOVT. OF INDIA

"83. In view of the above, we dispose of this OA with the following directions:

(I) We direct respondent 1 to make the provisions for treatment of sewage generated in the project area by constructing STP of requisite capacity and make it operational within 06 months from the date of this judgment.

(II) .....XXXXX.....

(III) We direct respondent 1 (project proponent), as an interim measure, to pay environmental compensation of Rs.10 Crores and deposit the same within three months with respondent 3 i.e., UPPCB.

(IV) Respondent 3 is directed to collect relevant information including project cost from respondents 1 and 2 and thereafter, compute final environmental compensation in the light of the law laid down by Supreme Court in Goel Ganga Developers vs Union of India and Others (supra) and

after adjusting the amount of interim compensation as imposed as above, shall take steps for recovery of the remaining of environmental compensation from respondent 1, in accordance with law.

(IV) Amount of environmental compensation realized from respondent 1 shall be utilized for remediation and rejuvenation of the already damaged environment in the area concerned in accordance with the Environment Development Plan which shall be prepared by Joint Committee comprising UPPCB and District Magistrate, Meerut wherein District Magistrate shall be the nodal agency. This plan shall be prepared within 02 months and executed in the next 04 months.

(V) In case of failure on the part of respondent 1 in complying any part of directions given above, appropriate coercive action including criminal and other action, as are permitted in law, shall be taken by respondent 3 so as to seek compliance of directions given above.

(VI) XXXXX.....

A Compliance Report shall be submitted in respect of all the above directions by UPPCB before Registrar General of this Tribunal by 15.08.2025."

IV. EXECUTION APPLICATION FILED BY THE APPLICANT

7. That for the execution of the aforesaid order, the Applicant had filed an execution application and the Hon'ble Tribunal vide order dt. 25.09.2025 issued notices in the said application and directed the respondents to file their replies.

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Reg. No.- 50269/2026 GOVT. OF INDIA

V. REPLY AFFIDAVIT DT. 17.03.2026 FILED ON BEHALF OF THE DEPONENT

8. That further a reply affidavit dt. 17.03.2026 ***(Refer @ Pg No. 288 of the Judicial Record)*** has already been filed before this Hon'ble Tribunal on behalf of the Deponent in the said Execution Application. That in the said

response it has been stated that the Regional Officer, UPPCB, Meerut, vide letter dt. 06.03.2026 officially forwarded the identified property details and requested the initiation of recovery proceedings against the immovable assets registered under the name of M/s Godwin Construction Company Pvt. Ltd. and its Directors, Jitendra Singh and Bhupendra Singh.

A Copy of the letter dt. 06.03.2026 and the details of the properties has been annexed herewith as **ANNEXURE R-1.**

9. That further the Sub-Divisional Magistrate, Meerut, reported that the service of the demand notice (RC Form-36) failed as the directors were unavailable at their known address. To ensure legal service, a copy of the RC Form-36 dated 13.03.2026, was physically served upon their authorized on-site employee (Janendra), and a digital copy was securely transmitted to Director Jitendra Singh's personal WhatsApp number via the Tehsildar's official CUG mobile line.

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Reg. No.- 50269/2026 GOVT. OF INDIA

VI. <u>RC FORM FORM-36 (CITATION) DT. 09.03.2026 ISSUED BY TEHSILDAR AND RC DT. 06.03.2026 ISSUED BY UPPCB</u>

10. That further in compliance of the aforesaid directions passed by the Hon'ble Tribunal, a recovery citation was issued by the Tehsildar on 09.03.2026.

A Copy of the recovery citation dt. 09.03.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-2.**

VII. PREPARATION OF THE ENVIRONMENT DEVELOPMENT PLAN

11. That in compliance with the Para-85 (VI) of the order dt. 04.03.2026 passed by this Hon'ble Tribunal, an Environment Remediation Plan has been prepared.

A Copy of the Environment Remediation Plan has been annexed herewith as **ANNEXURE R-3.**

VIII. ORDER DT. 18.03.2026 PASSED BY THE HON'BLE TRIBUNAL

12. That further it is submitted that the Hon'ble Tribunal vide order dt. 18.03.2026 directed as under:

"6. Recovery of the EC from the project proponent is likely to some take time whereas the remediation of the environmental damage caused requires immediate action with expenses to be incurred for implementation thereof and delay in remediation of environmental damage caused may result in irreversible effect on environment. Therefore, we consider it appropriate to seek response from Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh as to why State of Uttar Pradesh be not directed to pay the amount of EC for remediation of environmental damaged caused immediately and to recover the same from the respondent no. 1-project proponent in due course of time."

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Reg. No.- 5069/2026 GOVT. OF INDIA

IX. ORDER DT. 25.03.2026 PASSED BY THE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

13. That it is submitted that the Project Proponent i.e. Jitendra Singh Bajwa and another, Directors of M/s. Godwin Construction Company Private Limited, Meerut approached the High Court vide Writ Petition No. 11221 of 2026 to challenge the recovery of Rs. 10 Crs. issued against them by the Tehsildar (Tehsil Sadar, District Meerut) on 09.03.2026.

14. That in the said Writ Petition No. 11221 of 2026, the High Court of Judicature at Allahabad vide order dt. 25.03.2026 directed as under:

"10. In such above view of the matter, therefore, if the petitioners who were the erstwhile Directors of the Company are aggrieved by the recovery certificate issued by the Teshildar and consequential citation, may raise their objections before the Collector of the district concerned regarding maintainability and sustainability of recovery certificate and accordingly, we dispose of this petition with direction to the petitioners that in the first instance they would approach the Collector / District Magistrate, Meerut to file their objection against the recovery certified issued in their individual names was bad. They would be filing their objections within a period of two weeks from today and the Collector/ District Magistrate, District Meerut shall be disposing of the same within a further period of six weeks after giving full opportunity of hearing not only to the petitioners but also the U.P. Pollution Control Board as well as the respondent nos. 9

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Reg. No.- 50269/2026 GOVT. OF INDIA

& 10. We further provide that until such objections are disposed of on merit, the recovery certificate dated 06.03.2013 issued against the petitioners and consequential recovery citation dated 09.03.2026 shall remain in abeyance to abide by the final outcome of the decision by the Collector."

A Copy of the order dt. 25.03.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-4.**

X. NON- APPEARANCE OF THE RESPONDENT NO.1 BEFORE THIS HON'BLE TRIBUNAL

15. That it is most respectfully submitted that **Respondent No. 1 i.e. Jitender Singh Bajwa, Director of Godwin Construction Pvt. Ltd.** has never himself appeared before this Hon'ble Tribunal nor has been represented through any counsel since the institution of the present proceedings. However, Respondent No. 1 has actively participated in the proceedings by filing detailed replies on behalf of the Company, including replies dated 03.01.2023 and 06.02.2023 ***(Kindly refer @ Pg No 191 of the Judicial Record)***. Significantly, in neither of the said replies did Respondent No. 1 disclose or even contend that he is the former director of the Company or that he was no longer responsible for its affairs.

NOTARY SURESH KUMAR Advocate Meerut Reg. No.- 50269/2026 GOVT. OF INDIA

16. That however in Writ Petition (C) No. 23066 of 2026 before the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad, that Respondent No. 1 has sought

to avoid liability by taking the plea that he had ceased to be a Director. That such a plea is clearly an afterthought and is contrary to the stand consistently taken before this Hon'ble Tribunal. That having participated in the proceedings on behalf of the Company without disclosing the same, Respondent No. 1 cannot now be permitted to raise a contrary plea to evade compliance with the orders passed by this Hon'ble Tribunal.

17. That under these circumstances, it is respectfully requested to this Hon'ble Tribunal that **Respondent No. 1 through Jitendra Singh** be directed to remain personally present before this Hon'ble Tribunal and explain the reasons for his continuous non-appearance during the proceedings as well as for suppressing the alleged facts while filing replies on behalf of the Company. The Deponent further undertakes that, if Respondent No. 1 fails to appear despite the directions of this Hon'ble Tribunal, the Deponent shall ensure his presence before this Hon'ble Tribunal by taking appropriate steps in accordance with law.

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Reg. No.- 50269/2026 GOVT. OF INDIA

XI. COMPLIANCE AFFIDAVIT DT. 18.05.2026 FILED BY THE DEPONENT BEFORE THE HON'BLE TRIBUNAL IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 18.03.2026

18. That it is submitted that a compliance affidavit dt. 18.05.2026, has already been filed by the Deponent on behalf of the Chief Secretary, State of U.P.

before this Hon'ble Tribunal stating that the immediate operational remedies are already dynamically active on-site:

- **Sewage Management:** The colony (Green Wood City Villa) is fully occupied, and its domestic sewage is actively being diverted and treated by the **Meerut Development Authority (MDA)** through its own functional, common Sewage Treatment Plant (STP).
- **Solid Waste Management:** Municipal Corporation Meerut has systematically deployed local waste management services to clear and scientifically manage the solid waste generated daily within the residential colony.

19. That vide the said affidavit the High Court proceedings were also placed on record before this Hon'ble Tribunal.

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Reg. No.- 50269/2026 GOVT. OF INDIA

20. That it is most respectfully submitted that, in light of the facts and circumstances detailed in the compliance affidavit dated 18.05.2026, filed by the Deponent on behalf of the Chief Secretary of the State of Uttar Pradesh before this Hon'ble Tribunal, **the State Government ought not to be saddled with the liability or directed to pay the Environmental Compensation for remediation**. The responsibility for executing direct **on-site environmental mitigation actions effectively rests with the appropriate statutory bodies, namely the Meerut Development**

Authority (MDA) and the Municipal Corporation, Meerut, which have already deployed active, dynamic operational remedies on-site.

XII. ORDER DT. 21.05.2026 PASSED BY DEPONENT

21. That in compliance with the directions of the High Court of Judicature at Allahabad, the Deponent held a meeting on 30.04.2026, and instructed the parties to submit written responses. That further on **21.05.2026,** the Deponent passed an order rejecting the directors' objections and directing a time-bound recovery against them. That the relevant portion of the said order is as under:

"इस प्रकार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ द्वारा जारी वसूली प्रमाण-पत्र/आर०सी० दिनांक 06-03-2026 एवं तहसीलदार मेरठ द्वारा निर्गत आर०सी० प्रपत्र-36 (साईटेशन) दिनॉक 09.03.2026 सही है तथा आर०सी० में निहित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि अंकन रू० 10 करोड़ (दस करोड रूपये) को भू-राजस्व की भांति वसूल किया जाना उचित होगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता-2006 तथा कलेक्शन मैनुअल के अनुसार जिलाधिकारी/कलेक्टर जनपद में भू-राजस्व एवं अन्य अधिरोपित सरकारी देयों की वसूली हेतु सक्षम प्राधिकारी है। कलेक्टर को वसूली प्रमाण-पत्र के आधार पर बकाया धनराशि की वसूली भू-राजस्व की भांति कराये जाने, संबंधित बकायेदार की चल एवं अचल सम्पत्तियों की कुर्की, कब्जा, नीलामी एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कराये जाने का अधिकार उप जिलाधिकारी व तहसीलदार मेरठ का है।

प्रश्नगत प्रकरण में उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा निर्गत आकसी० उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विधिक रूप से औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है। आर०सी० की वैद्यता के सम्बन्ध में निर्णय सम्बन्धित वसूली प्रमाण पत्र जारी कर्ता अधिकारी, यानि कि उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्तर पर किया जाना चाहिए। चूँकि सुनवाई के दौरान लिखित रूप से उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा प्रश्नगत आकसी० को उचित मानते हुए कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, उ०प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ द्वारा निर्गत वसूली प्रमाण-पत्र/आर०सी० दिनॉक 06-03-2026 में निहित धनराशि की नियमानुसार समयबद्ध

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Reg. No.- 5026/2026 GOVT. OF INDIA

तरीके से वसूली सुनिश्चित करते हुए मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित सिविल मिस रिट याचिका संख्या 11221/2026 जितेन्द्र सिंह बाजवा एंड अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व 09 अन्य में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनाँक 25-03-2026 के कम याची श्री जितेन्द्र बाजवा पुत्र श्री जी०बी० सिंह निवासी ए-151 डिफेन्स कालौनी मेरठ द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनोंक 07.04.2026 उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

A Copy of the order dt. 21.05.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-5.**

XIII. ORDER DT. 27.05.2026 IN THE EXECUTION APPLICATION

22. That the present matter was last listed for hearing on 27.05.2026, wherein the Hon'ble Tribunal directed as under:

"15. The District Magistrate, Meerut is also directed to hold a meeting and take appropriate action in terms of Para -13 of the order dated 18.03.2026 and Para-6 of the order dated 20.02.2026 and file separate additional response by way of affidavit in this regard at least one day before the next date of hearing fixed.

16. The District Magistrate, Meerut is also directed to file, along with his abovesaid additional response, copy of the order passed on the representations filed before him with respect to the recovery proceedings in compliance with the order passed by the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad.

17. In view of the facts and circumstances of the case, we also consider personal appearance of the District Magistrate, Meerut; the Commissioner, Municipal Corporation, Meerut; the Secretary, Meerut Development Authority and the Regional Officer, UPPCB, Meerut physically before this Tribunal to be essential for assisting this Tribunal in securing due compliance of the judgment passed by this Tribunal. Accordingly, they are directed to remain present before this Tribunal on the next date of hearing fixed with relevant record."

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Reg. No.- 50269/2026 GOVT. OF INDIA

XIV. ORDER DT. 03.06.2026 PASSED BY HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

23. That it is submitted that the Project Proponent had again approached to the High Court of Judicature at Allahabad vide Writ Petition- C No. -23066 of 2026 against the order dt. 21.05.2026 passed by the Deponent. That in the said Writ Petition, the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad vide order dt. 03.06.2026 directed as under:

"9. In such circumstances, no useful purpose would be served in keeping the present petition pending any further. Accordingly, present petition is disposed of with the following directions:
(i) The impugned order dated 25.03.2026 is set aside.
(ii) Respondent no.3/District Magistrate, Meerut may issue notice to the petitioners fixing a fresh date in the proceedings. It may accompanied with copies all adverse material received and relied against the petitioners, whether filed by the other stake holders or parties to the dispute or as may have otherwise become available to the state authorities. Such compliance may be made within a period of two weeks from today.
(iii) Upon service of such notice, petitioners may file their final reply supported by whatever material they may seek to rely, within a further period of two weeks therefrom.
(iv) Thereafter, respondent no.3 may fix a proper date of hearing with at least 15 days advance notice to all the parties. Parties undertake not to seek any undue or long adjournments.
(v) After affording reasonable opportunity of hearing to all the parties, appropriate final order may be passed after considering not only the factual aspects that are in dispute but also upon due application of the relevant statutory provisions and the applicable law. Such exercise may be completed as expeditiously as possible, preferably within a period of one month from the date of final objections filed by the petitioners."

NOTARY SURESH KUMAR Advocate Meerut Reg. No.- 5026/2026 GOVT. OF INDIA

A Copy of the order dt. 03.06.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-6.**

XV. MEETING DT. 09.07.2026 HELD BY THE DEPONENT

24. That in compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal dt. 27.05.2026, a meeting was convened by the Deponent on 09.07.2026 at the Collectorate, Meerut. The meeting was attended by the office bearers of the Greenwood City Residents Welfare Association, Greenwood City Villa Jan Welfare Society, Golden Heights Jan Kalyan Samiti (Regd.), and other residents of the colony. The residents were requested to submit any further issues requiring consideration before this Hon'ble Tribunal in writing by 10.07.2026 for examination in consultation with the concerned departments. Further, the Directors of Respondent No. 1, M/s Godwin Construction Co. Pvt. Ltd., namely Jitendra Singh and Bhupendra Singh, were directed to submit their respective stands by 16.07.2026.

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Reg. No.- 50269/2026 GOVT. OF INDIA

25. Additionally, it is submitted that in compliance with the directions in order dt. 03.06.2026 of the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad, the Director of the Company i.e. Jitendra Singh Bajwa submitted his counter-objections on 29.06.2026.

Copy of the minutes of the meeting dt. 09.07.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-7.**

XVI. MEETING DT. 16.04.2026 HELD BY THE DEPONENT

26. That, on 16.07.2026, a meeting was convened under the chairmanship of the Deponent. During the meeting, the Residents Welfare Association (RWA) submitted an additional reply, a copy of which was furnished to Jitendra Singh Bajwa. That RWA representative stated that Bhupendra Singh Bajwa and Jitendra Singh Bajwa had ceased to be Directors on 24.01.2022 and 10.04.2022, respectively, but despite the same, they continued to execute sale deeds on behalf of M/s Godwin Construction Co. Pvt. Ltd.

27. That it was also noted that neither Jitendra Singh Bajwa nor Bhupendra Singh Bajwa disclosed their alleged resignation during the proceedings before this Hon'ble Tribunal, and no challenge has been made to the order dated 04.03.2025. That RWA relied upon sale deeds executed by them after their alleged resignation and contended that, in view of Sections 248(7), 250 and 251 of the Companies Act, 2013, they continue to remain liable for the obligations of the Company. That submissions of the RWA and the Project Proponent were heard, and the Project Proponent sought ten days' time to file its response.

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Reg. No.- 50269/2026 GOVT. OF INDIA

28. Accordingly, Jitendra Singh Bajwa was directed to file his written submissions by 23.07.2026. It was further directed that any other interested party may also file its factual submissions by the said date, whereafter a reasoned decision shall be passed by the Deponent within one month, in compliance with the directions of the Hon'ble High Court.

A Copy of the minutes of the meeting dt. 18.07.2026 has been annexed herewith as **ANNEXURE R-8.**

XVII. CONCLUSION

29. That the Deponent most respectfully submits that every direction issued by this Hon'ble Tribunal has been duly complied with diligently in its true letter and spirit. That there has been no lapse, omission or delay on the part of the Deponent. That pursuant to the orders of the Hon'ble Tribunal, the Deponent has convened meetings, afforded adequate opportunity of hearing to all stakeholders, placed the relevant materials on record, and initiated the proceedings in accordance with law. The Deponent further submits that the EC recovery proceedings are being carried forward in faithful compliance with the directions of the Hon'ble Tribunal and shall be undertaken within the prescribed time in accordance with the applicable statutory provisions.

NOTARY
SURESH KUMAR
Advocate, Meerut
Reg. No.-
50269/2026
GOVT. OF INDIA

30. That the Deponent respectfully submits that he is duty-bound to comply with the directions issued by the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad and is legally obligated to conclude the proceedings relating to the recovery of Environmental Compensation in accordance with the orders of the Hon'ble High Court and applicable law. The Deponent shall, therefore, proceed with the recovery proceedings and pass an appropriate reasoned order within the time stipulated by the Hon'ble High Court.

31. It is further respectfully prayed that Respondent No. 1-Project Proponent be directed to remain personally present before this Hon'ble Tribunal to explain his continued non-appearance during the proceedings and to ensure effective implementation of the directions contained in the judgment dated 04.03.2025 and the subsequent orders passed by this Hon'ble Tribunal.

NOTARY SURESH KUMAR Advocate Meerut Reg. No.- 50269/2026 GOVT. OF INDIA

32. Hence, the present response is submitted for the kind perusal of the Hon'ble Tribunal. It is prayed that the same be taken on record.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at MEERUT.:......... on this 21.. day of July, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 32 are believed to be true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

DEPONENT

NOTARY SURESH KUMAR Advocate, Meerut Reg. No.- 50269/2026 GOVT. OF INDIA

Name Vijay Kumar Singh
Shri ...
Residence ...
Identified by ...
Date 21 Month 07 Year 26

SURESH KUMAR
Advocate, NOTARY
Meerut

Serial No. 05 Book No. 01
Date 21/7/26
Registration No. 50269/2025
Chamber No.-1, Jain Milan Pyau
Chopla, Collectorate, Meerut - 250001

ANNEXURE R-1

Phone:- 0121-2577670
Email id :- romeerut@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
पाकेट –टी.सी–3/2, पल्लवपुरम फेस–2,
मोदीपुरम,मेरठ–250110 (उ0प्र0)

संदर्भ सं0: 1996/G/E.A-66/2025/OA-492/2022/26 दिनांक: 06.03.2026

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
मेरठ।

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0– 492/2022, ग्रीनवुड सिटी विला वेलफेयर सोसाईटी बनाम गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0 लि0 थ्रू इट्स डायरेक्टर व अन्य में पारित आदेश दिनांक– 04.03.2025 एवं ई0 ए0 सं0– 66/2025 इन ओ0ए0 सं0– 492/2022 में पारित आदेश दिनांक– 20.02.2026 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्रांक– 1066/सी0आर0ए0/आर0सी0प्रथम/प्रदूषण/2025–26, दिनांक– 26.02.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सन्दर्भित विषयक दिनांक– 05.03.2026 को जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में आहूत बैठक के अनुक्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0– 492/2022, ग्रीनवुड सिटी विला वेलफेयर सोसाईटी व अन्य बनाम गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0 लि0 थ्रू इट्स डायरेक्टर व अन्य में पारित आदेश दिनांक– 04.03.2025 द्वारा प्रोजेक्ट प्रोपोनेट मै0 गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0 लि0 थ्रू इट्स डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह के विरूद्ध लगायी गयी रू0 10.0 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि को वसूल किये जाने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय स्तर से पत्र जारी किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच38717/एन0जी0टी0– 293/2026, दिनांक– 05.03.2026 द्वारा निर्देशित किया गया है। जिलाधिकारी महोदय, मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक– 05.03.2026 को आहूत बैठक में नगर निगम, मेरठ, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ एवं तहसीलदार सदर, मेरठ द्वारा फर्म मै0 गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0 लि0, मेरठ तथा डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय ग्रीनवुड सिटी नियर गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड़, मेरठ के नाम दर्ज सम्पत्तियों का विवरण उपलब्ध कराया गया, जिसका विवरण निम्नवत् हैः–

क्र0 स0	विभाग का नाम व पता	दर्ज सम्पत्ति के विवरण का सन्दर्भ	संलग्नक
1.	नगर निगम, मेरठ	पत्रांक– 1275/मु0क0नि0अधि0–न0नि0मेरठ/2026, दिनांक– 16.01.2026 द्वारा नगर निगम, मेरठ के कार्यालय अभिलेख में दर्ज सम्पत्ति का विवरण।	संलग्नक–1 (पृष्ठ संख्या– 1)
2.	मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ	पत्रांक– MeDA/2025–26/पी/39687, दिनांक– 18.02.2026 द्वारा प्राधिकरण से स्वीकृत तलपट मानचित्रो के अभिलेखों के आधार पर स्थित भूमि की सूचना।	संलग्नक–2 (पृष्ठ संख्या– 2 से 5)

कृ0प0उ0

3.	तहसीलदार सदर, मेरठ	गाटा सं0– 1628 मि, गाटा सं0– 1627, गाटा सं0– 1626, गाटा सं0– 521, गाटा सं0– 416/1, गाटा सं0– 416/2 गाटा सं0– 514	संलग्नक–3 (पृष्ठ संख्या– 6 से 20)

पूर्व में जिला कलेक्टर, मेरठ से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्र दिनांक– 23.06.2025 द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली हेतु अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0– 492/2022 में पारित आदेश दिनांक– 04.03.2025 के अनुपालन में राज्य बोर्ड द्वारा उक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि को वसूल किये जाने के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र दिनांक– 23.06.2025 के अनुक्रम में उपरोक्त वर्णित सम्बन्धित विभागों द्वारा उपलब्ध कराये गये उक्त तालिका में अंकित पत्रांक/संलग्नक में अंकित/उल्लिखित मै0 गाडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0 लि0, मेरठ तथा उसके डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय– ग्रीनवुड सिटी नियर गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड़, मेरठ के नाम दर्ज सम्पत्ति से वसूल किये जाने की कार्यवाही करने हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को सादर सूचनार्थ।
2. सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
3. मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3), उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।
4. विधि प्रभारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

O/C

1515/ERK संलग्नक-1 575

ADM-F/R

कार्यालय नगर निगम, मेरठ।

प्रेषक,

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी,
नगर निगम, मेरठ।

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0),
मेरठ।

वरिष्ठ प्रभारी अधिकारी
(आंग्ल अभिलेखागार)
कृते जिलाधिकारी, मेरठ।

पत्रांक– 1278/मु0क0नि0अधि0–न0नि0मे0/2026 दिनांक 16 जनवरी, 2026

विषय :– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–492/2022 में पारित आदेश दिनांक 04–03–2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मेरठ के पत्र संख्या–1652/G/OA-492/2022/MRT/2026 दिनांक 06–01–2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–492/2022 में पारित आदेश दिनांक 04–03–2025 के अनुपालन में सम्बन्धित बाकी फर्म मै0 गाडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0, मेरठ तथा डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय–ग्रीनवुड सिटी, नियर गॉडविन होटल, बागपत बाईपास रोड मेरठ की सम्पत्ति के सम्बन्ध में विवरण/सूचना आपको उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

इस सम्बन्ध में सादर अवगत कराना है कि फर्म मै0 गाडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0, मेरठ तथा डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय–ग्रीनवुड सिटी, नियर गॉडविन होटल, बागपत बाईपास रोड मेरठ की नगर निगम मेरठ में दर्ज सम्पत्ति का विवरण निम्नप्रकार है :–

क्र0 सं0	भवन संख्या	मोहल्ला	नगर निगम में दर्ज भवन स्वामी का नाम	गृहकर बिल 31.03.2026 तक
01	1-A	पावटी	गॉडविन होटल, C/O भूपेन्द्र सिंह बाजवा	1515885.80
02	236/K	खडौली–2	पंजाब एण्ड सिंध बैंक (जितेन्द्र बाजावा, भूपेन्द्र बाजवा)	373592.00
03	279/A	कंकरखेडा–3 पावटी	गोल्डन सर्विस प्रो0 श्री जितेन्द्र बाजवा	10295.00
04	A-151	डिफेन्स कालोनी	बलबीर कौर पुत्र गुरुवचन सिंह	148908.00
05	A-38	डिफेन्स कालोनी	ग्रेड वैल्यू प्रोपर्टीज लि0	33658.00
06	न्यू–BM0407	नन्द विहार	गोडविन स्कूल (GIS द्वारा)	1043412.00
07	न्यू–BM5909	गॉडविन कॉलोनी ग्रीनवुड सिटी	दैनिक जनवाणी (GIS द्वारा)	210776.00

उपरोक्त बिलों की प्रति संलग्न कर सेवा में प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

1989
CRA

अपर जिलाधिकारी (वि0रा0)
मेरठ
20-1-2026

भवदीय,

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी,
नगर निगम मेरठ।

संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी मेरठ महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. नगर आयुक्त महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3. श्री क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, पॉकेट–TC–3/2 पल्लवपुरम फेज–II मोदीपुरम मेरठ को उनके उपरोक्त पत्र दिनांक 06–01–206 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

RC-F
21/01/2026
CM

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी,
नगर निगम मेरठ।

Scanned with OKEN Scanner

576 ①

मेरठ विकास प्राधिकरण

आज्ञानुपालनेन कार्यसिद्धि न निष्फलता

(2)

पत्रांक:- MeDA/25-26/P/59657

दिनांक:- 18/02/2026

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)
मेरठ।

विषयः-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 492/2022 में पारित आदेश दिनांक 04.03.2025 एवं ई0ए0 संख्या-66/2025 में पारित आदेश दिनांक 17.12.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय कार्यालय पत्र संख्या 1024/सी0आर0ए0/आर0सी0-प्रथम/प्रदूषण/2025-26 दिनांक 16.02.2026 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ई0ए0 संख्या 66/2025 इन ओ0ए0-492/2022 में मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 17.12.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध में जिलाधिकारी महोदय मेरठ की अध्यक्षता में दिनांक 05.01.2026 को आहूत बैठक के परिप्रेक्ष्य में निर्गत कार्यवृत्त संख्या 5607/ओ0एस0डी0कैम्प/2025-26 दिनांक 07.01.2026 के निर्देशों के क्रम में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ई0ए0 संख्या 66/2025 इन ओ0ए0-492/2022 ग्रीनवुड सिटी जनवेलफेयर सोसायटी व अन्य बनाम गाडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी में अगली सुनवाई दिनांक 20.02.2026 से पूर्व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को अवगत कराने हेतु प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित बाकीदार/फर्म मै0 गाडविन सिटी, नियर गॉडविन होटल, बागपत बाईपास रोड मेरठ की सम्पत्ति (चल/अचल) की स्पष्ट जानकारी से अवगत कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित बाकीदार/फर्म मै0 गाडविन सिटी, नियर गॉडविन होटल, बागपत बाईपास रोड मेरठ की प्राधिकरण से स्वीकृत तलपट मानचित्रों के अभिलेखों के आधार पर उक्त तलपट मानचित्रों के अन्तर्गत स्थित भूमि की सूचना पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार।

2381
CRA

Anand Kumar Singh
सचिव
Digitally Signed
18/02/2026 05:59 PM

A. D. M. (F/R)
Meerut 19.2.2026

RC-I

20/02/2026
CRA

https://mdameerut.in

Scanned with OKEN Scanner

(3)

प्रश्नगत प्रकरण से सम्बन्धित बाकीदार/फर्म मै0 गॉडविन सिटी, नियर गॉडविन होटल, बागपत बाईपास रोड मेरठ की सम्पत्ति (चल/अचल) के सम्बन्ध में विवरण निम्नवत है:-

ग्राम	स्वीकृत तलपट मा0सं0	खसरा सं0	क्षेत्रफल (हैक्ट0 में)	स्वामित्व
अब्दुल्लापुर	18/06	514	0.7710	गॉडविन क0कं0 प्रा0लि0 एवं श्री अरविन्द कुमार (पी.ओ.ए. श्री जितेन्द्र बाजवा)
		512	0.4160	गॉडविन क0कं0 प्रा0लि0
		511	0.4220	उपरोक्तानुसार
		510	0.2940	उपरोक्तानुसार
		509	0.4870	श्री उपेन्द्र सिंह
		508/1110	0.0040	गॉडविन क0कं0 प्रा0लि0
		507	0.4920	गॉडविन क0कं0 प्रा0लि0
गंगा नगर आवासीय योजना (ग्रेटर गंगा कालोनी)	01/02	—	44145.79 व. मी.	गॉडविन क0कं0 प्रा0लि0 श्री जितेन्द्र बाजवा
मलियाना	28/06	1626	0.310	श्री भूपेन्द्र सिंह बाजवा
		1627	0.632	श्री भूपेन्द्र सिंह बाजवा
		1628	0.708	गॉडविन क0कं0 प्रा0लि0
पांचली खुर्द		521	1.947	जितेन्द्र सिंह बाजवा व अन्य
रामपुर पावटी		409	0.139	गॉडविन क0कं0 प्रा0लि0 श्री शम्भू नाथ व अन्य
		410/1	0.253	गॉडविन क0कं0 प्रा0लि0 श्री शम्भू नाथ व अन्य
		410/2	1.210	गॉडविन क0कं0 प्रा0लि0 श्री शम्भू नाथ व अन्य
		411	3.038	गॉडविन क0कं0 प्रा0लि0 श्री राम आनन्द
		412	0.215	गॉडविन क0कं0 प्रा0लि0 श्री राम आनन्द
		413	0.177	गॉडविन क0कं0 प्रा0लि0 श्री राम आनन्द
		414/2	0.414	श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व अन्य
		414	0.417	श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व अन्य
		415/1	0.114	गॉडविन क0कं0 प्रा0लि0 श्री शम्भू नाथ व अन्य
		415/2	1.376	गॉडविन क0कं0 प्रा0लि0 श्री शम्भू नाथ व अन्य
		416/1	0.114	श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व अन्य

C:\Users\MetroCell Letter P-II 2276

Scanned with OKEN Scanner

(4)

		416/2	0.100	श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व अन्य
		417/2	0.030	श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व अन्य
		417/3	0.114	गॉडविन क0क0 प्रा0लि0
		418	0.240	गॉडविन क0क0 प्रा0लि0
		419	0.918	श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व अन्य
		420	0.139	गॉडविन क0क0 प्रा0लि0
		421/2	0.481	गॉडविन क0क0 प्रा0लि0 श्री शम्भू नाथ व अन्य
		422	0.076	श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व अन्य
		423	5.5464	श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व अन्य

विकासकर्ता मै0 गाडविन कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा ग्राम रामपुर पावटी के खसरा संख्या 409, 410/2, 410/3, 411 से 423, ग्राम मलियाना मेरठ के खसरा संख्या 1626, 1627, 1628पी तथा ग्राम पांचली खुर्द मेरठ के खसरा–521पी कुल क्षेत्रफल 193660.00 वर्ग मी0 पर ग्रीनवुड सिटी कालोनी का तलपट मानचित्र सं0–28/06 प्राधिकरण से दिनांक 26.09.07 को स्वीकृत कराया गया था।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश में मैसर्स गॉडविन कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 अर्थात कम्पनी से वसूली हेतु आदेश में प्रश्नगत फर्म की जानकारी प्राप्त कर यह कम्पनी वर्ष 2021 में ही बन्द हो चुकी है तथा वर्तमान में कहीं भी किसी भी प्रकार से अस्तित्व में नही है। इस सम्बन्ध में नगर निगम, मेरठ द्वारा भी बाकीदार उपरोक्त के नाम से कोई सम्पत्ति दर्ज न होने का उल्लेख किया था तथा लेखपाल/राजस्व निरीक्षक तहसील मेरठ द्वारा भी उल्लेख किया गया कि बाकीदार/फर्म के बैंक खातों की जानकारी करने पर भी खातो की जानकारी करने पर भी खातों की सही जानकारी प्राप्त न होने, चूंकि बाकीदार/फर्म वर्तमान में संचालित नही है। चूंकि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्पष्ट रूप से कम्पनी की सम्पत्ति से उक्त धनराशि वसूल करने का आदेश है, डायरेक्टर से निजी तौर पर उक्त धनराशि वसूल नही किये जाने, इसके अतिरिक्त श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा कम्पनी के बैंक खाते वर्ष 2021 में बैंको के साथ लेन–देन पूर्ण कर बन्दर कर कम्पनी समाप्त कर दिये जाने, भारत सरकार के कम्पनी मामलो के मंत्रालय द्वारा भी इस कम्पनी का अस्तित्व समाप्त कर कम्पनी डी–लिस्ट होने का उल्लेख करते हुए कम्पनी से मांग पत्र में निहित धनराशि को वसूल कर पानी सम्भव न होने से अगवत कराते हुए वसूली मांग पत्र मूल रूप से वापस किया गया है।

मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 13.04.2023 के क्रम में वाहय विकास शुल्क के रूप में अंकन रू0 45,74,42,743.63 (दण्ड ब्याज दिनांक 26.05.2025 तक) एवं अन्य देयता मै0 गॉडविन कन्सट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत डायरेक्टर, कम्पनी पत्ता मुख्य कार्यालय सी0एम0सी0 38, छिप्पी टैंक, मेरठ से भू–राजस्व के बकाये के रूप में वसूल करने हेतु तहसीलदार, क्षेत्र सदर, मेरठ को भी कार्यालय पत्रांक MeDA/25-26/P/19074-6 दिनांक 01.09.2025 प्रेषित किया गया है।

शोभापुर	35/12	664	6070.00 व.मी.	श्रीमती दीपा जैन
		664	6070.00 व.मी.	श्री प्रतीक जैन
		684/1	18960.00 व.मी.	श्री हरिओम अग्रवाल एवं संगीता अग्रवाल
		684	2107.00 व.मी.	श्री राजीव कुमार
		932	2020.00 व.मी.	श्री [illegible]

Scanned with OKEN Scanner

(51)

		687	1900.00 व.मी.	श्री राजीव कुमार
		693	2880.00 व.मी.	श्री राजीव कुमार
		209	139.10 व.मी.	श्री रिछपाल सिंह
		209	148.74 व.मी.	श्री राजीव कुमार

विकासकर्ता श्री हरिओम अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री संदीप गर्ग, निवासी बी–184बी आबूलेन मेरठ द्वारा खसरा संख्या 664, 684, 929मि0, 932मि0, 937, 938मि0, 987मि0, 993मि0, 694मि0, ग्राम शोभापुर मेरठ तथा संख्या संख्या 209मि0 ग्राम खडौली मेरठ कुल क्षेत्रफल 37443.00 वर्ग मी0 पर गोल्ड कोस्ट कालोनी, रोहटा रोड मेरठ का तलपट मानचित्र संख्या–35/12 दिनांक 22.10.2013 को प्राधिकरण से स्वीकृत कराया गया था।

अध्यक्ष, गोल्ड कोस्ट परिवार कल्याण विकास समिति द्वारा पत्र के साथ प्रस्तुत विक्रय–विलेख के अनुसार राजस्व ग्राम शोभापुर, परगना व तहसील व जिला मेरठ गोल्ड कॉस्ट कालोनी के आवासीय भवन संख्या (विला) ए–194 विक्रय किया गया, जिसके प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी है, जिसके दृष्टिगत प्रश्नगत कालोनी के समस्त विकास कार्यों को पूर्ण करने का उत्तरदायित्व विकासकर्ता मैसर्स गेट वैल्यू बिल्डकॉन प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा पुत्र श्री गुरबचन सिंह, निवासी ए–151, डिफैन्स कालोनी, मवाना रोड, मेरठ का हैं।

(तेज प्रताप सिंह)
मुख्य नगर नियोजक
मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 2190342026031127

ग्राम क्रमांक :	ग्राम का नाम (परगना) :	तहसील :	जनपद :	फसली वर्ष :	भाग :	(1)खाता संख्या :
219034	मलियाना(मेरठ)	सदर	मेरठ	1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	1	00545

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
1628मि.	1) मैसर्स गाडविन कान्सट्रक्शन / . / . 2) प्रा0लि0 मेरठ द्वारा डायरेक्टर / . / . 3) भूपेन्द्र सिंह बाजवा पुत्र / . / . 4) गुरबचन सिंह नि0 ए 151 / . / . 5) डिफेन्स कालोनी मवाना / . / . 6) रोड मेरठ / . / .		1415	1628मि. (2190341628200112)	0.7080			19.20

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.7080 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 19.20 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.0000)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

	नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)			स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)		
		1628मि. (2190341628200112)			1628मि.(2190341628200112)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by:S K TIWARI(REGISTRAR KANUNGO) दिनांक/समय/स्थान: 05-03-2026 12:52:21 तहसील : सदर यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : MAHAK SINGH तहसील : सदर मुद्रित दिनांक एवं समय: 05-03-2026 12:52:21 Not Applicable For Online Prints क्योंकि उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है |

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 2190342026031126

ग्राम क्रमांक :	ग्राम का नाम (परगना) :	तहसील :	जनपद :	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	भाग :	(1)खाता संख्या :
219034	मलियाना(मेरठ)	सदर	मेरठ		1	00227

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (है.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (है.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
1627	1) जनकराज / वर्शनलाल / 138/5ए-पटेलनगर मेरठ शाहर 2) नरेश कुमार / वर्शनलाल / 138/5ए-पटेलनगर मेरठ शाहर 3) सतीश कुमार / वर्शनलाल / 138/5ए-पटेलनगर मेरठ शाहर 4) सिद्धान्त कुमार / वर्शनलाल / शम्भू नगर मेरठ 5) वर्शनलाल / जसवन्त / शम्भू नगर मेरठ 6) भूपेन्द्र सिंह / जी0 सिंह / पिलना सोफीपुर		1383	1627(2190341627000012)	0.6200			17.70

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.6200 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 17.70 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.0000)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (है.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (है.)

आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)			/ आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)		
1) ऑनलाइन उत्तराधिकार / 20221113800734003051 / 21-09-2022 / वारसत / RAMLAL SINGH / 07-06-2023	1.1) सतीश कुमार / वर्धानलाल / 138/5ए-पटेलनगर मेरठ शहर (शेष क्षेत्रफल : 0.0000)	1627(2190341627000012)	1.1) 0.0000	1.1) किरण पारुथी पत्नी / स्व० सतीश कुमार / 100-101 आर०आर०पैलेस वैस्टर्न रोड मेरठ 1.2) सुनील पारुथी / स्व० सतीश कुमार / 100-101 आर०आर०पैलेस वैस्टर्न रोड मेरठ 1.3) सिद्धार्थ पारुथी / स्व० सतीश कुमार / 100-101 आर०आर०पैलेस वैस्टर्न रोड मेरठ	1627(2190341627000012)	1.1) 0.0000 1.2) 0.0000 1.3) 0.0000

1) कृषिक से अकृषिक (धारा 80) : 1413फ न्यायालय उपजिलाधिकारी मेरठ वाद सं0 99 अन्तर्गत धारा 143 चू0पी0जैड0ए0एण्ड0एल0आर0एक्ट ग्राम मलियाना, पर0तह0 व जिला मेरठ निशान्त कुमार आदि बनाम सरकार उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दि0 8-5-06 को तहसीलदार मेरठ की जाँच आख्या दि0 31-3-06 को स्वीकार करते हुए निम्न आदेश पारित किये गये है प्रश्नगत भूमि खाता स0 192, ख0नं0 1581/3.149है0, 1622/0.278है0 1623/0.544है0, 1627/0.620है0, का 1/2 भाग, ख0नं0 1610/0.783है0 का 1/2 भाग, ख0नं0 1620मि./0.275है0 1616/1.147है0, 1617/0.132है0 व खाता सं0 638, ख0नं0 1579/1.964है0 लगानी परतानुसार स्थित ग्राम मलियाना पर0तह0 व जिला मेरठ को अकृषक घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय-समय पर शासकीय संस्थाओं यथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास-विकासपरिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई भवन /प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाये जाते है तो यह इस पर पूर्णतः लागू होगे ह0(शिशिर) उपजिलाधिकारी मेरठ 3-6-06 ह0आर0कं0 28-6-06 (डिजिटल हस्ताक्षर : RAMLAL SINGH / 07-06-2023)

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) 1413फ न्यायालय उपजिलाधिकारी मेरठ वाद सं0 99 अन्तर्गत धारा 143 चू0पी0जैड0ए0एण्ड0एल0आर0 एक्टग्राम मलियाना, पर0तह0 व जिला मेरठ निशान्त कुमार आदि बनाम सरकार उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दि0 8-5-06 को तहसीलदार मेरठ की जाँच आख्या दि0 31-3-06 को स्वीकार करते हुए

2) निम्न आदेश पारित किये गये है प्रश्नगत भूमि खाता स0192, ख0नं0 1581/3.149है0, 1622/0.278है0 1623/0.544है0, 1627/0.620है0, का 1/2 भाग, ख0नं01610/0.783है0 का 1/2 भाग,

ख0नं0 1620मि/ 0.275है01616/1.147है0, 1617/0.132है0 व खाता सं0638, ख0नं0 1579/1.964है0 लगानी परतानुसार

3) स्थित ग्राम मलियाना पर0तह0 व जिला मेरठ को अकृषक घोषित किया जाता है तथा परता लगानमाफ किया जाता है। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय-समय पर शासकीय संस्थाओं यथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास-विकास परिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई शर्तें /प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर

4) लगाये जाते है तो वह इस पर पूर्णतः लागू होग ह0(शिशिर)उपजिलाधिकारी मेरठ 3-6-06 ह0आर0के0 28-6-06

5) 1430फ० आदेश रा०नि० द्वारा आर०सी० प्रपत्र-9 कम्प्यूटरीकृत आवेदन संख्या 20221113800734003051/21-9-22 के अन्तर्गत आदेश हुआ कि ग्राम मलियाना के खाता सं० 227 पर मृतक सतीश कुमार पुत्र दर्शनलाल के स्थान पर श्रीमती किरण पारुथी पत्नी स्व० सतीश कुमार, कुनाल पारुथी, सिद्धार्थ पारुथी पुत्रगण सतीश कुमार नि० 100-101 आर०आर०पैलेस वैस्टर्न रोड मेरठ के नाम उत्तराधिकारी के रुप में अंकित हो। ह०अ० 21-9-22

Data Digitally Signed by:RAMLAL SINGH(REVENUE INSPECTOR) दिनांक/समय/स्थान: 05-03-2026 12:51:50 तहसील : सदर यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिजिटली सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा सादर डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : **MAHAK SINGH** तहसील : सदर मुद्रित दिनांक एवं समय: 05-03-2026 12:51:50 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https:// upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 2190342026031125

ग्राम क्रमांक :	ग्राम का नाम (परगना) :	तहसील :	जनपद :	फसली वर्ष : 1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	भाग :	(1)खाता संख्या :
219034	मलियाना(मेरठ)	सदर	मेरठ		1	00442

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रामणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (है.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (है.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
1626	1) भूपेन्द्र सिंह / जीत सिंह / पिलना सोमीपुर		1381	1626(2190341626000012)	0.6320	1) 1/1	1) 0.6320	27.15
							0.6320	

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.6320 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 27.15 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.6320)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (है.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (है.)
		1626(2190341626000012)			1626(2190341626000012)	

586

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

Data Digitally Signed by:S K TIWARI(REGISTRAR KANUNGO) दिनांक/समय/स्थान: 05-03-2026 12:51:23 तहसील : सदर यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : MAHAK SINGH तहसील : सदर मुद्रित दिनांक एवं समय: 05-03-2026 12:51:23 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https:// upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है	

12

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 1190832026031507

ग्राम क्रमांक :	ग्राम का नाम (परगना) :	तहसील :	जनपद :	फसली वर्ष :	भाग :	(1)खाता संख्या :
119083	मांचली खुर्द(मेरठ)	सदर	मेरठ	1427-1432 (01 जुलाई, 2019 से 30 जून, 2025)	1	00467

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों केअधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / स्रोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
521	1) भूपेन्द्र सिंह / जी. सिंह / पिलना सोफीपुर 2) जितेन्द्र बाजवा / जी0बी0 सिंह / 151, डिफेन्स कालोनी मवाना रोड 3) भूपेन्द्र सिंह बाजवा / जी0बी0 सिंह / 151, डिफेन्स कालोनी मवाना रोड		पू01381	521(119083052100012)	0.1260			7.10

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.1260 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 7.10 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.0000)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

(3)

	अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)					
		521(1190830521000012)			521(1190830521000012)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) 1414क न्यायालय उपजिलाधिकारी मेरठ वाद सं0 159 अन्तर्गत धारा 143 यू0पी0जैड0ए0एण्ड0एल0आर0एक्ट ग्राम पांचली खुर्द पर0तह0 व जिला मेरठ मनोज कुमार बनाम सरकार उपरोक्त वाद में, इस न्यायालयद्वारा दि0 12-7-06 को, तहसीलदार मेरठ की जाँच आख्या दि0 12-6-06को स्वीकार करते हुए, निम्न

2) आदेश पारित किये गये है- प्रश्नगत भूमि खाता सं0 299 के ख0नं0 521क /0.1900हे0, ख0नं0 529क /0.0130हे0, ख0नं0 537क /0.0130हे0 व खाता सं0 702 के ख0नं0 524/0.1390हे0, ख0नं0 526/0.4610हे0 व खाता सं0 703 के ख0नं0 521/0.1260हे0 व खाता सं0 582के ख0नं0 521/1.6950हे0,ख0नं0 529मि./0.3290

3) हे0 व खाता सं0 718 के ख0नं0 521मि./3.0350हे0 लगानपरतानुसार स्थित ग्राम पांचली खुर्द पर0तह0 व जिला मेरठ को अकृषक घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है।

4) ह0(शिशिर) उपजिलाधिकारी मेरठ 13-7-06 ह0आर0के0 6-9-06

Data Digitally Signed by:S K TIWARI(REGISTRAR KANUNGO) दिनांक/समय/स्थान: 05-03-2026 12:50:29 तहसील : सदर यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रॉनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : **MAHAK SINGH** तहसील : सदर मुद्रित दिनांक एवं समय: 05-03-2026 12:50:29 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

(4)

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 219044202603249

ग्राम क्रमांक : 219044 | ग्राम का नाम (परगना) : रामपुर पावटी(मेरठ) | तहसील : सदर | जनपद : मेरठ | फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) | भाग : 1 | (1)खाता संख्या : 00106

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरी के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (है.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (है.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
416/1	1) बलवीर और पत्नी / सरदार गुरवचन सिंह / पिलना सोफीपुर 2) द्वारा कारखून / . / . 3) जितेन्द्र सिंह / सरदार गुरवचन सिंह / डिफेन्स कालोनी मेरठ		1412	416/1(2190440416100112)	0.1140			9.10

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.1140 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 9.10 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.0000)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			वर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (है.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (है.)

590

	अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)					
		416/1(2190440416100112)			416/1(2190440416100112)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) 1414फ न्यायालय उपजिलाधिकारी मेरठ वाद सं0 159 अन्तर्गत धारा 143 यू0पी0जेड0ए0एण्ड0एल0आर0 एक्ट ग्राम रामपुर पावटी पर0तह0 व जिला मेरठ मनोज कुमार बनाम सरकार उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दि0 12-7-06 को तहसील मेरठ की जाँच आख्या दि0 12-6-06 को स्वीकार करते हुए, निम्न आदेश

2) पारित किये गये है- प्रश्नगत भूमि खाता सं0 206 के ख0नं0 416/1/0.1140है0, ख0नं0 416/2/0.1900है0 व खाता सं0 184 के ख0नं0 417/2/0.0380है0 व खाता सं0 161के ख0नं0 409/0.1390है0,ख0नं0 411/3.0380 है0, ख0नं0 419/0.9480है0, ख0नं0 422/0.0760है0, ख0नं0 423मि./5.5870है0, ख0नं0 428/3/0.1260है0

3) ख0नं0 426/0.0890है0 व खाता सं0 180 के ख0नं0 410/2/0.1590है0, ख0नं0 414/0.4170है0 व खाता सं0 217 के ख0नं0 412/0.2150है0, 413/0.1770है0 व खाता सं0 160 के ख0नं0 415/0.4810है0 व खाता सं0 215 के ख0नं0 421/2/0.1140है0 व खाता सं0 170के ख0नं0 328/0.1010है0, ख0नं0 417/3/0.1140

4) है0 व खाता सं0 029 के ख0नं0 417/1/0.1520है0 लगान परतानुसार स्थित ग्राम रामपुर पावटी पर0 तह0 व जिला मेरठ को अकृषक घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय-समय पर शासकीय संस्थाओ यथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास-विकास परिषद अथवा अन्य के

5) द्वारा यदि कोई शर्तें /प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाये जाते है, तो वह इस पर पूर्णत: लागू होगें। ह0(निशिर) उपजिलाधिकारी मेरठ 13-7-06 ह0आर0के0 6-9-06

Data Digitally Signed by:POOJA SHARMA(REGISTRAR KANOONGO)
दिनांक/समय/स्थान: 05-03-2026 12:59:14 तहसील : सदर
यह उद्धरण-खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा प्रमाणित है।

मुद्रित कर्ता : MAHAK SINGH तहसील : सदर
मुद्रित दिनांक एवं समय: 05-03-2026 12:59:14
Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वैधिकरण https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है।

(17)

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 219044202603248

ग्राम क्रमांक : 219044 | ग्राम का नाम (परगना) : रामपुर पावटी(मेरठ) | तहसील : सदर | जनपद : मेरठ | फसली वर्ष : 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) | भाग : 1 | (1)खाता संख्या : 00106

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
416/2	1) बलवीर कौर पत्नी / सरदार गुरबचन सिंह / सिलना सोफीपुर 2) द्वारा कारकून / . / . 3) जितेन्द्र सिंह / सरदार गुरबचन सिंह / डिफेन्स कालोनी मेरठ		1412	416/2(2190440416100212)	0.1900			9.10

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.1900 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 9.10 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.0000)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	(11) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के	(12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(13) क्षेत्रफल (हे.)	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल (हे.)

(ज)

	अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)					
		416/2(2190440416100212)			416/2(2190440416100212)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

<u>पूर्व आदेशों का विवरण</u>

1) 1414फ न्यायालय उपजिलाधिकारी मेरठ वाद सं0 159 अन्तर्गत धारा 143 यू0पी0जैड0ए0एण्ड0एल0आर0 एक्ट ग्राम रामपुर पावटी पर0तह0 व जिला मेरठ मनोज कुमार बनाम सरकार उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दि0 12-7-06 को तहसील मेरठ की जाँच आख्या दि0 12-6-06 को स्वीकार करते हुए, निम्न आदेश

2) पारित किये गये है- प्रश्नगत भूमि खाता सं0 206 के ख0नं0 416/1/0.1140है0, ख0नं0 416/2/0.1900है0 व खाता सं0 184 के ख0नं0 417/2/0.0380है0 व खाता सं0 161के ख0नं0 409/0.1390है0,ख0नं0 411/3.0380 है0, ख0नं0 419/0.9480है0, ख0नं0 422/0.0760है0, ख0नं0 423मि./5.5870है0, ख0नं0 428/3/0.1260है0

3) ख0नं0 426/0.0890है0 व खाता सं0 180 के ख0नं0 410/2/0.1590है0, ख0नं0 414/0.4170है0 व खाता सं0 217 के ख0नं0 412/0.2150है0, 413/0.1770है0 व खाता सं0 160 के ख0नं0 415/0.4810है0 व खाता सं0 215 के ख0नं0 421/2/0.1140है0 व खाता सं0 170के ख0नं0 328/0.1010है0, ख0नं0 417/3/0.1140

4) है0 व खाता सं0 029 के ख0नं0 417/1/0.1520है0 लगान परतानुसार स्थित ग्राम रामपुर पावटी पर0 तह0 व जिला मेरठ को अकृषक घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है। प्रतिबन्ध यह होगा कि समय-समय पर शासकीय संस्थाओ यथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास-विकास परिषद अथवा अन्य के

5) द्वारा यदि कोई शर्तें /प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाये जाते है, तो वह इस पर पूर्णत: लागू होगें। ह0(शिशिर) उपजिलाधिकारी मेरठ 13-7-06 ह0आर0के0 6-9-06

Data Digitally Signed by:POOJA SHARMA(REGISTRAR KANOONGO)
दिनांक/समय/स्थान: 05-03-2026 12:58:36 तहसील : सदर
यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिजीटली सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डाटा डिजीटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।

मुद्रित कर्ता : MAHAK SINGH तहसील : सदर
मुद्रित दिनांक एवं समय: 05-03-2026 12:58:36
Not Applicable For Online Prints उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन https://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है |

उद्धरण खतौनी (शासकीय)

उद्धरण क्रमांक : 219003202603764

ग्राम क्रमांक : 219003 ग्राम का नाम (परगना) : अब्दुल्लापुर(मेरठ) तहसील : सदर जनपद : मेरठ फसली वर्ष : 1429-1434 (01 जुलाई, 2021 से 30 जून, 2027) भाग : 1 (1)खाता संख्या : 00095

श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।

खातेदार का विवरण		खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण		भूमि का विवरण		खातेदार का अंश		
खसरा/ गाटा संख्या	(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार	(4) वर्ष	(5) गाटा (यूनीक कोड)	(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल (हे.)	(7) हिस्से में	(8) क्षेत्रफल में (हे.)	(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व
514	1) पावलीन कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 / . / . 2) मेरठ द्वारा डायरेक्टर / . / . 3) जितेन्द्र बाजवा / गुरचरन सिंह / ए-151डिफेन्स कालोनी गढ़रोड मेरठ शहर 4) मोहम्मद यासीन / सदरूद्दीन / अब्दुल्लापुर 5) मो0नदीम / हाजी मो0यासीन / अब्दुल्लापुर 6) विनीत पाल सिंह / सत्यपाल सिंह / 49/4शास्त्रि विहार मेरठ 7) नीरज भारती / आर0पी0भारती / 660/2मंगलपाण्डे नगर मेरठ 8) मजाहिर अली / शाफाक़त अली / 269रजीव नगर मेरठ 9) योगेश शर्मा / शाफाक़त अली / 269रजीव नगर मेरठ 10) योगेश शर्मा / अरविन्द कुमार / डी-एच-205फेस प्रथम पल्लवपुरम मेरठ 11) अजय पंवार / मूलचन्द पंवार / 371/डी न्यू गोविन्दपुरी कंकरखेड़ा मेरठ		1414	514(2190030514000012)	0.7710			38.10

कुल गाटे- 1 कुल क्षेत्रफल- 0.7710 (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - 38.10 रुपये कुल अंश का क्षेत्रफल - (0.0000)(हेक्टेयर)

नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण	खारिज किया गया			दर्ज किया गया		
(10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश	(11) नाम / पिता-पति-	(12) गाटे का खसरा नम्बर /	(13) क्षेत्रफल	(14) नाम / पिता-पति-संरक्षक-	(15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड	(16) क्षेत्रफल

संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक	संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)	यूनीक कोड	(हे.)	प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)		(हे.)
		514(2190030514000012)			514(2190030514000012)	

(17)भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद/वादों की कम्प्यूटरीकृत संख्या :

(18)बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति

(18.1)बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(18.2)बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)) :

(19)अभ्युक्ति :

पूर्व आदेशों का विवरण

1) 1414फ न्यायालय उपजिलाधिकारी मेरठ वाद स. 47 अन्तर्गत धारा 143 यू.पी.जेड. ए. एण्ड एल.आर.एक्ट ग्राम अब्दुल्लापुर पर.तह.जि.मेरठ सतेन्द्र कुमार बनाम सरकार, उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 17-1-06 को निम्न आदेश पारित किये गये है- प्रश्नगत भूमि ख0न0 508/0.1260हे0, 506/0.0250

2) हे0, ख.स. 504/0.1850हे.,ख.स. 510/0.2940हे., ख.स. 507/0.4920हे., ख.स. 509/0.4870हे. ख.स. 511/0.4220हे. ख.स. 512/0.4160हे., ख.स.497/0.1980हे. ख.स. 514/ 0.7710हे0 ख0न0 508/1110/0.004हे0, मा0परतानुसार स्थित ग्राम अब्दुल्लापुर पर0तह0जि0 मेरठ को अकृषक

3) घोषित किया जाता है तथा परता लगान माफ किया जाता है प्रतिबन्ध यह होगा कि समय-समय पर शासकीय संस्थाओं यथा मेरठ विकास प्राधिकरण, आवास विकास परिषद अथवा अन्य के द्वारा यदि कोई शर्तें / प्रतिबन्ध वर्णित भूमि पर लगाये जाते है तो वह इस पर पूर्णत: लागू होंगे। ह0शिशिर उप जिलाधिकारी मेरठ

4) ह0आर0के0 13.2.07

Data Digitally Signed by:POOJA SHARMA(REGISTRAR KANOONGO) दिनांक/समय/स्थान: 05-03-2026 01:01:05 तहसील : सदर यह अभिलेख खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिजीटल सिग्नेचर द्वारा जारी की गयी है तथा डाटा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।	मुद्रित कर्ता : MAHAK SINGH तहसील : सदर मुद्रित दिनांक एवं समय: 05-03-2026 01:01:05 Not Applicable For Online Prints उपरोक्त अंकित खतौनी का वेरीफिकेशन https:// upbhulekh.gov.in Website पर जाकर अथवा QR Code Scan करके किया जा सकता है		NATIONAL INFORMATICS CENTRE

20

ANNEXURE R-2

प्रदूषण ड्रेन रक० $\frac{02}{6-3-26}$

आर०सी०प्रपत्र-36

[देखे नियम-141(3)]

माँग का अभिपत्र $9\frac{3}{26}$

क्रम सं० ....

सेवा में,

श्री...जितेन्द्र सिंह पुत्र श्री भूपेन्द्र सिंह

फर्म मै० आसवीन कन्स्ट्रक्शन कं०

आर्थानिग ग्रीनवुड सिटी (प्रा०लि०)

निज (गार्डन हॉटल नामपत्र आईपवर्स)

जहां तक भू-राजस्व की वकाया या भू-राजस्व के रूप में वसूली योग्य वकाया आप से निम्न विवरणानुसार देय है। एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि इस नोटिस की तामीली के 15 दिनों के भीतर तहसील में भुगतान कर दें अथवा उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न आपके विरूद्ध उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के अधीन उत्पीड़नात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की जाय।

देय धनराशि का विवरण

रकम=10,0000000=00 + अ-प्रदूष

....

जारी करने की तिथि: ...9-3-26...........

मुहर ....

(तहसीलदार के हस्ताक्षर) तहसीलदार

Phone :- 0121-2577676
Email id :- romeerut@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पॉकेट–TC–3/2, पल्लवपुरम फेज–II, मोदीपुरम, मेरठ–250110

पत्रांक– 1167/G/OA.492/2022/G.W.C/MRT/2025 दिनांक– 30-8-25

सेवा में, माoएनजीटी प्रकरण

मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–3),
उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय– मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0संख्या–**O.A. No. 422/2022 Green Wood City Villa Jan Welfare Society Vs Godwin Construction Company Pvt Ltd & Ors.** में पारित आदेश दिनांक–04/03/2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 492/2022 Green wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Vs Godwin Construction Company Pvt Ltd & Ors में पारित Judgment दिनांक–04/03/2025 में निम्न निर्देश दिये गये हैं–

....

" 83. In view of the above, we dispose of this OA with the following directions: (I) We direct respondent 1 to make the provisions for treatment of sewage generated in the project area by constructing STP of requisite capacity and make it operational within 06 months from the date of this judgment.

(II) For disposal of solid waste in scientific manner and in compliance of Solid Waste Management Rules, 2016, due steps shall be taken by Resident Welfare Association of the project in question. Residents Welfare Association or Villa Jan Welfare Society shall take appropriate steps in consultation with UPPCB within 03 months and UPPCB shall ensure thereafter compliance of environmental laws and norms in respect to handling, management and disposal of solid waste in accordance with environmental laws and norms and if there is any violation, appropriate action shall be taken against the violators.

(III) We direct respondent 1 (project proponent), as an interim measure, to pay environmental compensation of Rs.10 Crores and deposit the same within three months with respondent 3 i.e., UPPCB.

(IV) Respondent 3 is directed to collect relevant information including project cost from respondents 1 and 2 and thereafter, compute final environmental compensation in the light of the law laid down by Supreme Court in Goel Ganga Developers vs Union of India and Others (supra) and after adjusting

कृ0प0उ0

the amount of interim compensation as imposed as above, shall take steps for recovery of the remaining of environmental compensation from respondent 1, in accordance with law.

(V) Amount of environmental compensation realized from respondent 1 shall be utilized for remediation and rejuvenation of the already damaged environment in the area concerned in accordance with the Environment Development Plan which shall be prepared by Joint Committee comprising UPPCB and District Magistrate, Meerut wherein District Magistrate shall be the nodal agency. This plan shall be prepared within 02 months and executed in the next 04 months.

(VI) In case of failure on the part of respondent 1 in complying any part of directions given above, appropriate coercive action including criminal and other action, as are permitted in law, shall be taken by respondent 3 so as to seek compliance of directions given above.

(VII) MDA, in the meantime, shall take necessary steps to ensure that sewage is not collected in the project area in violation of Section 24 of Water Act, 1974 and if connecting pipeline is to be replaced with a higher capacity line, necessary steps shall be taken by MDA. This action shall be taken by MDA within 02 months.

84. A Compliance Report shall be submitted in respect of all the above directions by UPPCB before Registrar General of this Tribunal by 15.08.2025.

85. Copy of this judgment be forwarded to UPPCB; MDA; Commissioner Municipal Corporation, Meerut; and District Magistrate, Meerut by e-mail for information and compliance. "

उपरोक्त पारित आदेश के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा निम्नानुसार कार्यवाही संपादित की गयी है—

1. बिन्दु संख्या— II के अनुपालन में सूचित करना है कि नगर निगम, मेरठ द्वारा ग्रीनवुड सिटी से जनित घरेलू अपशिष्ट का उठान कर निगम स्तर से निस्तारित किया जा रहा है।
2. बिन्दु संख्या— IV के अनुपालन में मेरठ विकास प्राधिकरण को इस कार्यालय के पत्रांक—220 दिनांक—26/05/2025 एवं पत्रांक—999 दिनांक—15/07/2025 के द्वारा प्रोजेक्ट कास्ट का विवरण उपलब्ध कराये जाने हेतु अनुरोध किया गया है जो कि अप्राप्त है। अग्रेतर इस कार्यालय के पत्रांक—81 दिनांक—23/04/2025 द्वारा मै0गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा0लि0 को प्रोजेक्ट कास्ट का विवरण उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसके कम में श्री जितेन्दर सिंह बाजवा, पूर्व निदेशक द्वारा प्रोजेक्ट कास्ट रू0 54,99,65,714/— सूचित किया गया है। छायाप्रतियां संलग्न हैं। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में यह भी सूचनीय है कि मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद, लखनऊ खण्डपीठ में योजित WRIT-C No-4816 of 2024 Suez India Pvt Ltd, Through Its Authorised Signatory, Rajesh Chandra Mathpal Vs Uttar Pradesh Pollution Control Board, Through Its Chairman and 6 Others में पारित आदेश दिनांक—17/07/2025 के दृष्टिगत इस कार्यालय द्वारा कंपनी के विरूद्व अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। मा0एनजीटी द्वारा प्रोजेक्ट प्रोपोनेंट पर अधिरोपित की गयी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रूपया 10 करोड़ मात्र की रिकवरी किये

जाने हेतु बोर्ड मुख्यालय के पत्र संख्या–.एच29452 दिनांक–23/6/2025 द्वारा आर0सी0 जारी की गयी है जो कि वर्तमान तक अप्राप्त है। छायाप्रति संलग्न है।

3. बिन्दु संख्या– V के अनुपालन में संबंधित क्षेत्र का इन्वायरनमेंटल रेमेडियेशन प्लान (ERP) तैयार किया गया है जो कि संलग्न है।
4. बिन्दु संख्या–VII के अनुपालन में मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र संख्या–MeDA/25-26/EN/12677-1 दिनांक–28/5/2025 के अनुसार मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा बाहय विकास निधि के अंतर्गत ग्रीनवुड सिटी के समीप से 200एमएम डाया के कास्ट आयरन पाइप लाइन बिछाकर वेदव्यासपुरी की ट्रंक सीवर के मेनहोल में जोड़ दिया गया है जिसका डिस्पोजल वेदव्यासपुरी के एसटीपी से ट्रीट होकर मुख्य नाले में किया जाता है। छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्तानुसार आख्या मा0एनजीटी के समक्ष प्रस्तुत किये जाने हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(भुवन प्रकाश यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. आयुक्त, मेरठ मण्डल, मेरठ को उनके पत्रांक–1052/प्राधि0सहा0–2025 दिनांक–16/07/2025 के अनुपालन में।
2. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ को उनके पत्रांक–5073/ओएसडी–कैम्प/2025 दिनांक–14/05/2025 एवं 5273/ओएसडीकैम्प/2025 दिनांक–14/06/2025 के अनुपालन में।
3. सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. उपजिलाधिकारी, मेरठ को उनके पत्र दिनांक–08/08/2025 सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
5. विधि अधिकारी–प्रथम, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Environmental Remediation Plan (ERP) for Housing Society/Housing Townships

In the Hon'ble NGT matter OA No-492/2022 Pb dated 04/03/2025

Environmental Remediation Plan based on environmental damages mentioned in/can be categorized under:

1. **Choking Problem remediation plan:**

Green Wood City is developed by M/s. Godwin Construction Pvt. Ltd., situated at Village-Rampur Pavti on Khasra No- 409, 410/2,410/3, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420,422,423 & Village-Maliyana 1626,1627, 1628P and Village- Panchi Khurd 521P, Bye Pass Road, Baghpat Road, Crossing Meerut is having spread area of 8.128 hectare (81,279.02 Square Meter) Residential Society is experiencing severe environmental and health issues due to frequent choking of internal drains. The absence diseases, this remediation plan aims to address these issues effectively by installing an adequate drainage infrastructure and improving sanitation conditions. Of a proper underground drainage system connected to the municipal sewer manhole leads to wastewater overflow, foul odors, and increased risk of vector-borne.

Existing Environmental Issues-

1. **Wastewater Overflow**- Stagnation and overflow of sewage water in internal drains and on roads and open spaces
2. **Mosquito Breeding**- Increased risk of diseases like dengue and malaria due to waterlogging
3. **Foul Odor**- Unpleasant smell from blocked and overflowing drains
   Unhygienic Conditions- Growth of flies, rodents, and other pests
4. **Surface Water Pollution**- Overflow contaminates nearby drains of Rajbaha.

Remediation Actions-

1. Assess the current condition and identify choke points
2. Cleaning & De-silting Remove debris, silt, and solid waste manually or mechanically.
3. Pipeline Installation Lay underground pipes (PVC or RCC) with appropriate Diameter and slope
4. Connection to Manhole Connect internal drains to nearest municipal sewer Manhole
5. Construction of new chambers and inspection of existing ones and their revamping as well as repair.
6. Testing & Commissioning
7. Test the flow and seal all joints to prevent leakage

As per the letter of MDA dated 01/08/2025, the cost for maintaining the roads, constructing new roads, developing parks, Green Belt Development, implementing rainwater harvesting systems, ensuring sewage connectivity, de-choking, sewage network remediation, and the construction of sumps, manholes, and drainage development has been stated as **₹6,99,60,925/-**,Enclosed as ***Annexure-I*** with this plan.

Additionally, Recently MDA has estimated cost amounting Rs-39,21,626.73/-(Say 39.22 Lakhs) approve for the purpose of connecting the sump near to the main sump which is finally discharging the sewage to the Vedvyaspuri STP, as per Cost Analysis Report by MDA,Enclosed as ***Annexure-II.***

Hence, the total estimated cost is:
₹6,99,60,925 + ₹39.22 = ₹7,38,82,925/-

Liquid Waste remediation plan implementation tentative cost calculation

Total Township area = 8.127296 hectare
Location =Green Wood City, Meerut
Total No. of Plots= 319 Nos.
Total No. of Duplex= 143 Nos.
Total No. of Villas= 87 Nos
Total No. of Multistoried Flats = 204 Nos.
Total No. of Flats 3 BHK = 160 Nos.
Total No. of Flats 2 BHK = 339 Nos.
Total No.of Shops on 500 Sqmt (Three Storied) = 55 Nos.
Gym space of 200 sq yards at fourth floor) = 1 Nos.
Total No. of=204+319+339+143+87+160+55+1=1308

Total Capita = 1308 * 06 = 7848 ≈ 7800

Per capita Liquid Water Consumption = 7800*135 Lpd= 1.053 MLD*
As per **Bureau of Indian Standards (BIS)** norms, water consumption in a **residential society** is defined in **IS 1172:1993 – Code of Basic Requirements for Water Supply, Drainage and Sanitation.**
135 lpcd is the standard used for designing domestic water supply in urban residential societies.
General Rule: 85% of the total water supplied is considered to be **converted into sewage.**
Per capita Liquid waste generation = 0.895 MLD*

I.Proposal for New Sewage Treatment Plant(0.9 MLD MBBR Technology)

The Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) technology is an advanced and efficient method for biological sewage treatment. It is based on the growth of biofilm on specially designed plastic carriers that move freely within the reactor tank, ensuring optimal contact between wastewater and microorganisms. MBBR STPs are ideal for decentralized applications due to their compact footprint, flexibility, and ability to handle fluctuating loads.

The Moving Bed Biofilm Reactor (MBBR) process is a modern and efficient biological wastewater treatment technology that is highly suitable for residential applications due to its operational efficiency, compactness, and regulatory compliance. The following technical and operational advantages support the adoption of MBBR technology in residential zones:

1. Compact and Space-Efficient Design
2. High Treatment Efficiency
3. Modular and Scalable System
4. Low Sludge Generation and Operational Simplicity

5. Odours-Free and Noise-Free Operation
6. Compliance with Environmental Norms
7. Energy Efficiency and Cost-Effectiveness

Cost of STP PROPOSED

The Sewage Treatment Plant (STP) is designed for a treatment capacity of 0.9 MLD, the civil structures -including the Equalization Tank, Aeration Tank (MBBR based), and Settler Tank -have been designed with a total volumetric capacity of approximately 2700 KL. This sizing is based on the required Hydraulic Retention Time (HRT), process flow rate, and peak flow management parameters. Such a design not only ensures efficient biological treatment and flow balancing but also provides inherent capacity buffer for operational flexibility and potential future expansion by upgrading only the electromechanical components.

This cost includes construction of the following RCC-based tanks and civil units:

- Equalization Tank
- Aeration Tank
- Settler/Clarifier Tank
- Inlet chambers, outlet chambers, manholes, and internal piping
- Plastering, waterproofing, and basic finishing
- Site development around the tanks

As per Thumb Rule the Designed Capacity: ~2700 KL to meet HRT and flow balancing needs for 900 KLD input
Per KLD Civil Cost (avg.): ~₹4460 × 2700 KL = ₹1,20,42,000.0/-

Per KLD Electromechanical Cost Calculation:

- **Capacity** = 900 KLD
- **Per KLD Cost(avg.):** ~₹3500 × 900 KL
- **Total Electromechanical Cost** = ₹31,50,000/-

❖ **Price of equipment for STP (Civil& Fabricated Work):Rs. 1,51,92,000.00 (One Crore Fifty One lakhs Ninety Two Thousand's only)**

2. **Solar Panel**

STP designed for society should run on Solar panel.
Approx. 300 KWh as Approximate Rs 25000 per KWh is required for solar panel.
So 25000*300= **Rs 75,00,000/-**

The thumb rule for solar PV installations is **₹22,000–₹27,000 per kW** (inclusive of modules, inverters, BOS, and installation) depending on capacity and technology.

The installation of solar panels shall be designed and implemented in accordance with the guidelines issued by the **Ministry of New and Renewable Energy (MNRE), Government of India.**

3. **Solid waste remediation plan:**

This report outlines a comprehensive and sustainable remediation strategy for the Unsafe Disposal of Municipal Solid Waste (MSW) at Green Wood City,

It includes scientific Waste removal, soil restoration, and the establishment of an Integrated Material Recovery Facility (MRF) with sanitary waste incineration and Organic waste.

As per CPCB, Ministry of Housing and Urban Affairs (MoHUA), and ERP estimates for Green Wood City (population ≈ 7,800), solid waste generation is ~5.07 TPD (0.65 kg/person/day), comprising ~60% biodegradable (~3.04 TPD), 25–30% recyclables (~1.27–1.52 TPD), ~5% sanitary/hazardous (~0.25 TPD), and ~10% inert (~0.51 TPD).

Biodegradable waste will be managed through **10 decentralized OWCs (1.0 TPD).** Recyclables will be channelized to the MRF, sanitary/hazardous waste sent for **incineration/co-processing**, and inert residues disposed of at an **engineered landfill.**

Collection will be done **door-to-door using segregated bins (green, blue, red) and GPS-enabled vehicles.** Legacy waste will be remediated via **bio-mining, soil restoration, and greening of reclaimed land**, ensuring compliance with SWM Rules, 2016.

Solid Waste remediation plan implementation tentative calculation

Total Township area = 8.127296 hectare
Location =Green Wood City, Meerut
Total No. of Plots= 319 Nos.
Total No. of Duplex= 143 Nos.
Total No. of Villas= 87 Nos.
Total No. of Multistoried Flats = 204 Nos.
Total No. of Flats 3 BHK = 160 Nos.
Total No. of Flats 2 BHK =339 Nos.
Total No.of Shops on 500 Sqmt (Three Storied) = 55 Nos.
Gym space of 200 sq yards at fourth floor) = 1 Nos.
Total No. of= 204+319+339+143+87+160+55+1=1308
Total Capita = 1308 * 06 = 7848 ≈ 7800
Per capita Solid Waste generation = 7800*0.65kg=5.07 MTPD

As per the **Solid Waste Management Rules, 2016** and the **commonly adopted thumb rules for municipal solid waste (MSW) estimation in India**, the waste generation has been worked out based on population and average per capita contribution. For urban and semi-urban regions, the **standard thumb rule** indicates that every individual generates approximately **0.60–0.65 kg of waste per day.**

Considering the present population of **7,800 persons**, and applying the thumb rule of **0.65 kg/capita/day**, the total municipal solid waste generation is calculated as:

7,800×0.65=5,070 kg/day≈5.07 TPD

Further, as per the **composition thumb rule of MSW in India**, the waste is generally classified into four broad categories:

3. **Solid waste remediation plan:**

This report outlines a comprehensive and sustainable remediation strategy for the Unsafe Disposal of Municipal Solid Waste (MSW) at Green Wood City.

It includes scientific Waste removal, soil restoration, and the establishment of an Integrated Material Recovery Facility (MRF) with sanitary waste incineration and Organic waste.

As per the Solid Waste Management Rules, 2016 and ERP estimates for Green Wood City (population ≈ 7,800), solid waste generation is **~32.76 TPD** (4.2 kg/person/day) comprising **~60% biodegradable (19.66 TPD), 25–30% recyclables (8.19–9.83 TPD), ~5% sanitary/hazardous (1.64 TPD), and ~10% inert (3.28 TPD).**

Biodegradable waste will be managed through **10 decentralized OWCs (1.0 TPD)** and additional centralized composting/biomethanation (~18.6 TPD). Recyclables will be channelized to the MRF, sanitary/hazardous waste sent for **incineration/co-processing**, and inert residues disposed of at an **engineered landfill.**

Collection will be done **door-to-door using segregated bins (green, blue, red) and GPS-enabled vehicles.** Legacy waste will be remediated via **bio-mining, soil restoration, and greening of reclaimed land**, ensuring compliance with SWM Rules, 2016.

Solid Waste remediation plan implementation tentative calculation

Total Township area = 8.127296 hectare
Location =Green Wood City, Meerut
Total No. of Plots= 319 Nos.
Total No. of Duplex= 143 Nos.
Total No. of Villas= 87 Nos.
Total No. of Multistoried Flats = 204 Nos.
Total No. of Flats 3 BHK = 160 Nos.
Total No. of Flats 2 BHK = 339 Nos.
Total No.of Shops on 500 Sqmt (Three Storied) = 55 Nos.
Gym space of 200 sq yards at fourth floor) = 1 Nos.
Total No. of=204+319+339+143+87+160+55+1=1308

Total Capita = 1308 * 06 = 7848 ≈ 7800
Per capita Solid Waste generation = 7800*0.65kg=5.07 MTPD

As per the **Solid Waste Management Rules, 2016** and the **commonly adopted thumb rules for municipal solid waste (MSW) estimation in India**, the waste generation has been worked out based on population and average per capita contribution. For urban and semi-urban regions, the **standard thumb rule** indicates that every individual generates approximately **0.60–0.65 kg of waste per day.**

Considering the present population of **7,800 persons**, and applying the thumb rule of **0.65 kg/capita/day**, the total municipal solid waste generation is calculated as:

7,800×0.65=5,070 kg/day≈5.07 TPD

Further, as per the **composition thumb rule of MSW in India**, the waste is generally classified into four broad categories:

- **Biodegradable Waste (~60%)** mainly food and kitchen residues, green waste, etc.
- **Recyclables (~25–30%)** – plastics, paper, glass, metals, and other recoverable items.
- **Sanitary/Hazardous (~5%)** – diapers, sanitary napkins, domestic biomedical and hazardous items.
- **Inerts (~10%)** – dust, silt, construction debris, and other non-recoverables.

Accordingly, out of the total **5.07 TPD of waste**, about **3.04 TPD will be biodegradable**, around **1.27–1.52 TPD will be recyclables**, nearly **0.25 TPD will be sanitary/hazardous**, and about **0.51 TPD will be inert fraction.**

Thus, as per the thumb rule, the waste stream generated is predominantly biodegradable and recyclable in nature, requiring proper segregation, collection, treatment, and safe disposal in line with the Solid Waste Management Rules, 2016.

4. Material Recovery Facility (MRF)

A decentralized Material Recovery Facility (MRF) will be provided to handle about **1.3–1.5 TPD of dry and recyclable waste** generated from the community. The facility will include sorting zones, storage space, and safety provisions. Recovered materials such as plastics, paper, glass, and metals will be channelized to authorized recycling partners, thereby reducing the burden on landfills and promoting resource recovery.

5. Organic Composting Remediation Plan

It is propose to provide a semi-automatic Organic Waste Composter (OWC) to process **5000 kg/day of kitchen and garden waste.** Organic waste forms over 60% of household waste and, if untreated, causes odour, pests, and methane emissions. The OWC will convert wet waste into compost in 10–12 days, promoting decentralized and sustainable waste management. Key features include: stainless steel body, built-in shredder, air blower, leachate drainage, odor control, and curing trays. Green bin collection is done daily, waste is shredded, processed, and monitored for moisture and temperature. Cured compost is harvested and used, with routine maintenance by trained staff.

Estimated Cos Item	Estimated Cost (INR)
Semi-Automatic Composting Machine (5000 kg/day)	₹2,10,000.00
Shredder	₹14,300.00
Curing Trays and Buckets	₹9,200.00
Microbial Activators & Consumables (1 year)	₹4500.00
Installation & Site Preparation	₹10,500.00
Total Estimated Cost	₹2,48,500.00 (approx.)
Total Required -10 No's	₹24,85,000.00

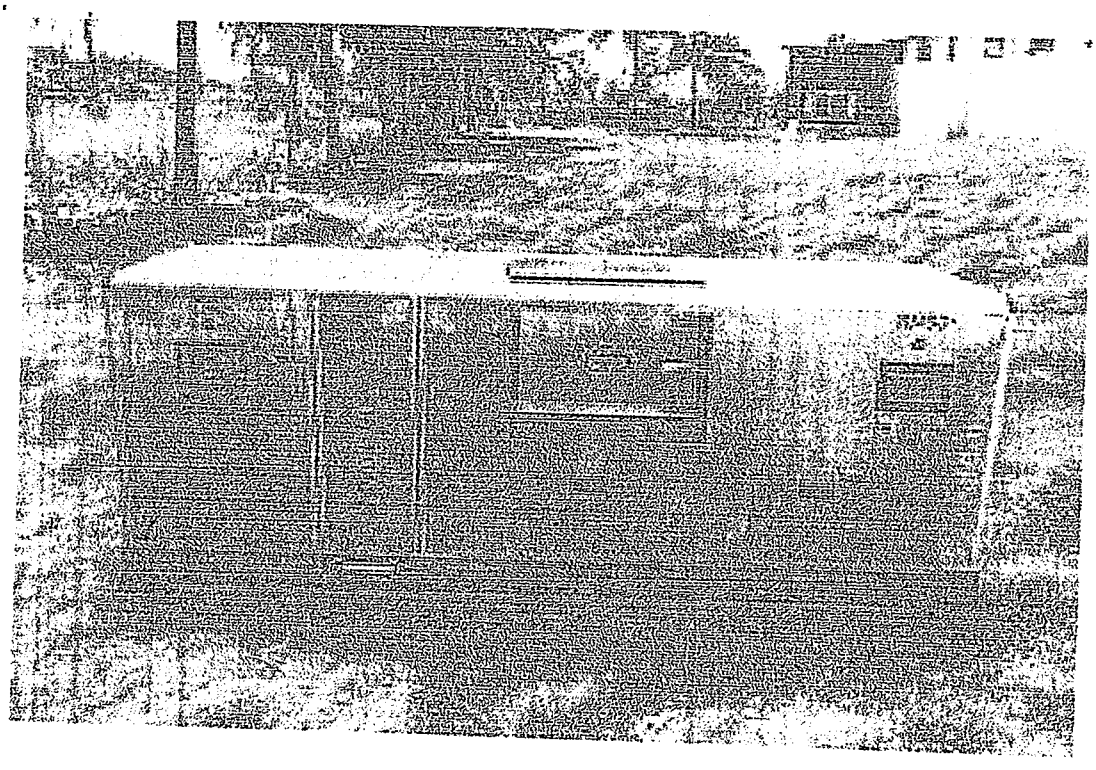

Environmental Remediation Plan – Cost Summary (Green Wood City, Meerut)

S. No.	Component	Description	Estimated Cost (INR)
A.	Drainage Remediation	De-choking system: pipeline, slope, manhole, chambers, cleaning, Road etc. as MDA	₹6,99,60,925.00/-
B	Sewage Treatment Plant (0.7 MLD)	Civil work (2700 KLD× ₹4460)	₹1,20,42,000.00/-
		Electro-mechanicals components (900 KLD × ₹3500)	₹31,50,000.00/-
		Subtotal – STP Cost	**₹1,51,92,000.00/-**
C	Temporary Pumping Arrangement	Pumping system to Vedvyaspur STP	₹39,22,000.00
D	Solar Panel System	300 kWh @ ₹25,000 per kWh	₹75,00,000.00
E	Organic Waste Composting	10 composting machines + accessories	₹24,85,000.00
F	Solid Waste Management Infrastructure	Segregation bins (6 × ₹400 × 1252 houses)	₹24,52,800.00
		Material Recovery Facility (MRF)	₹21,10,000.00
		E-waste/hazardous kiosk	₹5,00,000.00
		GPS-enabled collection vehicles (2 units @ ₹11.49L)	₹22,89,000.00
		Subtotal – SWM Infra	**₹73,51,800.00**
G	SWM Operations & Maintenance (Annual)	Staff Salaries	₹43,20,000.00
		Maintenance of vehicles and composting units	₹12,00,000.00
		Consumables (gloves, PPE, Uniforms, fuel, etc.)	₹8,00,000.00
		Subtotal – O&M	**₹63,20,000.00**
H	Contingency & Miscellaneous	Inflation buffer, unforeseen expenditures	₹10,27,140.00
	Subtotal A–H		₹11,37,58,865.00
	Rounded Approximate Total		₹11.38 Crore

The above Environmental Remediation Plan amounting Rs. 11.38 Cr is submitted in compliance of the order of Hon'ble NGT.

The above plan has been prepared based on field observation and to the best available information to the committee.

The above cost may vary as per various SORs of departments like PWD, CPWD, and Electrical Department etc.

(Bhuvan Prakash Yadav)
Regional Officer
UP Pollution Control Board
Meerut

(Vandna)
Divisional Forest Officer,
Meerut

(Suryakant Tripathi)
Additional District Magistrate(F/R)
Meerut

B/P- ANNEXURE-1 607

मेरठ विकास प्राधिकरण

अक्रमेणानुपायेन कर्मारम्भो न सिध्यति

Stamp of Integrity

पत्रांक :- MeDA/25-26/P/19074-4

दिनांक :- 01/08/2025

सेवा में,

क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी
क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पॉकेट-टीसी-3/2, पल्लवपुरम फेज-2
मेरठ।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 492/2022 Green wood City Villa jan Welfare Society & Aur Godwin Construction Company Pvt. Ltd. & Ors में पारित Judgment दिनांक 04.03.2025 के अनुपालन के सम्बन्ध मे।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक स्वकीय पत्र सं0 999/G/OA-497/2022/MRT/2025 दिनांक 15.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके माध्यम से आपके द्वारा ग्रीनवुड सिटी की कुल प्रोजेक्ट कॉस्ट का विवरण चाहा गया है। उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि विकासकर्ता द्वारा आन्तरिक विकास कार्यो के सापेक्ष एस्टीमेट प्रस्तुत किया जाता है, जिसके आधार पर ही विकासकर्ता द्वारा बैंक गारन्टी अथवा भूखण्ड बंधक रखे जाते है। विकासकर्ता द्वारा तलपट मानचित्र सं0 28/06 की स्वीकृति दिनांक 26.09.2007 के अर्न्तगत विकासकर्ता द्वारा प्रस्तुत आन्तरिक विकास कार्यो की आगणित धनराशि रू0 2,29,73,296.00 थी। प्राधिकरण के अभियंत्रण अनुभाग द्वारा आन्तरिक विकास कार्यो की आगणित धनराशि रू0 2,29,73,296.00 को वर्तमान में कॉस्ट इन्डेक्स के आधार पर रू0 6,99,60,925.00 गणना कर प्रेषित की गई थी।

कृपया अवगत होने का कष्ट करें।

CO
PP
11/8/25

Anand Kumar Singh
सचिव
Digitally Signed
01/08/2025 11:00 PM

S. PAL AND A———CIATES
(Engineers, Architects & Valuers)
25, Shivlok Complex (Opp. Co-operative Bank), W. K. Road, Meerut.

Surendra Pal
B.E. (Hons.) Civil MIE (India) FIV
Chartered Engineer and Consultant
Govt. Approved Valuer
Approved Engineer Factory Act
& Meerut Development Authority
Panel Valuer of L I C
Panel Valuer of Allahabad Bank &
Indian Overseas Bank

Ref. No. ....

Dated 29.08.2017

"GREEN WOOD CITY"

Estimate for development of the residential colony "GREEN WOOD CITY" situated at Khasra Nos. Rampur Pavti 409,410/2, 410/3, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420,422, 423 & Village Maliyana 1626,1627, 1628P, & Vilalge Panchli Khurd 521P, Bye-Pass Road, Baghpat Road Crossing Meerut (Godwin Construction Pvt. Ltd).

Abstract of Cost

1.	Road Work	Rs.	1,01,05,471.52
2.	Culverts	Rs.	7,29,387.10
3.	Drain Work	Rs.	16,37,051.40
4.	Water Supply	Rs.	18,40,550.00
5.	Sewage System	Rs.	76,87,980.00
6.	Parks & Rain Harvesting System	Rs.	9,72,856.00
	Total	Rs.	2,29,73,296.02
	Say	Rs.	2,29,73,296.00

(Rupees Two Crore Twenty Nine Lacs Seventy Three Thousand Two Hundred Ninety Six only)

Surendra Pal
B.E. (Hons.) Civil MIE (India)
Govt. Approved Valuer
Regd. No.-KNP/CAT-1/145/95-96

22/9/17 J.E.

An ISO 9001:2008(102516-A01) Certified Company

CHAUHAN & CHAUHAN ASSOCIATES

Engineers, Designer & Surveyor

C-484, GANGA NAGAR MEERUT. EMAIL - info@landsurvey.in

Name of Work: Proposed Rising main Green Wood City At By-Pass Road, Baghpat Road Crossing , Meerut

ASTRACT OF COST

S.N.	Estimated Cost	Amount (Rs.)	
1	Laying of Rising Main	Rs.	₹ 8,10,666.07
2	Pumping Station	Rs.	₹ 16,81,176.21
3	MECHANICAL WORK FOR RISING MAIN	Rs.	₹ 7,76,180.00
4	TOTAL ESTIMATED COST	Rs.	₹ 32,68,022.28
5	Add 1% Contingency	Rs.	₹ 32,680.22
6	Add 1% LABOUR CESS	Rs.	₹ 32,680.22
	ADD GST @18%	Rs.	₹ 5,88,244.01
	GRAND TOTAL	Rs.	₹ 39,21,626.73
	AMOUNT IN LAKH		₹ 39.22

Chauhan and Chauhan Associates * MEERUT 9412104019

Phone :- 0121-2577676
Email id :- romeerut@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पॉकेट–TC–3/2, पल्लवपुरम फेज–II, मोदीपुरम, मेरठ–250110

पत्रांक–220/G/OA-492/2022/MRT/2025

सेवा में,

दिनांक– 26-5-25

उपाध्यक्ष,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

मा0एनजीटी प्रकरण

विषय– मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 492/2022 **Green wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Vs Godwin Construction Company Pvt Ltd & Ors** में पारित **Judgment** दिनांक–04/03/2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पूर्व प्रेषित पत्रांक–82/सी/ओए–492/2022/जीडब्लूसी/एमआरटी/2025 दिनांक–23/04/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। तत्क्रम में अवगत कराना है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 492/2022 Green wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Vs Godwin Construction Company Pvt Ltd & Ors में पारित Judgment दिनांक–04/03/2025 पारित किया गया है। वाद में मेरठ विकास प्राधिकरण, Respondent-2 है। Judgment के संबंधित मुख्यांश निम्नवत हैं–

....

"83. *In view of the above, we dispose of this OA with the following directions:*

....

(IV) Respondent 3 is directed to collect relevant information including project cost from respondents 1 and 2 and thereafter, compute final environmental compensation in the light of the law laid down by Supreme Court in Goel Ganga Developers vs Union of India and Others (supra) and after adjusting the amount of interim compensation as imposed as above, shall take steps for recovery of the remaining of environmental compensation from respondent 1, in accordance with law.

....

(VII) MDA, in the meantime, shall take necessary steps to ensure that sewage is not collected in the project area in violation of Section 24 of Water Act, 1974 and if connecting pipeline is to be replaced with a higher capacity line, necessary steps shall be taken by MDA. This action shall be taken by MDA within 02 months........ "

....

उक्त Judgment की प्रति पूर्व में अनुपालनार्थ प्रेषित की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण में पारित Judgment के अनुपालन में मेरठ विकास प्राधिकरण के स्तर से संबंधित उक्त बिन्दुओं यथा प्रोजेक्ट कास्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराये जाने एवं परियोजना के भीतर सीवेज कलेक्शन सहित आवश्यकतानुसार उच्च क्षमता के पाइपलाइन की व्यवस्था किये जाने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें। सूच्य है कि प्रकरण में जिलाधिकारी महोदय, मेरठ एवं उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की ओर से समबद्व रूप से अनुपालन आख्या प्रस्तुत की जानी है।

भवदीय

(भुवन प्रकाश यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त–3), उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

Phone :- 0121-2577676
Email id :- romeerut@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पॉकेट–TC–3/2, पल्लवपुरम फेज–II, मोदीपुरम, मेरठ–250110

पत्रांक– 999/C3/OA-492/2022/mRT/2025

दिनांक– 15-7-25

सेवा में,

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

विषय– मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 492/2022 **Green wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Vs Godwin Construction Company Pvt Ltd & Ors** में पारित **Judgment** दिनांक–04/03/2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने स्वकीय पत्रांक–MeDA/25-26/EN/12677-3 दिनांक–11/07/2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मै0 गाडविन कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0(डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा) द्वारा एनएच–58, बागपत चौराहा बाईपास रोड, मेरठ पर ग्रीनवुड सिटी नाम से तलपट मानचित्र विकास प्राधिकरण से स्वीकृत कराये जाने एवं वर्तमान में आंतरिक विकास कार्य की प्रोजेक्ट कास्ट इण्डेक्स के अनुसार रूपये 6,69,60,925.00/– होना अवगत कराया गया है।

महोदय उक्त के संबंध में अवगत कराना है कि मा0एनजीटी के उक्त निर्णय के अनुसार ग्रीनवुड सिटी की कुल प्रोजेक्ट कास्ट का विवरण अपेक्षित है।

अतः अनुरोध है कि संबंधित प्रोजेक्ट की कुल प्रोजेक्ट कास्ट से इस कार्यालय को यथाशीघ्र अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(भुवन प्रकाश यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

Phone :- 0121-2577676
Email id :- romeerut@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय
उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
पॉकेट-TC-3/2, पल्लवपुरम फेज-II, मोदीपुरम, मेरठ-250110

पत्रांक- 81/C/OA-492/2022/G.C.C.Pvt.Ltd/MRT/2025

दिनांक- 23-04-25

मैo गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राoलिo,
नीयर गाडविन होटल,
बागपत बाईपास रोड, मेरठ।

माoएनजीटी प्रकरण/तत्काल

विषय- माo राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओoएo 492/2022 **Green wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Vs Godwin Construction Company Pvt Ltd & Ors** में पारित **Judgment** दिनांक-04/03/2025 के अनुपालन के संबंध में।

उपरोक्त विषयक आप अवगत हैं कि माo राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओoएo 492/2022 Green wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Vs Godwin Construction Company Pvt Ltd & Ors में पारित Judgment दिनांक-04/03/2025 पारित किया गया है। वाद में Godwin Construction Company Pvt Ltd Respondent-1 है। Judgment के संबंधित मुख्यांश निम्नवत हैं-

....

83. In view of the above, we dispose of this OA with the following directions:
(I) We direct respondent 1 to make the provisions for treatment of sewage generated in the project area by constructing STP of requisite capacity and make it operational within 06 months from the date of this judgment.

....

(III) We direct respondent 1 (project proponent), as an interim measure, to pay environmental compensation of Rs.10 Crores and deposit the same within three months with respondent 3 i.e., UPPCB.
(IV) Respondent 3 is directed to collect relevant information including project cost from respondents 1 and 2 and thereafter, compute final environmental compensation in the light of the law laid down by Supreme Court in Goel Ganga Developers vs Union of India and Others (supra) and after adjusting the amount of interim compensation as imposed as above, shall take steps for recovery of the remaining of environmental compensation from respondent 1, in accordance with law

....

(VI) In case of failure on the part of respondent 1 in complying any part of directions given above, appropriate coercive action including criminal and other action, as are permitted in law, shall be taken by respondent 3 so as to seek compliance of directions given above

....

उक्त Judgment की प्रति पूर्व में आपको अनुपालनार्थ प्रेषित की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत प्रकरण में पारित Judgment के उक्त बिन्दुओं के अनुपालन मे तत्काल कार्यवाही प्रारंभ की जाये एवं वाद से आच्छादित परियोजना की प्रोजेक्ट कास्ट इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय
(भुवन प्रकाश यादव)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
1. जिलाधिकारी महोदय, मेरठ।
2. मुख्य पर्यावरण अधिकारी(वृत्त-3), उoप्रoप्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ।

क्षेत्रीय अधिकारी

दिनाँक :-06/05/2025

सेवा मे,
क्षेत्रिय अधिकरी
उत्तरप्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड
मोदीपुरम मेरठ,

महोदय

आप द्वारा मांगी गई जानकारी के सन्दर्भ मे व्यक्तिगत रूप से प्रोजेक्ट के निर्माण के समय की परियोजना लागत के सन्दर्भ मे साक्ष्य सहित जानकारी उपलब्ध करा रहा हूँ:-

NO	NO OF UNIT	TYPE	AREA		TOTAL AREA	SALE VALUE	AMOUNT
V-01 TO V-86	86	VILLAS	209.16	SQM	17987.76	2200000	189200000
P-1 TO P-9	9	PLOT	334.87	SQM	3013.83	3400/-SQM	10247022
D-1 TO D-143	143	DUPLEX	112.35	SQM	16066.05	1400000	200200000
P-10 TO P-173	164	PLOT	162	SQM	26568	3400/-SQM	90331200
D-144 TO D-171	28	PLOT	155.55	SQM	4355.4	3400/-SQM	14808360
M-1 TO M-119	118	PLOT	112.61	SQM	13287.98	3400/-SQM	45179132
TOTAL COST							549965714

चौव्वन करोड़ निन्यानवे लाख पैंसठ हज़ार सात सौ चौदह रूपए|

द्वारा

जितेंदर सिंह बाजवा
पूर्व निदेशक
गॉडविन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

नोट:-

उक्त जानकारी तद्समय किये गए सौदों व बेनको के अनुरूप तथा कलेक्टर मेरठ के द्वारा तय सर्किल रेटो के अनुसार है माननीय न्यायादीश महोदय द्वारा वर्षो बाद आज के अनुरूप आंकलन करा गया है जबकि प्रोजेक्ट 2007 का प्रक्षगत है |

सेवा में,

दिनाँक :-06/05/2025

क्षेत्रिय अधिकरी
उत्तरप्रदेश प्रदुषण नियंत्रण बोर्ड
मोदीपुरम मेरठ,

आपके पत्र दिनांक 23/04/2025 जो माननीय N.G.T प्रकरण के सन्दर्भ मे है की एक प्रति मेरे पूर्व कार्यालय में प्राप्त हुई उक्त सन्दर्भ मे अवगत कराना चाहूंगा कि :-

1. यह आवासीय कॉलोनी मैसर्स गॉडविन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वर्ष 2007 मे बिकसित की गई थी तथा तद समय के सभी प्रावधान पूर्ण कर कर यह कॉलोनी विकसित की गई थी एवं उक्त कॉलोनी मे सीवर लाइन की समुचित व्यवस्था कर कर उक्त लेआउट को प्राधिकरण से स्वीकृत कराया गया था तथा किसी भी समय उक्त लाइन चार्ट के अनुरूप मौके पर पुष्टि की जा सकती है कोई अव्यवस्था नहीं थी।
2. उक्त सीवर लाइन को हमारे द्वारा कॉलोनी के बहार एक बिंदु पर छोड़ा जाना स्वीकृत किया गया था तथा उक्त स्थल से आगे की व्यवस्था मेरठ विकास प्राधिकरण को करनी थी तथा अपनी सीवर लाइन से उसे जोड़ना था हमारा कोई दायित्व अपनी कॉलोनी से बहार का नहीं बनता है।
3. एसटीपी मेरठ विकास प्राधिकरण के पाइपलाइन से होते हुए प्राधिकरण द्वारा निर्मित एसटीपी में कनेक्ट होना था एसटीपी लगाना या बनाना हमारे लेऑउट तथा प्राधिकरण से हुए अनुबंध मे दर्शित नहीं था अतः उक्त कॉलोनी मे किसी भी स्थल पर, भूमि पर ऐसा कोई प्रावधान नहीं छोड़ा गया था जो एसटीपी लगा सके।
4. उत्तरप्रदेश सरकार एवं मेरठ विकास प्राधिकरण के कानून के अंतर्गत हमारा दायित्व केवल 5 वर्ष तक उक्त कॉलोनी की देख-भाल का था जो की हमने बखूबी किया तथा सैकड़ो परिवार जो निवास करते थे को कभी कोई परेशानी या शिकायत का अवसर नहीं मिला परन्तु बाद मे रेजिडेंट सोसायटी का गठन होने के बाद यह जिम्मा उनका हो जाता है अतः वह अपना दायित्व पूर्ण करने मे असमर्थ रहे है तथा हमें नाजायज पार्टी बनाया गया है।

5. गत 15 वर्षो मे सैकड़ो भवनों का निर्माण प्लाट धारको द्वारा किया गया है तो सड़के अदि टूट गई होंगी क्योकि ओवरलोड ट्रक बिल्डिंग मटेरियल लेकर आये होंगे।

6. महोदय उक्त जानकारी मे केवल अपनी व्यक्तिगत हैसियत से दे रहा हूँ वर्तमान मे मेरा इस कंपनी से कोई वास्ता नहीं है c अरसा पूर्व उक्त प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर पद से इस्तीफा दे चुका हूँ अर्थात आधिकारिक तौर पर मेरे द्वारा दी गई यह जानकारी व्यक्तिगत है।

7. महोदय ताड समय उक्त कॉलोनी के विकासकर्ता 09 व्यक्ति थे जिनमे से 07 विकासकर्ताओं की मृत्यु हो चकी है तथा गॉडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी का कार्यकाल ख़तम करकर मेरे बाद के डायरेक्टर द्वारा वर्ष 2021 मे कंपनी के बैंक खाते बंद कर कर यह कंपनी डीसालव की जा चुकी है।

8. अतः उक्त परिपेक्ष मैं भविष्य मे मेरे विरुद्ध कोई भी कार्यवाही कानून के अनुरूप मेरे विरुद्ध किया जाना न्याय संगत नहीं पाया जायेगा।

द्वारा

जितेंदर सिंह बाजवा
पूर्व निदेशक
गॉडविन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड

DETAIL OF HOUSES/PLOTS

POCKET/TYPE	SIZE	AREA	SET-BACKS			NOS
			[illegible]	[illegible]	[illegible]	
V-1 TO V-66 [DUP.VILLAS]	9.15X22.86M	209.165SQ.M.	3.0	3.0	-	66
P-1 TO P-9 [DUP.VILLAS]	11.75X28.50M	334.875SQ.M.	4.5	4.5	3.0	09
D-1 TO D-143 [DUP HOUSE]	6.70X16.77M	112.35SQ.M.	2.0	2.0	-	143
						TOTAL 239
P-10 TO P-173 [PLOTS]	9.00X18.00M	162.00SQ.M.	3.0	3.0	-	164
D-144 TO D-171 [PLOTS]	9.23X16.90M	155.55SQ.M.	2.0	2.0	-	76
M-1 TO M-119 [PLOTS]	6.70X15.30M	122.61SQ.M.	2.0	2.0	-	118
						TOTAL 310

TOTAL NOS OF HOSES & PLOTS 548

POPULATION

FOR HOUSES @ 5 PER HOUSE [238X5]	1190 PER.
FOR PLOTSS @ 10 PER/PLOT [118X10], @15 PER/PLOT [28+164X15].	4060 PER.
FOR GROUP HOUSING @ 5 PER/UNIT [100X5]	500 PER.
	TOTAL 5750 PER.

PROPOSED DENSITY AS PER LAY-OUT PLAN 297 PERSONS / HACTOR

PROVISION OF DENSITY AS PER MASTER PLAN 2021 250 TO 300 PER / HACTOR

LEGEND

SITE BOUNDRY

PLOT LINE

SET-BACK

PROP. RESIDENTIAL LAY-OUT PLAN OF GREEN WOOD CITY AT BY-PASS ROAD, BAGHPAT ROAD CROSSING, MEERUT. (GODWIN CONSTRUCTION Pvt. Ltd.)

ON PART OF LAND VILLAGE-RAMPUR PAVTI, VILL.PANCHLI KHURD & VILL. MALIYANA

KH.NOS. - VILL. RAMPUR PAVTI-409,410/2 410/3 411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,422,423

VILLAGE MALIYANA-1626,1627 1628 P.

VILLAGE PANCHLI KHURD-521 P

OWNERS :-

GODWIN CONSTRUCTION Pvt. Ltd. (TH. DIRECTOR SH JITENDER BAJWA)

SH. BHUPENDER BAJWA
SH. JITENDER BAJWA
SMT BALBEER KAUR
SH SHRIRAM ANAND
SH SHAMBHU NATH ANAND
SH SATISH ANAND

P.O.A. TO SH. JITENDER BAJWA

OWNERS SIGN

For Godwin Construction Pvt. Ltd.

Director

N

SCALE :- 1: 1000
DATE :- JULY-2006
DRG. BY :- R S T.

NAGPAL & ASSOCIATES

Architects, Engineers, Planners, Land Scape Designers
Off:- Dr. Bhopal Singh Road, Begum Bagh (Above Bank of Baroda, Begam Bagh), meerut. Off.2663144 Mob-9837031815

PCB-CRCLOCORT/1/2025-CIR3-UPPCB

I/159834/202

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ संख्या: H 23452 / सी–3 / NGT-A / 293 2025 दिनांक 23/06/25

To,

The Collector,
District Meerut.

Sub: **Regarding realization/recovery of Environmental Compensation imposed by Hon'ble NGT against (Project Proponent) M/s Godwin Construction company Pvt. Ltd., Meerut Through its Directors-Shri Jitendra Singh and Shri Bhupendra Singh, Office at Green Wood City Near Godwin Hotel, Baghpat By-Pass Road, Meerut in tune with the order dated 09-08-2024 pronounced on 04-03-2025 by Hon'ble NGT in OA no. 492/2022, Green Wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Versus Godwin Construction Company Pvt. Ltd. Meerut & Ors.**

Please refer to the Order dated (Reserved on August 09, 2024 Pronounced on March 04, 2025) passed by Hon'ble NGT in O.A. No. 492/2022, Green Wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Versus Godwin Construction Company Pvt. Ltd. Meerut & Ors. The main executive portion of the Order is reproduced as below:-

"......83. In view of the above, we dispose of this OA with the following directions: (I) We direct respondent 1 to make the provisions for treatment of sewage generated in the project area by constructing STP of requisite capacity and make it operational within 06 months from the date of this judgment.

(II) For disposal of solid waste in scientific manner and in compliance of Solid Waste Management Rules, 2016, due steps shall be taken by Resident Welfare Association of the project in question. Residents Welfare Association or Villa Jan Welfare Society shall take appropriate steps in consultation with UPPCB within 03 months and UPPCB shall ensure thereafter compliance of environmental laws and norms in respect to handling, management and disposal of solid waste in accordance with environmental laws and norms and if there is any violation, appropriate action shall be taken against the violators.

(III) We direct respondent 1 (project proponent), as an interim measure, to pay environmental compensation of Rs.10 Crores and deposit the same within three months with respondent 3 i.e., UPPCB.

(IV) Respondent 3 is directed to collect relevant information including project cost from respondents 1 and 2 and thereafter, compute final environmental compensation in the light of the law laid down by Supreme Court in Goel Ganga Developers vs Union of India and Others (supra) and after adjusting the amount of interim compensation as imposed as above, shall take steps for recovery of the remaining of environmental compensation from respondent 1, in accordance with law.

(V) Amount of environmental compensation realized from respondent 1 shall be utilized for remediation and rejuvenation of the already damaged environment in the area concerned in accordance with the Environment Development Plan which shall be prepared by Joint Committee comprising UPPCB and District Magistrate, Meerut wherein District Magistrate shall be the nodal agency. This plan shall be prepared within 02 months and executed in the next 04 months.

(VI) In case of failure on the part of respondent 1 in complying any part of directions given above, appropriate coercive action including criminal and other action, as are permitted in law, shall be taken by respondent 3 so as to seek compliance of directions given above.

----2

टी.सी.-12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
ई-मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.up.gov.in

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.up.gov.in

(VII) MDA, in the meantime, shall take necessary steps to ensure that sewage is not collected in the project area in violation of Section 24 of Water Act, 1974 and if connecting pipeline is to be replaced with a higher capacity line, necessary steps shall be taken by MDA. This action shall be taken by MDA within 02 months.

84. A Compliance Report shall be submitted in respect of all the above directions by UPPCB before Registrar General of this Tribunal by 15.08.2025."

UPPCB has also issued letter for compliance of Hon'ble NGT order vide letter no. H-27490/C-3/NGT-293/2025 Dated 28-04-2025 addressed to RO, UPPCB and endorsed to other respondents for compliance of Hon'ble NGT Order (Reserved on August 09, 2024 Pronounced on March 04, 2025) passed by Hon'ble NGT in O.A. No. 492/2022, Green Wood City Villa Jan Welfare Society & Anr Versus Godwin Construction Company Pvt. Ltd. Meerut & Ors. (copy attached).

As per office records the Environmental Compensation imposed against the Project Proponent has not been realized/recovered till date and the matter is listed on 15.08.2025 before Hon'ble NGT. Regional Officer, UPPCB, Meerut has recommended to issue recovery letter against the said Project Proponent vide his letter no. 246/G/OA-492/2022/Meerut/2025 Dated 04-06-2025 with required information and documents (Copy attached).

Hence, in view of above you are hereby requested to recover the same and deposits it into the dedicated account of UPPCB opened in ICICI Bank, Vibhuti Khand-II Branch, Gomti Nagar, Lucknow. The URL of payment gateway is https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB. The cost of the proceedings if any shall be recovered additionally.

1) Amount to be recovered - Rs. 10,00,00,000/- (Rs. Ten Crore only)
2) URL of payment gateway https://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB

Attachment:- As above.

Yours Sincerely,

Digitally signed by
SANJEEV KUMAR SINGH
Date: 23-06-2025
11:30:00

(Sanjeev Kumar Singh)
Member Secretary

CC:-Regional Officer, UPPCB, Meerut for information and necessary action please.

AC

मेरठ विकास प्राधिकरण

अक्रमेणानुपायेन कर्मारम्भो न सिध्यति

BIH-3-G-25

पत्रांक :- MeDA/25-26/EN/12677-1

दिनांक :- 28/05/2025

प्रेषक,

सचिव,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
मेरठ।

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 492/2022 Green wood City Villa jan Welfare Society & ANR versus Godwin Construction Company Pvt Ltd & ORS में पारित Judgment दिनांक 04.03.2025 के अनुपालन के संबंध में।

सन्दर्भः 5073/ओएसडी–कैम्प/2025 दिनांक 14.05.2025

महोदय

कृपया उपरोक्त विषयक पर स्वकीय पत्रांक 5073/ओएसडी–कैम्प/2025 दिनांक 14.05.2025 का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसके अन्तर्गत श्री दीपक राज प्रेमी, अधिवक्ता के पत्र दिनांक 14.05.2025 के द्वारा मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में लम्बित वाद संख्या 492/2022 ग्रीनवुड सिटी बिल जन वेलफेयर सोसाईटी तथा अन्य वनाम गॉडविन कन्सट्रक्शन कम्पनी एंव अन्य के सम्बन्ध में एन0जी0टी0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.03.2025 का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में आख्या चाही गयी है, जिसके क्रम में आख्या निम्नानुसार हैः

मा0 एन0जी0टी0 नई दिल्ली में लम्बित वाद संख्या 492/2022 ग्रीनवुड सिटी बिल जन वेलफेयर सोसाईटी तथा अन्य वनाम गॉडविन कन्सट्रक्शन कम्पनी एवं अन्य में दिनांक 04–मार्च –2025 में पारित आदेश " MDA, in the meantime, shall take necessary steps to ensure that sewage is not collected in the project area in violation of Section 24 of Water Act,1974 and if connecting pipeline is to be replaced with a higher capacity line, necessary steps shall be taken by MDA. This action shall be taken by MDA within 02 months."

उक्त के अनुपालन मे प्रश्नगत स्थल के निरीक्षण में पाया गया कि विकासकर्ता द्वारा ग्रीनवुड सिटी परिसर की आन्तरिक सीवर लाईनों को सम्पवैल एवं पम्पिंग स्टेशन का प्राधिकरण द्वारा निर्मित सीवर लाईन में जोडने का कार्य करा दिया गया है। विकासकर्ता के अनुरोध पर ग्रीनवुड सिटी के सीवर निस्तारण हेतु मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा वाह्य विकास निधि के अन्तर्गत ग्रीनवुड सिटी के समीप से 200 एम.एम. डाया के (Cast iron pipe) पाईप लाईन बिछाकर वेदव्यासपुरी की ट्रंक सीवर मेनहोल में जोडा गया है, जिसका डिस्पोजल वेदव्यासपुरी के एस0टी0पी0 पर ट्रीटेट होकर मुख्य नाले में किया जाता है। ग्रीनवुड कालोनी मे सीवर को परिसर में भ्रमण के दौरान कही पर भी सीवर लाईन में ओवरफ्लो नही है।

कृपया आख्या अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

प्रतिलिपिः–

1. उपाध्यक्ष महोदय को सादर अवलोकनार्थ।
2. क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ को सूचनार्थ।

CO
4/6/25

Anand Kumar Singh
सचिव
Deputy Signed
28/05/2025 11:55 AM

ANNEXURE R-4

2026:AHC:61996-DB

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - C No. - 11221 of 2026

Jitendra Singh Bajwa And Another
.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 9 Others
.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Raghav Dev Garg, Sr. Advocate, Yashvi Agarwal
Counsel for Respondent(s)	:	C.S.C., Jagannath Maurya, Pankaj Srivastava, Shiv Prakash Gupta

Court No. - 1

HON'BLE AJIT KUMAR, J.
HON'BLE VIVEK SARAN, J.

1. Heard Sri Anurag Khanna, learned Senior Advocate assisted by Sri Raghav Dev Garg, learned counsel for the petitioners, Sri J.N. Maurya, learned counsel appearing for U.P. Pollution Control Board, Sri Pankaj Srivastava, learned counsel appearing for Municipal Corporation, Meerut, Sri Shiv Prakash Gupta, learned counsel for respondent no. 8 and learned Standing Counsel for the State respondents.

2. Petitioners before this Court claim to be erstwhile Directors of the Company namely M/s. Godwin Construction Company Private Limited, Meerut and are aggrieved by the recovery citation issued by the Tehsildar, Tehsil Sadar, District Meerut on 09.03.2026 for a recovery of Rs. 10 crores plus other dues in compliance of the order of National Green Tribunal dated 04.03.2025 passed by way of interim measure in Original Application No. 492 of 2022 instituted by Green Wood City Villa Jan Welfare Society and Green Wood City Residents Welfare Association against Godwin Construction Company Private Limited, Meerut, a company registered under the Companies Act for violation of environmental laws resulting in an actionable claim at the end of Residents Welfare Association.

3. It is argued on behalf of the petitioners by Sri Khanna, learned Senior Advocate that a direction issued by the Tribunal since was against the Company, the Directors individually could not have been held liable for the dues qua interim compensation pursuant to the interim order passed

by the Tribunal and hence the recovery at the instance of Collector being pursued through recovery citation issued by Teshildar is *per se* bad. Sri Khanna has drawn the attention of the Court to the order of the Tribunal itself to demonstrate that none of the petitioners were party to the petition filed before the Tribunal, inasmuch as in the execution proceedings instituted before the Tribunal for the execution of interim order, petitioners were not made parties. Taking the legal plea qua the liability of individual Directors towards the liability of the company, Sri Khanna submitted that no individual Director could have been held liable towards the dues of the Company registered under the Companies Act, 2013 and in this regard he has placed reliance upon two authorities of this Court in the matter of **Meekin Transmission Limited & Another v. State of Uttar Pradesh & Others, 2008 SCC OnLine All 161** and **Rakesh Mahajan v. State of U.P. & Others, 2019 SCC OnLine All 4766**. Sri Khanna has further argued that except in cases of tax liability under the Income Tax Act, 1961 and the Commercial tax liability under the Central Goods and Services Tax Act, 2017, no recovery as such could have been directed against the individual Director, inasmuch as, there is no such provision contained under the National Green Tribunal Act, 2010 for the purposes of enforcement recovery against the Directors of the Company individually under the order of Tribunal. He has drawn the attention of the Court to Section 25(3) of National Green Tribunal Act, 2010, which according to him refers the words 'person responsible' and which has been defined as company only within the meaning of Section 2(j) of the said Act. Thus, according to Sri Khanna, the recovery citation is liable to be quashed. However, he is not averse to the recovery being pursued pursuant to the order of Tribunal, and if recovery is issued for the Company's asset to be attached, he shall have no grievance against that as petitioners are not aggrieved by the order of the Tribunal.

4. Meeting the above arguments, Sri J.N. Maurya, learned counsel appearing for U.P. Pollution Control Board submits that the company itself since has stood dissolved, the liability would fall upon the Directors of the Company in view of the provisions as contained under Section 248(7) of the Companies Act, 2013. He further submits that since the recovery proceedings could not be effectively pursued and the order of

Tribunal having not been further challenged, it was after the property had got identified that recovery certificate has been issued. He justified the recovery certificate.

5. Sri Pankaj Srivastava, learned Advocate appearing for Municipal Corporation Meerut submitted that Municipal Corporation has traced out the properties and submitted the same for the purposes of recovery as the recovery issued to the company was being returned repeatedly.

6. Learned Standing Counsel submits that if petitioners are aggrieved by recovery notice and citation issued by the Tehsil Authority under the Collector, they should raise their objection before the Collector of the district concerned, who would be the competent authority under the U.P. Revenue Code, 2006 as recovery citation has been issued under the said Code.

7. Having heard learned counsel for the respective parties and having perused the records, we find there to be no challenge laid to the order passed by the National Green Tribunal, may be as an interim measure for the purposes of depositing environmental compensation of Rs. 10 crores by the company and we find that the direction has been issued to the company itself that was party. There being no quarrel between the parties that the company stood dissolved and is no more in existence, the question therefore, arises as to whether the individual Directors should have been saddled with the liability of recovery pursuant to an order which was admittedly passed against the company only, more especially in the circumstances when the individual Directors are not parties before the Tribunal, even in the execution proceedings.

8. An argument though is sought to be raised on behalf of the respondents that there is no recovery issued against the individual but they do not dispute that recovery citation that has been issued in the name of individual Directors who are petitioners before the Court. It therefore, clearly lies within the domain of the Collector namely the District Magistrate of the district concerned at whose instance the Tehsildar has issued the recovery certificate to determine first as to whether the recovery certificate could have been issued against any individual

Director/ erstwhile Director of a dissolved company towards its dues.

9. In the circumstances, therefore, we find that the limited question that needed to be considered is as to whether recovery certificate issued by the Tehsildar is sustainable or not in the matter of recovery which is sought to be pursued for the realization of environmental compensation under the order of the Tribunal. The recovery is being pursued as an arrears of land revenue taking recourse to the provisions contained under U.P. Revenue Code, 2006 and hence the Collector becomes the ultimate authority to determine as to whether recovery certificate issued is sustainable or not.

10. In such above view of the matter, therefore, if the petitioners who were the erstwhile Directors of the Company are aggrieved by the recovery certificate issued by the Teshildar and consequential citation, may raise their objections before the Collector of the district concerned regarding maintainability and sustainability of recovery certificate and accordingly, we dispose of this petition with direction to the petitioners that in the first instance they would approach the Collector / District Magistrate, Meerut to file their objection against the recovery certified issued in their individual names was bad. They would be filing their objections within a period of two weeks from today and the Collector/ District Magistrate, District Meerut shall be disposing of the same within a further period of six weeks after giving full opportunity of hearing not only to the petitioners but also the U.P. Pollution Control Board as well as the respondent nos. 9 & 10. We further provide that until such objections are disposed of on merit, the recovery certificate dated 06.03.2013 issued against the petitioners and consequential recovery citation dated 09.03.2026 shall remain in abeyance to abide by the final outcome of the decision by the Collector.

11. With the aforesaid observations and directions, this petition stands **disposed of.**

(Vivek Saran,J.) (Ajit Kumar,J.)

March 25, 2026
IrfanUddin

Digitally signed by :-
IRFAN UDDIN SIDDIKI
High Court of Judicature at Allahabad

624

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा रिट याचिका संख्या सी–11221/2026 जितेन्द्र सिंह बाजवा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 एवं 09 अन्य में पारित आदेश दिनांकित 25–03–2026 के क्रम में श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा, पूर्व निदेशक, गॉडविन कन्सस्ट्रक्शन प्रा0लि0, मेरठ के प्रत्यावेदन दिनांक 07–04–2026 की निस्तारण आख्या:–

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में ओ0ए0संख्या 492/2022 ग्रीनवुड सिटी विला जनवेलफेयर सोसाइटी व अन्य बनाम गाडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 व अन्य में दिनॉक 04.03.2025 को पारित आदेश में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा रिस्पांडेट संख्या 01–मै0गॉडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्रा0लि0 थू इटस डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिह आफिस एट ग्रीनवुड सिटी नियर गाडविन होटल बागपत बाईपास रोड मेरठ के विरूद्व 10.00 करोड़ रूपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए उसे वसूलने हेतु उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया। जिसके अनुपालन में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ के पत्रॉक एच 29452/सी–3/एनजीटी–293/2025 दिनॉक 23.06.2025 द्वारा जिलाधिकारी मेरठ को वसूली हेतु पत्र प्रेषित किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या सी–12470/2023 जितेन्द्र सिंह बाजवा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व 04 अन्य योजित की थी। जिसमें मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा सुनवाई उपरान्त दिनॉक 13.04.2023 को आदेश पारित किया गया। जिसके अंश में उल्लेखित है कि– **In view thereof, the writ petition is disposed of, directing the District Magistrate, Meerut, to proceed on the demand notice against the assets of the Company i.e. fourth respondent, and not against the petitioner (Ex-Director), provided the petitioner is liable otherwise being a personal guarantor.**

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा उक्त रिट याचिका में पारित आदेश एवं श्री जितेन्द्र सिह बाजवा द्वारा बताया गया कि कम्पनी के बैंक खाते का वर्ष 2021 में बैकों के साथ लेन–देन पूर्ण बन्द कर दिये गये थे, तदोपरान्त कम्पनी समाप्त कर दी गयी थी, संबंधित उल्लेख करते हुए तहसील द्वारा आर0सी0 विभाग को दिनॉक 30.10.2025 को वापस कर दी गयी।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ई0ए0 संख्या 66/2025 इन ओ0ए0 संख्या 05–01–2026 को बैठक आहूत की गयी। जिसमें अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) मेरठ, सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ, अपर नगर आयुक्त नगर निगम मेरठ तथा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ व अन्य द्वारा प्रतिभाग किया गया। जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अवगत कराया गया कि जो आर0सी0 जारी की गयी है वह वापस दिनांक 30–10–2025 को की गयी है। क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देशित किया गया कि वह मेरठ विकास प्राधिकरण व नगर निगम मेरठ के सहयोग से नई प्रोपर्टी को चिन्हित कर पुनः आर0सी0 निर्गत कराने के संबंध में कार्यवाही करें, जिससे धनराशि की वसूली की जा सके तथा इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय में अद्यतन अनुपालन आख्या प्रस्तुत करायें।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा ई0ए0 संख्या 66/2025 इन ओ0ए0 संख्या 492/2022 ग्रीनवुड विला जनवेलफेयर सोसाइटी व अन्य बनाम गाडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी व अन्य में पारित आदेश दिनॉक 20.02.2026 के अनुपालन में जिलाधिकारी मेरठ की अध्यक्षता में दिनॉक 05.03.2026 को बैठक आहूत की गयी। उक्त बैठक में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से जुडे अनुज चौबे, मुख्य विधि अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ एवं श्री आनन्द कुमार आनंद, मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–3) उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में संबंधित बाकीदार फर्म के विरूद्व रिवाइज्ड आर0सी0 मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ एवं नगर निगम मेरठ द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रोपर्टी संबंधी जानकारी इंगित करते हुए वसूली हेतु शीघ्र उपलब्ध करा दी जायेगी। जिसके कम में मै0 गाडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 मेरठ तथा डायेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिंह कार्यालय, ग्रीनवुड सिटी निथर गाडविन होटल, बागपत बाईपास रोड मेरठ के नाम दर्ज सम्पत्तियों के संबंध में नगर निगम मेरठ के पत्र दिनॉक 16–01–2026, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ के पत्र दिनॉक 18.02.2026 तथा तहसीलदार मेरठ द्वारा उक्त बैठक दिनॉक 05.03.2026 में उपलब्ध करायी गयी खतौनी में अंकित सम्पत्तियों से मा0 अधिकरण द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली किये जाने हेतु पत्र क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ के पत्रॉक 1996/जी/ईए–66/2025/ओए–492/2022/2026 दिनॉक 06.03.2026 द्वारा जिलाधिकारी मेरठ कार्यालय को वसूली प्रमाण–पत्र/आर0सी0 वसूली कराने हेतु प्रेषित की गयी। जिसको संग्रह अनुभाग कलेक्ट्रेट मेरठ द्वारा आर0सी0 संख्या 02/दिनॉक 06.03.2026 वसूली करने हेतु तहसीलदार मेरठ को भेजी गयी। उप–जिलाधिकारी मेरठ द्वारा दिनॉक 11.03.2026 को प्राप्त करायी गयी आख्या में उल्लेख किया गया है कि बाकीदार/फर्म को नियमानुसार आर0सी0 प्रपत्र–36 निर्गत कर तामील कराये जाने का प्रयास किया गया परन्तु बाकीदार के मौके पर न मिल पाने के कारण आर0सी0 प्रपत्र–36 की एक प्रति चस्पा की गयी। जिसमें निर्धारित समय अवधि उपरान्त भी बाकीदार/फर्म द्वारा बकाया धनराशि जमा नही करायी जा रही है। अतः ऐसी दशा में नगर निगम मेरठ एवं मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ द्वारा

क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ के माध्यम से संज्ञानित करायी गयी बाकीदार/फर्म की चल/अचल सम्पत्ति जोकि पत्रावली पर उपलब्ध है, को कुर्क किये जाने हेतु क्षेत्रीय संग्रह अमीन द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर नायब तहसीलदार मेरठ की संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है। जो कि तहसीलदार/उप–जिलाधिकारी मेरठ द्वारा बाकीदार/फर्म की उपलब्ध करायी गयी सम्पत्ति (चल/अचल) को कुर्क कर समयबद्व तरीके से नीलामी कराते हुए अग्रेत्तर कार्यवाही उपरोक्तानुसार मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में की जा रही है।

मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 18–3–2026 के अन्तर्गत आदेशित किया गया कि दिनांक 18–5–2026 तक, 08 सप्ताह में वसूली सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय में शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की जाये।

श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा एवं श्री भूपेन्द्र सिह बाजवा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित सिविल मिस रिट याचिका संख्या 11221/2026 जितेन्द्र सिंह वाजवा एंड अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व 09 अन्य योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित सिविल मिस रिट याचिका संख्या 11221/2026 जितेन्द्र सिह वाजवा एंड अन्य, 2–श्री भूपेन्द्र सिंह वाजवा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व 09 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनॉक 25.03.2026 के बिन्दु संख्या–10 के अर्न्तगत निम्न आदेश पारित किया गया है। जिसका कियात्मक अंश निम्नानुसार है–

In such above view of the matter, therefore, if the petitioners who were the erstwhile Directors of the Company are aggrieved by the recovery certificate issued by the Teshildar and consequential citation, may raise their objections before the Collector of the district concerned regarding maintainability and sustainability of recovery certificate and accordingly, we dispose of this petition with direction to the petitioners that in the first instance they would approach the Collector/District Magistrate, Meerut to file their objection against the recovery certified issued in their individual names was bad. They would be filing their objections within a period of two weeks from today and the Collector/District Magistrate, District Meerut shall be disposing of the same within a further period of six weeks after giving full opportunity of hearing not only to the petitioners but also the U.P. Pollution Control Board as well as the respondent nos. 9 & 10. We further provide that until such objections are disposed of on merit, the recovery certificate dated 06.03.2013 issued against the petitioners and consequential recovery citation dated 09.03.2026 shall remain in abeyance to abide by the final outcome of the decision by the Collector.

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित उक्त आदेश दिनॉक 25–03–2026 के अनुपालन के संबंध में याची श्री जितेन्द्र सिह वाजवा द्वारा प्रत्यावेदन दिनॉक 07–04–2026 जिलाधिकारी कार्यालय मेरठ में प्रस्तुत किया गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पारित आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी कार्यालय मेरठ के पत्र संख्या 1231/सी0आर0ए0/आर0सी0–प्रथम/प्रदूषण/2026–27 दिनॉक 25.04.2026 के द्वारा दिनॉक 30–04–2026 को जिलाधिकारी कार्यकक्ष में सुनवाई में प्रतिभाग करने हेतु याची श्री जितेन्द्र सिंह वाजवा व अन्य पुत्र श्री जी0बी0 सिंह निवासी ए–151 डिफैन्स कालौनी मेरठ, श्री भूपेन्द्र सिह बाजवा व क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पल्लवपुरम मेरठ, प्रतिवादी संख्या 9 ग्रीन वुड सिटी विला जन वेलफेयर सोसायटी, ग्रीनवुड सिटी बिहाइन्ड गाडविन होटल तथा प्रतिवादी संख्या–10 ग्रीन वुड सिटी रेजीडेन्टस वेलफेयर एसोसिएशन के मंत्री/अध्यक्ष को पत्र निर्गत किया गया। उक्त के कम में याची श्री जितेन्द्र सिह बाजवा व श्री राजेन्द्र प्रसाद, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पल्लवपुरम मेरठ, श्री दीपक माथुर, उप–जिलाधिकारी, मेरठ व नायब तहसीलदार–चतुर्थ तहसील मेरठ श्री सोहनपाल सिंह तथा प्रतिवादी संख्या 9 ग्रीन वुड सिटी विला जन वेलफेयर सोसायटी ग्रीनवुड सिटी बिहाइन्ड गाडविन होटल तथा प्रतिवादी संख्या–10 ग्रीन वुड सिटी रेजीडेन्टस वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी कमशः श्री पंकज शर्मा, श्री उम्मेद, श्री दिनेश कुमार, श्री मनोज कुमार, श्री एस0पी0सिंह, श्री डी0के0 गुप्ता, श्री ए0के0 गांधी, श्री एन0के0 अग्रवाल आदि अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए।

याची श्री जितेन्द्र सिंह वाजवा द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा वर्ष 2007 में कम्पनी बनायी, जिस पर आपत्ति वर्ष 2022 में हुई, जो कि वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है। श्री जितेन्द्र बाजवा द्वारा अपने प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनॉक 07.04.2026 में उल्लेख किया है कि याची मैसर्स गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 के पूर्व में डायरेक्टर रहें है तथा दिनॉक 24.01.2022 व 10.04.2022 को डायरेक्टर पद से हट गये थें। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 492/2022 में उक्त कम्पनी द्वारा आवासीय प्रोजेक्ट विकसित करने एवज में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि रूपये 10.00 करोड कम्पनी से वसूल किये जाने हेतु आदेश पारित किये गये थे, न कि याचीगण से व्यक्तिगत रूप से। इसके बावजूद क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ द्वारा दिनॉक 06.03.2026 को वसूली प्रमाण–पत्र/आर0सी0 जारी किया गया है एवं तहसीलदार, मेरठ द्वारा दिनॉक 09–03–2026 को रिकवरी साईटेशन जारी किया गया, मा0 एनजीटी का आदेश केवल कम्पनी के खिलाफ है। निदेशकों से वसूली के लिए कोई दिशा–निर्देश नही है। आवेदक पूर्व निदेशक है, जो वर्तमान समय में निदेशक के पद पर नहीं है। वसूली प्रमाण–पत्र/आर0सी0 में इंगित प्रोपर्टी न ही कम्पनी से संबंधित है और न ही याचीगण से। संबंधित प्रोपर्टी किसी अन्य व्यक्तियों/संस्थाओं के नाम दर्ज है। मा0 एनजीटी अधिनियम 2010 और न ही उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 में निदेशकों से कम्पनी के बकाया की वसूली

का प्राविधान है। अतः दिनॉक 06–03–2026 को उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड पल्लवपुरम मेरठ द्वारा निर्गत वसूली प्रमाण–पत्र/आर0सी0 एनजीटी के आदेश से परे है तथा तहसीलदार/उप–जिलाधिकारी मेरठ द्वारा दिनॉक 09.03.2026 का वसूली नोटिस कम्पनी के बजाये याचीगण के विरूद्व जारी किया गया, जो कि अधिकार क्षेत्र से बाहर होने के कारण निरस्त करने योग्य है। इसके अतिरिक्त दिनॉक 04.05.2026 को श्री जितेन्द्र सिंह पूर्व निदेशक, गॉडविन कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा जिलाधिकारी मेरठ को सम्बोधित प्रार्थना–पत्र दिनॉक 04.05.2026 प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया कि गॉडविन कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 कंपनी के सन्दर्भ में एनजीटी द्वारा पारित आदेश के क्रम में प्रदूषण विभाग मेरठ के क्षेत्राधिकारी द्वारा नगर निगम मेरठ के वांछित सूचना के आधार पर जिन सम्पत्तियों की लिस्ट जारी की गई थी, उनमें से कोई भी सम्पत्ति गॉडविन कंस्ट्रक्शन प्राईवेट कम्पनी की नही है तथा उक्त किसी भी सम्पत्ति पर गॉडविन कंस्ट्रक्शन प्रा0लि00 का मालिकाना हक नही है, नगर निगम मेरठ से उक्त सन्दर्भ में जब पूछा गया कि किस आधार पर आपने उक्त सम्पत्तियों को जितेन्द्र सिंह, भूपेन्द्र सिंह तथा गॉडविन कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0 का स्वामित्व होना दर्शाया गया है, तो नगर निगम मेरठ द्वारा सूचित किया गया कि उक्त रिपोर्ट टैक्स सर्वेयर द्वारा भवन के पास पडोस से पूछकर हाउस टैक्स हेतु जो रिपोर्ट दी जाती है, उस आधार पर भेजी गयी है। हमारे द्वारा नगर निगम मेरठ को दो माह पूर्व उक्त सन्दर्भ में आपित्त पत्र भी प्रेषित किया गया था, प्रति संलग्न, आर0सी0 में जिन सम्पत्तियों का जिक किया गया है, उनके स्वामित्व के दस्तावेज उनके स्वामियों से एकत्र कर संलग्न किये जा रहें है।

एनजीटी द्वारा रोपित अर्थ दण्ड के सन्दर्भ में सबंधित कम्पनी जिसके विरूद्व तथा जिसके नाम पर अर्थदण्ड रोपित किया गया है, उक्त कम्पनी के अलावा अन्य कम्पनी अथवा पूर्व निदेशक से वसूली कानून सम्मत नही होती है तथा एनजीटी के नियम अनुसार रूल 25/03 के क्रम में कम्पनी को स्पष्ट रूप से एक इकाई माना गया है तथा उक्त से उक्त नाम से ही वसूली की जा सकती है, अतः नगर निगम मेरठ तथा मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा प्रेषित सम्पत्तियों की जॉच करे बिना अग्रिम कार्यवाही ना करें।

प्रतिवादी संख्या 9 ग्रीन वुड सिटी विला जन वेलफेयर सोसायटी ग्रीनवुड सिटी, बिहाइन्ड गाडविन होटल **(अध्यक्ष–श्री रविन्द्र सिंह)** तथा प्रतिवादी संख्या–10 ग्रीन वुड सिटी रेजीडेन्टस वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी **(अध्यक्ष– श्री एस0पी0 सिंह)** द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपनी आपत्ति दिनॉक 04.05.2026 प्रस्तुत की गयी है। जिसमें उल्लेख किया गया है कि–निर्माण कम्पनी के निदेशक के रूप में 25–09–2007 को एमडीए के साथ हुए समझौते की शर्तो के अनुसार आन्तरिक विकास और सुविधाओं को पूरा नही किया गया। अतः शर्तो का उल्लघन किया गया। इसलिए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में ओ0ए0 संख्या 492/2022 ग्रीन वुड सिटी विला जन वेलफेयर सोसायटी और अन्य बनाम गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड और अन्य योजित की गयी। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनॉक 04.03.2025 के विरूद्व निर्माण कम्पनी द्वारा चुनौती दी गयी। गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड ने ओ0ए0 492/2022 का गुण–दोष के आधार पर विरोध किया है। श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व श्री भूपेन्द्र सिह बाजवा ने मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकारी के समक्ष कार्यवाही के दौरान यह तथ्य कभी प्रकट नही किया कि वे कमशः 24.01.2022 एवं 10.04.2022 को निदेशक पद से हट गए थें। बल्कि उन्होने जानबुझकर इस तथ्य को छुपाकर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को 04.03.2025 के **अन्तिम निर्णय तक गुमराह किया। उन्होने 04.03.2025 के निर्णय को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी है।**

श्री जितेन्द्र सिह बाजवा और श्री भूपेन्द्र सिंह बाजवा अभी भी अपनी निर्माण कम्पनी के वास्तवित निदेशक है। वे नियमित रूप से कम्पनी के कार्यालय में बैठते है जो उस सोसायटी के परिसर में स्थित है। जिसके पीछे अस्तवल और काफी बडे रकबे की भूमि का उपयोग गॉडविन होटल मेरठ के लिए पार्किंग स्थल के रूप में किया जा रहा है। उन्होने गॉडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी के निदेशक श्री जितेन्द्र बाजवा द्वारा निम्नलिखित विक्रय विलेख निष्पादित किये गए है–दिनॉक 08.06.2022 को गॉडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड के निदेशक श्री जितेन्द्र बाजवा की ओर से श्रीमती रेखा के पक्ष में फ्लैट संख्या जी–डी–402 चौथी मन्जिल, जी.एच.ग्रीन वुड सिटी ग्राम रामपुर पावटी मेरठ एवं दिनॉक 15.10.2022 को गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड की ओर से श्री वीरेन्द्र सिंह के पक्ष में फ्लैट संख्या एम–18, 2बीएचके, प्रथम मन्जिल, ग्रीन वुड सिटी ग्राम रामपुर पावटी मेरठ के पक्ष में विक्रय विलेख किये गये।

इसी प्रकार गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 के निदेशक श्री भूपेन्द्र सिंह बाजवा द्वारा दिनॉक 20.03.2025 को श्रीमती अनिता मलिक को फ्लैट संख्या डी–503 पांचवी मन्जिल, गोल्ड हाईट ग्रीन वुड सिटी मेरठ के पक्ष में विक्रय विलेख किया गया। गॉडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 के डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व श्री भूपेन्द्र सिंह बाजवा द्वारा कम्पनी के विघटन (Dissolution) संबंधी रजिस्टार कम्पनी का कोई भी प्रमाण उपलब्ध नही कराया है तथा विघटन से पूर्व कम्पनी के रजिस्टार द्वारा कम्पनी की लायबिलटी, पेमेन्ट आदि के संबंध में निदेशक से अण्डरटेकिंग लेता है एवं कम्पनी की सम्पत्तियों से लायबिलटी, पेमेन्ट आदि की भरपाई करने के पश्चात् ही कम्पनी के नाम कम्पनी रजिस्टर से हटाता है। किसी भी डायरेक्टर, मैनेजर एवं किसी अन्य अधिकारी जिसके द्वारा कम्पनी के प्रबन्धन का पावर इस्तेमाल किया जाता है, उसको कम्पनी की लायबिलटी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त कम्पनी के मालिक के निम्नलिखित प्रोपर्टी का भी विवरण दिया गया है जिसमें कि गॉडविन होटल हरिद्वार, गॉडविन होटल गोवा, गॉडविन होटल जैसलमेर, गॉडविन स्कूल, रोहटा रोड मेरठ, 02 पेट्रोल पम्प–बागपत रोड

एवं रोहटा रोड, मेरठ, 3500 वर्गमीटर भूमि स्कूल के लिए चिन्हित जिस पर कम्पनी द्वारा 3BHK के 02 ब्लाक बनाये गये है एवं शेष भूमि विभिन्न व्यक्तियों को बेची गयी है। इसके अतिरिक्त गॉडविन निर्माण कम्पनी प्रा0लि0 के पास चार पहिया वाहनों और घोडो का बेडा तथा मेरठ में दो बडे घर और मसूरी में एक घर है। बिल्डर जनवाणी प्रेस का भी मालिक है, जो मेरठ में बागपत रोड सोसायटी के पास जमीन के एक बडे टुकडे पर स्थित है। गॉडविन होटल के सामने पर्याप्त भूमि स्थित है। बिल्डर के विरूद्व पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए 10 करोड रूपये और बकाया बाह्य विकास शुल्क के लिए 27,39,25,261 रूपये का आर0सी0 निष्पादित किया जाना चाहिए। ये राशियॉ बिल्डर की उपरोक्त सम्पत्तियों की कुर्की और बिक्री द्वारा वसूल की जा सकती है। गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिडेट के मालिक उपर्युक्त विभिन्न सम्पत्तियों के स्वामी है। यह कहना गलत है कि निर्माण कम्पनी के निदेशक श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा किसी भी सम्पत्ति के स्वामी नही है।

रिट याचिका सी 11221/2026 में याची द्वारा यह कहा गया है कि यदि कम्पनी की सम्पत्ति के विरूद्व वसूली प्रमाण–पत्र/आर0सी0 जारी किया जाता है, तो उनको कोई आपत्ति नही होगी। इसलिए कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 248(7) में यह प्रावधान है कि कम्पनी के भंग होने की दशा में दायित्व कम्पनी के निदेशकों पर होगा तथा गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी के विघटन के बाद निदेशक होने के नाते धारा 248 खण्ड 6 और 7 तथा धारा 89(1) के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के दायित्वों का निर्वहन करने से मुक्त नही है। इससे यह साबित करने का भार कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नही है, आवेदकों पर है, क्योकि वे अपनी निर्माण कम्पनी के तथाकथित पूर्व निदेशक है। रिकवरी प्रमाण–पत्र और उद्वरण को अवैध नही कहा जा सकता है। आवेदक निदेशक होने के नाते धारा 246 खण्ड 6 और 7 तथा धारा 89(1) के प्रावधानों के अनुसार कम्पनी के दायित्वों का निर्वहन करने से मुक्त नही है।

ग्रीन वुड सिटी विला जन वेलफेयर सोसायटी ग्रीनवुड सिटी बिहाइन्ड गाडविन होटल के अध्यक्ष श्री रविन्द्र सिंह तथा ग्रीन वुड सिटी रेजीडेन्टस वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी के अध्यक्ष श्री एस0पी0 सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र दिनॉक 06.05.2026, मे यह उल्लेख किया है कि श्री भूपेन्द्र सिंह बाजवा द्वारा दिनॉक 08.01.2025 से 16.12.2025 के मध्य 14 विक्रय विलेख एवं उप–निबन्धक, द्वितीय मेरठ द्वारा प्राप्त करायी गयी सूची में (03–विक्रय विलेख वर्ष 2024) विभिन्न व्यक्तियों को मैसर्स गॉडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री भूपेन्द्र सिंह बाजवा की हैसियत से सम्पादित किया है। इस प्रकार श्री भूपेन्द्र सिंह बाजवा का यह कहना कि मैसर्स गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 के डायेरक्टर नही है एवं कम्पनी **dissolve** कर दी गयी है, यह तथ्य पूर्णतः असत्य एवं निराधार है एवं कम्पनी आज भी सीआईएन नं0 445202 यू0पी0 1999 पी.टी.सी. 024555 रजिस्ट्रार कम्पनी कानपुर की साईट पर अस्तित्व में है। मैसर्स गॉडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री भूपेन्द्र सिंह बाजवा द्वारा ग्रीनवुड सिटी ग्राम रामपुर पावटी मेरठ के अर्न्तगत विभिन्न तिथियों में निम्न व्यक्तियों को बैनामें किये गये है। जिसका विवरण निम्नवत् है–

क्र0 सं0	प्रथम पक्षकार का नाम	द्वितीय पक्षकार का नाम	सम्पत्ति का विवरण	विक्रय विलेख निस्पादन तिथि/वर्ष
1	मैसर्स गॉडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0 लि0 द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री भूपेन्द्र सिंह बाजवा द्वारा ग्रीनवुड सिटी	श्रीमती सविता पत्नी श्री धर्मेन्द्र कुमार निवासी ग्राम बाफर पो0जानी खुर्द मेरठ	भूतल तल पर फ्लैट संख्या जीएफ–131क्षे0122.61 वर्गमीटर व खाली भूमि क्षे0 20.75वर्गमीटर स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम रामपुर पावटी खडौली/ ग्रीनवुड सिटी दिल्ली बाईपास मेरठ कुल रकबा 143.36वर्गमीटर	वर्ष, 2024
2		श्री सुरेश पाल तोमर पुत्र श्री ब्रहम सिंह तोमर निवासी ए–37ऋषि नगर बागपत रोड मेरठ	द्वितीय तल पर फ्लैट संख्या 2बीएचके एसएफ–73 क्षे0 122.61 वर्गमीटर स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम रामपुर पावटी खडौली/ग्रीनवुड सिटी दिल्ली बाईपास मेरठ खसरा संख्या 410/2 व 418	वर्ष 2024
3		श्री अभिषेक शर्मा पुत्र श्री देवदत्त शर्मा नि0 डी–44 ग्रीनवुड सिटी खडौली निकट सुभारती	भूतल तल पर फ्लैट 2 बीएचके जीएफ–एम–67 क्षे0 122.61 वर्गमीटर स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम रामपुर पावटी खडौली/ग्रीनवुड सिटी दिल्ली बाईपास मेरठ	वष 2024
4		श्री संजय कुमार जैन पुत्र श्री श्रीपाल जैन तथा श्रीमती अंजू जैन पत्नी श्री संजय कुमार जैन	प्रथम तल पर फ्लैट संख्या 2बीएचके एफएफ–123 क्षे0 87.14 वर्गमीटर स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम मलियाना मेरठ, खडौली/ग्रीन वुड सिटी (दिल्ली बाईपास)	08.01.2025
5		श्री नेत्रपाल सिंह पुत्र श्री छिददा सिंह	भूतल तल पर फ्लैट संख्या 2 बीएचके जीएफ–34 क्षे0 122.61 वर्गमीटर स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम रामपुर पावटी खडौली/ग्रीनवुड सिटी दिल्ली बाईपास मेरठ	16.1.2025

6	ग्राम रामपुर पावटी मेरठ के द्वारा श्री आशीष जैन पुत्र श्री एस0सी0 जैन	श्रीमती जसप्रीत कौर पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह	द्वितीय तल पर फ्लैट संख्या 3 बीएचके एस0एफ–162 क्षे0 155.55 वर्गमीटर स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम मलियाना खडौली/ग्रीनवुड सिटी दिल्ली बाईपास मेरठ,	21.01.2025
7		श्रीमती गन्नत कौर साहनी पत्नी श्री करनराज ओबराय	द्वितीय तल पर फ्लैट संख्या 3 बीएचके एस0एफ–145 क्षे0 155.55 वर्गमीटर स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम मलियाना खडौली/ग्रीनवुड सिटी दिल्ली बाईपास मेरठ	21.01.2025
8		श्री देवेन्द्र सिंह ओबराय पुत्र जगदीश सिंह	प्रथम तल पर फ्लैट संख्या 3बीएचके एफएफ–145 क्षे0 155.55 वर्गमीटर स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम मलियाना मेरठ, खडौली/ग्रीन वुड सिटी (दिल्ली बाईपास)	24.01.2025
9		श्री कृपाल सिंह पुत्र मूलचन्द	प्रथम तल पर फ्लैट संख्या 3बीएचके एफएफ–15 क्षे0 15.01 वर्गमीटर विना छत स्थिति स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम मलियाना मेरठ,खडौली/ग्रीन वुड सिटी(दिल्ली बाईपास)	27.01.25
10		श्री देवेन्द्र सिंह ओबराय पुत्र जगदीश सिंह	द्वितीय तल पर फ्लैट संख्या 3 बीएचके एस0एफ–164 क्षे0 155.55 वर्गमीटर स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम मलियाना खडौली/ग्रीनवुड सिटी दिल्ली बाईपासमेरठ	28.01.2025
11		श्री सुरिन्दर सिंह पुत्र श्री जगदीश सिंह	प्रथम तल पर फ्लैट संख्या 3बीएचके एफएफ–146 क्षे0 155.55 वर्गमीटर स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम मलियाना मेरठ, खडौली/ग्रीन वुड सिटी (दिल्ली बाईपास)	24.01.2025
12		श्री राजकुमार पुत्र श्री बालकिशन	द्वितीय तल पर दुकान नं0 एस0एफ0 2 क्षे0 30.14 वर्गमीटर स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम रामपुर पावटी खडौली/ग्रीनवुड सिटी दिल्ली बाईपास मेरठ	04.03.2025
13		श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री सूरजमल	द्वितीय तल पर फ्लैट संख्या 2 बीएचके एस0एफ–131 क्षे0 122.61वर्गमीटर स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम रामपुरपावटी खडौली/ग्रीनवुड सिटी दिल्ली बाईपासमेरठ,	15.04.2025
14		श्री प्रवीण कुमार पुत्र श्री ताराचन्द यादव	द्वितीय तल पर फ्लैट संख्या 2 बीएचके एस0एफ–111 क्षे0 122.61 वर्गमीटर स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम रामपुर पावटी खडौली/ग्रीनवुड सिटी दिल्ली बाईपास मेरठ,	21.5.2025
15		श्रीमती पूर्णिमा त्यागी पत्नी श्री दुष्यन्त त्यागी	भवन संख्या 81 क्षे0 209.17 वर्गमीटर ख0 न0 411 स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम रामपुर पावटी खडौली/ग्रीनवुड सिटी दिल्ली बाईपास मेरठ,	04.09.2025
16		श्रीमती दीपमाला पत्नी श्री नीरज कुमार	प्रथम तल पर दुकान सं0 एफ0एफ0 सं0 16 क्षे0 14. 21 वर्गमीटर स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम रामपुर पावटी मेरठ, खडौली/ग्रीन वुड सिटी (दिल्ली बाईपास)	24.09.2025
17		श्री वीरपाल सिंह पुत्र श्री रतन सिंह	प्रथम तल पर दुकान सं0 02 अपर ग्राउण्ड क्षे0 30. 16 वर्गमीटर स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम रामपुर पावटी मेरठ, खडौली/ग्रीन वुड सिटी (दिल्ली बाईपास)	16.12.2025

उक्त के अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि उप–निबन्धक,तृतीय मेरठ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची में मै0गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 के डायेरक्टर श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा द्वारा वर्ष 2023, 2024 में विभिन्न व्यक्तियों को बनामें किये गये। जिसका विवरण निम्नवत् है–

कंस	प्रथम पक्षकार का नाम	द्वितीय पक्षकार का नाम	सम्पत्ति का विवरण	विक्रय विलेख निस्पादन तिथि/वर्ष
1.	मै0 गॉडविन कंस्ट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर जितेन्द्र सिंह वाजवा के द्वारा श्री आशीष	श्री रजत त्यागी पुत्र श्री विपिन त्यागी निवासी 265 सोमदत्त विहार गढ रोड मेरठ	भूतल तल पर फ्लैट संख्या 2बीएचके जीएफ–123 क्षे0122.61 वर्गमीटर स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम रामपुर पावटी मेरठ	वर्ष 2023
2		श्रीमती संगीता शर्मा पत्नी श्री रामवीर शर्मा निवासी टिकरी रूरल बडौत जिला बागपत	भूखण्ड संख्या पी–57 क्षे0 162 क्षेत्रफल वर्गमीटर मिनजुमला खसरा नं0 521मि0 स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम पांचलीखुर्द मेरठ	वर्ष 2023
3		श्रीमती अलका कुमार , राकेश कुमार निवासी चौधरियान अमरोहा जोया अमरोहा	द्वितीय तल का फ्लैट संख्या एसएफ–140 क्षेत्र0 122.61 वर्गमीटर खसरा नं0 418 आदि स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम रामपुर पावटी मेरठ	वर्ष 2023
4		श्री सुमीत अग्रवाल पुत्र श्री हेमन्त कुमार अग्रवाल निवासी ए–1204 प्रतीक फंडोरा सेक्टर–51 नोएडा	भूखण्ड संख्या पी–181 क्षे0 162 वर्गमीटर मिनजुमला खसरा नं0 521मि0 स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम पांचलीखुर्द मेरठ	वर्ष 2024

5	जैन पुत्र श्री एस0सी0 जैन	श्रीमती उषा शर्मा पत्नी श्री कर्मवीर शर्मा निवासी 151 बागपत रोड एमडीएम पब्लिक स्कूल जानी खुर्द मेरठ	प्रथम तल पर फ्लैट संख्या 3बीएचके डी एफएफ–151 क्षे0 155.55 वर्गमीटर खसरा सं0 1628मि0 स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम मलियाना मेरठ	वर्ष 2024
6		श्रीमती शिल्पी पत्नी श्री अभिनव निवासी 311/312 सदर कबाडी बाजार मेरठ	द्वितीय तल पर फ्लैट संख्या 2बीएचके एम एसएफ–85 क्षे0 122.61 वर्गमीटर मध्य खसरा सं0 4102 स्थित ग्रीनवुड सिटी ग्राम रामपुर पावटीमेरठ	वर्ष 2024

श्री राजेन्द्र प्रसाद, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ द्वारा दिनॉक 30–04–2026 को बैठक में उपस्थित हुए एवं उनके द्वारा लिखित में अपने कार्यालय पत्रॉक 1161/जी/एस.एम.आर.नं0 11221/2026/एमआरटी/2026 दिनॉक 04.05.2026 को अपना पक्ष प्रस्तुत किया। उनके द्वारा मा0 अधिकरण द्वारा अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि की वसूली किये जाने हेतु पत्र क्षेत्रीय कार्यालय मेरठ के पत्रॉक 1996/जी/ईए–66/2025/ओए–492/2022/2026 दिनॉक 06.03.2026 द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या 492/2022 में पारित आदेश दिनॉक 04.03.2025 के अनुपालन में मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ एवं नगर निगम मेरठ द्वारा उपलब्ध कराये गयी प्रोपर्टी के आधार पर मै0 गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 मेरठ तथा डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह एवं श्री भूपेन्द्र सिह कार्यालय ग्रीनवुड सिटी नियर गॉडविन होटल, बागपत बाईपास रोड मेरठ के विरूद्व 10.00 करोड़ की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित की गयी है, एवं बैठक में उक्त की वसूली किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

श्री दीपक माथुर, उप–जिलाधिकारी मेरठ द्वारा बैठक में उपस्थित होकर यह बताया गया कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ द्वारा निर्गत वसूली प्रमाण–पत्र/आर0सी0 को संग्रह अनुभाग कलेक्ट्रेट मेरठ द्वारा आर0सी0 संख्या 02/दिनॉक 06.03.2026 वसूली करने हेतु तहसील मेरठ को भेजी गयी। तहसीलदार मेरठ द्वारा बाकीदार/फर्म को नियमानुसार आर0सी0 प्रपत्र–36 निर्गत कर तामील कराये जाने का प्रयास किया गया परन्तु बाकीदार के मौके पर न मिल पाने के कारण आर0सी0 प्रपत्र–36 (साईटेशन) की एक प्रति चस्पा की गयी। जिसमें निर्धारित समय अवधि उपरान्त भी बाकीदार/फर्म द्वारा बकाया धनराशि जमा नहीं करायी जा रही है। **अतः ऐसी दशा में नगर निगम मेरठ एवं मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ के माध्यम से संज्ञानित करायी गयी बाकीदार/फर्म की चल/अचल सम्पत्ति जोकि पत्रावली पर उपलब्ध है, को कुर्क किये जाने हेतु क्षेत्रीय संग्रह अमीन द्वारा प्रस्तुत आख्या के आधार पर नायब तहसीलदार मेरठ की संस्तुति आख्या प्रेषित की गयी है।** उप–जिलाधिकारी मेरठ द्वारा बताया गया कि मै0 गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 के डायरेक्टर श्री भूपेन्द्र सिह बाजवा व श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा द्वारा वर्ष 2023, 2024 एवं 2025 में विभिन्न व्यक्तियों को ग्रीनवुड सिटी रामपुर पावटी खडौली मेरठ में बैनामें किये गये है एवं इनके द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि वर्ष 2022 में मै0 गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 डीलिस्ट हो गयी है एवं वे उक्त कम्पनी के डायरेक्टर नही रह गये है, तो फिर किस हैसियत से मै0 गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 के डायरेक्टर के रूप में उनके द्वारा वर्ष 2023, 2024 वं 2025 में विभिन्न व्यक्तियों को बैनामें किये गये। इस प्रकार इनके द्वारा यह कथन कहना कि वर्ष 2022 में कम्पनी डीलिस्ट हो गयी है एवं वे उक्त कम्पनी के डायरेक्टर नही है एवं मै0 गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 कम्पनी के नाम से अंकित प्रोपर्टी से वसूली की कार्यवाही की जायें एवं उनके व्यक्तिगत नाम से अंकित प्रोपर्टी से वसूल न की जायें, यह कथन सही नही है। जब ये कम्पनी के डायरेक्टर की हैसियत से मै0 गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 कम्पनी के नाम अंकित भूमि को विभिन्न व्यक्तियों को विकय कर रहें है, तो क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ द्वारा प्रेषित वसूली प्रमाण–पत्र/आर0सी0 में इंगित धनराशि को मै0 गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 तथा डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व श्री भूपेन्द्र सिंह बाजवा के नाम अंकित सम्पत्तियों से भू–राजस्व की भांति वसूल किया जाना उचित है।**

प्रश्नगत प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित सिविल मिस रिट याचिका संख्या 11221/2026 जितेन्द्र सिह वाजवा एंड अन्य, 2–श्री भूपेन्द्र सिंह वाजवा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व 09 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनॉक 25.03.2026 के सन्दर्भ मे याची श्री जितेन्द्र बाजवा पुत्र श्री जी0वी0 सिंह निवासी ए–151 डिफेन्स कालौनी मेरठ द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनॉक 07.04.2026 के सन्दर्भ में सुना गया तथा प्रतिवादी संख्या 9 ग्रीन वुड सिटी विला जन वेलफेयर सोसायटी ग्रीनवुड सिटी बिहाइन्ड गाडविन होटल (अध्यक्ष–श्री रविन्द्र सिंह) तथा प्रतिवादी संख्या–10 ग्रीन वुड सिटी रेजीडेन्टस वेलफेयर एसोसिएशन (अध्यक्ष–श्री एस0पी0 सिंह) द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्तुत की गयी आपत्ति दिनॉक 04–05–2026 व दिनॉक 06.05.2026 के साथ–साथ क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पल्लवपुरम मेरठ द्वारा वसूली प्रमाण–पत्र/आर0सी0 के संबंध में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट/आख्या दिनॉक 04–05–2026 (अभिलेखीय साक्ष्यों सहित) का अवलोकन किया गया तथा तहसीलदार/उप–जिलाधिकारी मेरठ द्वारा उल्लिखित किये गये तथ्यों का सम्यक् परीक्षण किया गया। परीक्षणोपरान्त यह पाया गया कि याचीगण श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व श्री भूपेन्द्र सिंह बाजवा द्वारा यह कथन करना कि वर्ष 2022 में मै0 गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 डीलिस्ट हो चुकी है एवं वे दिनॉक 24.01.2022 एवं 10.04.2022 को निदेशक

पद से हट गए है एवं इस आधार पर उनके नाम अंकित सम्पत्ति से उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ द्वारा निर्गत वसूली प्रमाण–पत्र/आर0सी0 दिनॉक 06.03.2026 में निहित धनराशि की वसूली न की जायें एवं तहसीलदार मेरठ द्वारा दिनॉक 09.03.2026 को जारी आर0सी0 प्रपत्र–36 (साईटेशन) निरस्त किये जाने संबंधी मॉग उचित नही है। मै0 गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 के डायरेक्टर श्री भूपेन्द्र सिह बाजवा व श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा द्वारा वर्ष 2023, 2024 एवं 2025 में विभिन्न व्यक्तियों को ग्रीनवुड सिटी रामपुर पावटी खडौली मेरठ में बैनामें किये गये है एवं इनके द्वारा यह कहना कि वर्ष 2022 में मै0 गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 डीलिस्ट हो गयी है एवं वे उक्त कम्पनी के डायरेक्टर नही रह गये है, तो फिर किस हैसियत से मै0 गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 के डायरेक्टर के रूप में उनके द्वारा वर्ष 2023, 2024 वं 2025 में विभिन्न व्यक्तियों को बैनामें किये गये। इस प्रकार इनके द्वारा यह कथन कहना कि वर्ष 2022 में कम्पनी डीलिस्ट हो गयी है एवं वे उक्त कम्पनी के डायरेक्टर नही है एवं मै0 गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 कम्पनी के नाम से अंकित प्रोपर्टी से वसूली की कार्यवाही की जायें एवं उनके व्यक्तिगत नाम से अंकित प्रोपर्टी से वसूल न की जायें, यह कथन सही नही है। जब ये कम्पनी के डायरेक्टर की हैसियत से मै0 गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 कम्पनी के नाम अंकित भूमि को विभिन्न व्यक्तियों को विक्रय कर रहें है। **कम्पनी अधिनियम 2013 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार किसी कम्पनी के कार्यो, परिसम्पत्तियों एवं व्यवसायिक निर्णयों का वास्तविक नियंत्रण रखने वाले व्यक्तियों की जिम्मेदारी केवल तकनीकी आधार पर निदेशक पद से पृथक होने मात्र से समाप्त नहीं हो जाती। यदि अभिलेखों से यह स्थापित हो कि संबंधित व्यक्तियों द्वारा कम्पनी की परिसम्पत्तियों के अंतरण, विक्रय, वित्तीय लेन–देन एवं परियोजना संचालन में सक्रिय भूमिका निभायी गयी है, तो ऐसे व्यक्तियों की देयता का परीक्षण वास्तविक नियंत्रण एव उत्तरदायित्व के आधार पर किया जाना विधिसंगत है। उपलब्ध अभिलेखों से स्पष्ट है कि याचीगण द्वारा वर्ष 2023, 2024 वं 2025 में विभिन्न व्यक्तियों के पक्ष में सम्पत्तियों के विक्रय/अंतरण करायें गये है। अतः यह स्पष्ट है कि याचीगण कम्पनी के वास्तविक नियंत्रक एवं लाभार्थी रहें है। ऐसी स्थिति में "Lifting of corporate veil" लागू होता है तथा निदेशकगण को कम्पनी की देयताओं से पृथक नहीं माना जा सकता है।** इसलिए क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ द्वारा प्रेषित वसूली प्रमाण–पत्र/आर0सी0 में इंगित धनराशि को मै0 गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 तथा डायरेक्टर श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व श्री भूपेन्द्र सिंह बाजवा के नाम अंकित सम्पत्तियों से भू–राजस्व की भांति वसूल किया जाना उचित है। इस प्रकार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ द्वारा जारी वसूली प्रमाण–पत्र/आर0सी0 दिनॉक 06–03–2026 एवं तहसीलदार मेरठ द्वारा निर्गत आर0सी0 प्रपत्र–36 (साईटेशन) दिनॉक 09.03.2026 सही है तथा आर0सी0 में निहित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि अंकन रू0 10 करोड़ (दस–करोड रूपये) को भू–राजस्व की भांति वसूल किया जाना उचित होगा। **उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता–2006 तथा कलेक्शन मैनुअल के अनुसार जिलाधिकारी/कलेक्टर जनपद में भू–राजस्व एवं अन्य अधिरोपित सरकारी देयों की वसूली हेतु सक्षम प्राधिकारी है। कलेक्टर को वसूली प्रमाण–पत्र के आधार पर बकाया धनराशि की वसूली भू–राजस्व की भांति कराये जाने, संबंधित बकायेदार की चल एवं अचल सम्पत्तियों की कुर्की, कब्जा, नीलामी एवं अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही कराये जाने का अधिकार उप जिलाधिकारी व तहसीलदार मेरठ का है।**

प्रश्नगत प्रकरण में उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा निर्गत आर0सी0 उपरोक्त तथ्यों के आलोक में विधिक रूप से औचित्यपूर्ण प्रतीत होता है। आर0सी0 की वैधता के सम्बन्ध में निर्णय सम्बन्धित वसूली प्रमाण पत्र जारी कर्ता अधिकारी, यानि कि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के स्तर पर किया जाना चाहिए। चूँकि सुनवाई के दौरान लिखित रूप से उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा प्रश्नगत आर0सी0 को उचित मानते हुए कार्यवाही करने हेतु अनुरोध किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ द्वारा निर्गत वसूली प्रमाण–पत्र/आर0सी0 दिनॉक 06–03–2026 में निहित धनराशि की नियमानुसार समयबद्ध तरीके से वसूली सुनिश्चित कराते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित सिविल मिस रिट याचिका संख्या 11221/2026 जितेन्द्र सिंह बाजवा एंड अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व 09 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनॉक 25–03–2026 के कम याची श्री जितेन्द्र बाजवा पुत्र श्री जी0बी0 सिंह निवासी ए–151 डिफेन्स कालौनी मेरठ द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनॉक 07.04.2026 उपरोक्तानुसार निस्तारित किया जाता है।

21.05.2026

(डा0 वी0के0 सिह)
जिलाधिकारी, मेरठ।
O/C

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।
(संग्रह अनुभाग)

संख्याः 1298 /सी0आर0ए0/आर0सी0–प्रथम/प्रदूषण/2026–27 दिनॉक 21.05.2026

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की सेवा में सिविल मिस रिट याचिका संख्या 11221/2026 जितेन्द्र सिंह बाजवा एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व 09 अन्य में पारित आदेश दिनांक 25–3–2026 के अनुपालन में उपरोक्तानुसार सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2– उपाध्यक्ष मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ।
3– नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ।
4– अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) मेरठ।
5– उप–जिलाधिकारी/तहसीलदार, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकारी द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ द्वारा जारी वसूली प्रमाण–पत्र/आर0सी0 दिनॉक 06–03–2026 में निहित धनराशि की नियमानुसार वसूली सुनिश्चित कराते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करें।
6– क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पल्लवपुरम मेरठ को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
7– प्रत्यावेदक श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व श्री भूपेन्द्र सिंह बाजवा पुत्र श्री जी0बी0सिह, निवासी ए–151 डिफेन्स कालौनी, मेरठ को उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनॉक 07.04.2026 के कम में सूचनार्थ।
8– प्रतिवादी संख्या 9 ग्रीन वुड सिटी विला जन वेलफेयर सोसायटी ग्रीनवुड सिटी बिहाइन्ड गाडविन होटल व प्रतिवादी संख्या–10 ग्रीन वुड सिटी रेजीडेन्टस वेलफेयर एसोसिएशन को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ प्रेषित।

21.05.2026.

जिलाधिकारी
मेरठ।

DC

ANNEXURE R-6

2026:AHC:125059-DB

HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

WRIT - C No. - 23066 of 2026

Jitendra Singh Bajwa And Another

.....Petitioner(s)

Versus

State Of U.P. And 9 Others

.....Respondent(s)

Counsel for Petitioner(s)	:	Kartikay Agarwal, Raghav Dev Garg, Sr. Advocate
Counsel for Respondent(s)	:	C.S.C., Jagannath Maurya, Pankaj Srivastava, Shiv Prakash Gupta

Court No. - 39

HON'BLE SAUMITRA DAYAL SINGH, J.
HON'BLE SATYA VEER SINGH, J.

1. Heard Shri Kartikay Agarwal, learned counsel for the petitioner; Shri Jagannath Maurya, learned counsel for U.P. Pollution Control Board, Shri Archana Srivastava, holding brief of Shri Pankaj Srivastava, learned counsel for respondent no.6/Nagar Nigam, Meerut, Shri Shiv Prakash Gupta, learned counsel for respondent no.8/Meerut Development Authority and Shri Ambrish Shukla, learned Additional Chief Standing Counsel for the State.

2. This is a second round of litigation. Earlier, a coordinate bench had vide order dated 25.03.2026 in **Jitendra Singh Bajwa & Anr. vs State of U.P. & 9 Ors., 2026:AHC:61996-DB** disposed of the earlier writ petition filed by the petitioner on the following terms:

> *"10. In such above view of the matter, therefore, if the petitioners who were the erstwhile Directors of the Company are aggrieved by the recovery certificate issued by the Teshildar and consequential citation, may raise their objections before the Collector of the district concerned regarding maintainability and sustainability of recovery certificate and accordingly, we dispose of this petition with direction to the petitioners that in the first instance they would approach the Collector / District Magistrate, Meerut to file their objection against the recovery certified issued in their individual names was bad. They would be filing their objections within a period of two weeks from today and the Collector/ District Magistrate, District Meerut shall be disposing of the same within a further period of six weeks after giving full opportunity of hearing not only to the petitioners but also the*

U.P. Pollution Control Board as well as the respondent nos. 9 & 10. We further provide that until such objections are disposed of on merit, the recovery certificate dated 06.03.2013 issued against the petitioners and consequential recovery citation dated 09.03.2026 shall remain in abeyance to abide by the final outcome of the decision by the Collector."

3. In paragraph 67 to 75 of the present writ petition, it has been submitted as below:

"67. That subsequent to submission of the aforesaid representation dated 07.04.2026, the petitioners received a letter dated 25.04.2026 issued from the office of the Additional District Magistrate (Finance/Revenue), Meerut whereby the petitioners were directed to appear before the office of the District Magistrate, Meerut on 30.04.2026. A copy of the letter dated 25.04.2026 is being filed herewith and marked as Annexure No. 18 to this petition.

68. That in compliance with the aforesaid communication, the petitioners duly appeared before the office of the District Magistrate, Meerut on 30.04.2026.

69. That on the said date, other stakeholders were also represented before the District Magistrate, Meerut. However, the learned District Magistrate merely directed the stakeholders to submit their written objections/replies and no further date of hearing was fixed nor any effective oral opportunity of hearing was granted to the petitioners.

70. That thereafter, the impugned order dated 21.05.2026, which was served on the Petitioners on 27.05.2026, came to be passed without affording any oral opportunity of hearing to any of the stakeholders including the petitioners herein, in complete violation of the directions contained in the order dated 25.03.2026 passed by this Hon'ble Court.

71. That a bare perusal of the impugned order dated 21.05.2026 would clearly demonstrate that the same has been passed wholly without application of mind and in a cursory and mechanical manner without due consideration of the objections raised by the petitioners and without appreciating the correct legal position governing the controversy in question.

72. That by means of the impugned order dated 21.05.2026, the objections of the petitioners have been rejected and directions have been issued to the concerned authorities to ensure recovery pursuant to the recovery citation/recovery certificate dated 06.03.2026 in a time-bound manner.

73. That the aforesaid directions have been issued without any due consideration of the comprehensive objections raised by the petitioners, which the District Magistrate was specifically required to exatnine in compliance of the order dated 25.03.2026 passed by this Hon'ble Court. The various grounds raised by the petitioners, including the fact that the NGT Act does not envisage recovery to be made against the Directors for liabilities of the company, the fact that the recovery proceedings are purportedly being initiated against assets which do not belong to the petitioners, as well as various other grounds raised by the petitioners in the present writ petition and in their objections/representation dated 07.04.2026, have not at all been considered by the District Magistrate while passing the impugned order dated 21.05.2026, and hence the same is liable to be set aside on this ground alone.

74. That more particularly, this Hon'ble Court while passing the order dated 25.03.2026 had duly taken note of the assertions and grounds raised by the petitioners and only thereafter had directed the District Magistrate, Meerut to consider all such objections and pass a reasoned and well-considered order after affording opportunity of hearing to all stakeholders.

75. That however, the aforesaid mandate of this Hon'ble Court has not been complied with by the District Magistrate, Meerut and consequently the impugned order dated 21.05.2026 deserves to be set aside on this ground alone."

4. The above recital in the writ petition is consistent to the recital contained in the impugned order dated 21.05.2026.

5. Reference may also be made to the order dated 04.03.2025 passed by the NGT in Original Application No. 492 of 2022, *Green Wood City Villa Jan Welfare Society and Green Wood City Residents Welfare Association Vs. Godwin Construction Company Pvt. Ltd. Meerut & 7 Ors.* In material part, it reads as below:

"83. In view of the above, we dispose of this OA with the following directions:

(i) .....

(ii) .....

(iii) We direct respondent 1 (project proponent), as an interim measure, to pay environmental compensation of Rs. 10 crores and deposit the same within three months

with respondent 3 i.e. UPPCB."

6. Undeniably, the liability of 10 crores was fixed by the NGT on the company. Presently, the name of the company has been struck off from the list of companies by the Registrar of the Companies, Haryana vide order dated 07.07.2025 and the company has been dissolved. Issue arises for consideration - whether by virtue of above development of the dissolution of the corporation, either by an automatic operation of law or on the strength of principle of lifting of corporate veil being applied, present petitioners have incurred liability to discharge the dues of the company [under the order of the NGT dated 04.03.2025 (extracted above)].

7. On the earlier occasion, coordinate bench had disposed of the writ petition requiring the petitioners to file their objections before the respondent no.3/District Magistrate, Meerut. Those objections were filed on 07.04.2026. On the strength of pleadings made in the writ petition as are consistent to the recital contained in the impugned order, other stake holders also filed objections. Amongst others, it was claimed that the corporation was a shell entity and the petitioners were real operators/beneficiaries of the transactions described to have been performed by the said corporation. Those proceeding appear to have concluded on 21.05.2026. Neither the petitioners were confronted with the material relied by the other parties nor they were given any opportunity to rebut the same. Straightaway, the impugned order had been passed recording adverse conclusions against the petitioners holding them personally liable for the dues of the corporation, solely upon application of principle of lifting the corporate veil.

8. In such facts, principal ground pressed is violation of principles of natural justice. To the extent the petitioners were not confronted with the adverse material relied against them and to the extent cryptic findings may have been recorded without giving due effect to the relevant statutory provision, upon a brief hearing, we are inclined to entertain the writ petition. However, learned counsel for the respondent has suggested, in view of the ground of violation of principles of natural justice, one opportunity may be granted to the petitioners before the respondent

no.3/District Magistrate, Meerut.

9. In such circumstances, no useful purpose would be served in keeping the present petition pending any further. Accordingly, present petition is **disposed of** with the following directions:

(i) The impugned order dated 25.03.2026 is set aside.

(ii) Respondent no.3/District Magistrate, Meerut may issue notice to the petitioners fixing a fresh date in the proceedings. It may accompanied with copies all adverse material received and relied against the petitioners, whether filed by the other stake holders or parties to the dispute or as may have otherwise become available to the state authorities. Such compliance may be made within a period of two weeks from today.

(iii) Upon service of such notice, petitioners may file their final reply supported by whatever material they may seek to rely, within a further period of two weeks therefrom.

(iv) Thereafter, respondent no.3 may fix a proper date of hearing with at least 15 days advance notice to all the parties. Parties undertake not to seek any undue or long adjournments.

(v) After affording reasonable opportunity of hearing to all the parties, appropriate final order may be passed after considering not only the factual aspects that are in dispute but also upon due application of the relevant statutory provisions and the applicable law. Such exercise may be completed as expeditiously as possible, preferably within a period of one month from the date of final objections filed by the petitioners.

(Satya Veer Singh,J.) **(Saumitra Dayal Singh,J.)**

June 3, 2026
Prakhar

Digitally signed by :-
PRAKHAR SRIVASTAVA
High Court of Judicature at Allahabad

ANNEXURE R-7

:: बैठक कार्यवृत्त ::

मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय प्रधान बैंच, नई दिल्ली में योजित प्रार्थना–पत्र 66/2025, ओ0ए0 संख्या 492/2022 ग्रीनवुड सिटी विला जन वेलफेयर सोसायटी द्वारा अध्यक्ष रविन्द्र सिंह बनाम गॉडविन कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर एवं अन्य में मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉक 27.05.2026 के अर्न्तगत मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय प्रधान बैंच नई दिल्ली द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनॉक 20–02–2026 के पैरा–6 एवं दिनॉक 18–03–2026 के पैरा–13 के अनुसार उचित कार्यवाही कराने के संबंध में दिनॉक 09.07.2026 (गुरूवार) की अपरान्ह 04.00 बजे कलेक्ट्रेट मेरठ प्रागण स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यकक्ष में आहूत बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारियों एवं वादीपक्ष की उपस्थिति निम्नवत् है–

1. श्री कुंवर वीरेन्द्र मौर्य, अपर जिलाधिकारी(वित्त/राजस्व) मेरठ।
2. श्री अर्पित गुप्ता, सचिव मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ।
3. श्रीमती लवी त्रिपाठी, अपर नगर आयुक्त नगर निगम मेरठ।
4. श्री दीपक माथुर, उप–जिलाधिकारी, मेरठ।
5. श्री रवि प्रजापति, तहसीलदार मेरठ।
6. श्री राजेन्द्र प्रसाद, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पल्लवपुरम मेरठ।
7. श्री अर्पित यादव, अधिशासी अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ।
8. श्री दीपक राज प्रेमी, अधिवक्ता, वादी ग्रीनवुड सिटी विला जन वेलफेयर सोसायटी एंड ग्रीन वुड सिटी विला जन वेलफेयर सोसायटी ग्रीनवुड सिटी बिहाइन्ड गाडविन होटल, मेरठ।
9. श्री एस0पी0सिंह, अध्यक्ष ग्रीन वुड सिटी रेजीडेन्टस वेलफेयर एसोसिएशन,मेरठ।
10. श्री धर्म कुमार गुप्ता, सचिव, ग्रीन वुड सिटी रेजीडेन्टस वेलफेयर एसोसिएशन,मेरठ।
11. श्री दिनेश कुमार, अध्यक्ष, ग्रीन वुड सिटी विला जन वेलफेयर सोसायटी ग्रीनवुड सिटी बिहाइन्ड गाडविन होटल,मेरठ।
12. श्री मनोज कुमार, सचिव, ग्रीन वुड सिटी विला जन वेलफेयर सोसायटी ग्रीनवुड सिटी बिहाइन्ड गाडविन होटल, मेरठ।
13. श्री सुनील त्यागी, सचिव,गोल्डन हाईट्स जन कल्याण समिति रजि0, ग्रीनवुड सिटी, एन.एच. 58 बागपत बाईपास रोड मेरठ।
14. श्री धर्मपाल सिह, श्री आर0के0 वर्मा, श्री ए0के0 गांधी, डा0 आर0के0वर्मा, श्री संदीप जिन्दल,श्री ओमकार सिह, श्री हरि सिह, श्री प्रवीन यादव श्री उम्मेद सिंह श्री ब्रजभूषण गुप्ता

प्रश्नगत प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित उक्त योजित प्रार्थना–पत्र 66/2025, ओ0ए0 संख्या 492/2022 ग्रीनवुड सिटी विला जन वेलफेयर सोसायटी द्वारा अध्यक्ष रविन्द्र सिंह बनाम गॉडविन कन्सट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर एवं अन्य में रेस्पोडेन्ट नं0–1 गॉडविन कन्स्ट्रक्शन क0 प्रा0लि0 मेरठ के डायेरक्टर श्री जितेन्द्र सिंह व श्री भूपेन्द्र सिंह सुनवाई के दौरान अनुपस्थित रहें। जिन्होंने अपने पत्र दिनॉक 09.07.2026 प्रस्तुत करते हुए अवगत कराया है कि व्यापार के संबंध में जैसलमेर (राजस्थान) में होने के कारण मीटिंग में उपस्थित होने में असमर्थ है।

प्रश्नगत प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय हरित अधिक्रण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनॉक 27–05–2026 के पैरा संख्या–15 में इंगित निर्देशों के अनुपालन में मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पूर्व में पारित आदेश दिनॉक 20.02.2026 के पैरा–6 एवं दिनॉक 18–03–2026 के पैरा–13 के अनुसार कार्यवाही कराने के संबंध में निर्देश निर्गत किये गये है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के आदेश दिनॉक 20.02.2026 के पैरा–6 का अंश निम्नवत् है– Vice-Chairman, MDA, Member Secretary, UPPCB, Commissinoer, Municipal Corporation, Meerut and District Magistrate, Meerut are directed to hold a meeting by inviting the representatives of the applicant and also of respondent no.1, if available and work out the modalities for carrying out the judgment passed by this Tribunal and make dedicated time bound efforts for execution of judgment date 04-03-2025 and file by way of their own affidavits compliance reports/undertaking for compliance mentioning the timeline for execution of the judgment.

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली के आदेश दिनॉक 18.03.2026 के पैरा–13 का अंश निम्नवत् है– Respondent no. 6-DM, Meerut is directed to hold a meeting again with prior intimation to the Applicant and take appropriate action in compliance of order date 20-02-2026 and to file separate additional response by way of his affidavit in this regard within eight weeks.

मा0 एन0जी0टी0 के द्वारा आदेश दिनॉक 04.03.2025 के प्रस्तर 83 में इंगित बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय के निर्देशों के क्रम में बिन्दुवार कार्यवाही किये जाने हेतु संबंधित को निर्देश दिये गये, जो कि निम्नवत् है–

(i)– **बिन्दु संख्या–1 में प्रतिवादी संख्या–1 गॉडविन कन्स्ट्रक्शन क0 प्रा0लि0 मेरठ के डायेरक्टर श्री जितेन्द्र सिंह व श्री भूपेन्द्र सिंह** को परियोजना क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले सीवेज के उपचार हेतु आवश्यक क्षमता का एसटीपी (STP) निर्मित कर उसे निर्णय की तिथि से 06 माह के भीतर उसे चालू एवं कियाशील करने हेतु निर्देशित किया गया, के संबंध में प्रतिवादी संख्या–1 गॉडविन कन्स्ट्रक्शन क0 प्रा0लि0 मेरठ के डायेरक्टर श्री जितेन्द्र सिंह व श्री भूपेन्द्र सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से इस कार्यालय को अवगत करायें, जिससे कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली को अवगत कराया जा सकें।

(ii)– **बिन्दु संख्या–2** में परियोजना से उत्पन्न ठोस अपशिष्ट (Solid Waste) का वैज्ञानिक तरीके से निपठान ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन नियम, 2016 (Solid Waste Management Rules, 2016) के अनुरूप किये जाने के संबंध में परियोजना की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA) आवश्यक कदम उठायेंगी। जिसके संबंध में अपर नगर आयुक्त नगर निगम मेरठ द्वारा बताया गया कि सोसायटी में एक स्थान पर कूडा डम्पिंग किया जा रहा है। इस पर आर0डब्लू0ए0 के उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा कहा गया कि वहॉ से नगर निगम मेरठ द्वारा कूडे का उठाये जाने संबंधी कार्यवाही नही की जा रही है। इस संबंध में आर0डब्लू0ए0, नगर निगम व क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड तथा नगर निगम मेरठ से अपेक्षा की जाती है कि वे ठोस अपशिष्ट के वैज्ञानिक तरीके तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध नियम–2016 के अनुपालन में निपटान के संबंध में पर्यावरण कानूनों और मानदंडो का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कार्यवाही संबंधी अपनी रिपोर्ट/आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष 02 दिवस के अन्दर प्रत्येक दशा में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(iii)– **बिन्दु संख्या–3 में प्रतिवादी संख्या–1** गॉडविन कन्स्ट्रक्शन क0 प्रा0लि0 मेरठ के डायेरक्टर श्री जितेन्द्र सिंह व श्री भूपेन्द्र सिंह (परियोजना प्रवर्तक/Project Proponent) को अंतरित उपाय के रूप में 10 करोड़ रूपये पर्यावरणीय क्षेतिपूर्ति (Environmental Compensation) जमा करने के निर्देश दिये कि यह राशित निर्णय की तिथि से तीन माह के भीतर प्रतिवादी संख्या–3 उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) के पास जमा की जायेगी। जिसके संबंध में श्री जितेन्द्र वाजवा पुत्र श्री जी0बी0 सिंह निवासी ए–151 डिफेन्स कालौनी मेरठ (उ0प्र0) द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित सिविल मिस रिट याचिका संख्या 11221/2026 जितेन्द्र सिह वाजवा एंड अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व 09 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनॉक 25.03.2026 के कम में याची श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा द्वारा प्रस्तुत प्रत्यावेदन दिनॉक 07.04.2026 का सुनवाई उपरान्त दिनॉक 21.05.2026 को निस्तारित किया गया तथा तहसीलदार मेरठ को मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ द्वारा जारी वसूली प्रमाण–पत्र/आर0सी0 दिनॉक 06–03–2026 में निहित धनराशि की नियमानुसार वसूली सुनिश्चित कराते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को तत्काल अवगत कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया। इस संबंध में श्री जितेन्द्र वाजवा पुत्र श्री जी0बी0 सिंह निवासी ए–151 डिफेन्स कालौनी मेरठ (उ0प्र0) द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सिविल मिस रिट याचिका संख्या 23066/2026 जितेन्द्र सिंह वाजवा, 2–श्री भूपेन्द्र सिंह वाजवा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व 09 अन्य योजित की गयी जिसमें मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनॉक 03–06–2026 द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित सिविल मिस रिट याचिका संख्या 11221/2026 जितेन्द्र सिह वाजवा एंड अन्य बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व 09 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पूर्व में पारित

आदेश दिनॉक 25.03.2026 निरस्त करते हुए जिलाधिकारी मेरठ को सभी पक्षों को कम–से–कम 15 दिन पहले सूचना देते हुए याचिकाकर्ताओं द्वारा अंतिम आपत्तियॉ दर्ज करने की तिथि से एक माह की अवधि के भीतर पूरी करते हुए सुनवाई की तिथि निर्धारित कर निस्तारण कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके कम में याची श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व श्री भूपेन्द्र सिह बाजवा पुत्र श्री जी0बी0सिंह निवासी ए–151 डिफेन्स कालौनी मेरठ को **क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ, प्रतिवादी संख्या–9** ग्रीन वुड सिटी विला जन वेलफेयर सोसायटी ग्रीनवुड सिटी, बिहाइन्ड गाडविन होटल **(अध्यक्ष–श्री रविन्द्र सिह)** एवम् **प्रतिवादी संख्या–10** ग्रीन वुड सिटी रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी **(अध्यक्ष–श्री एस0पी0 सिंह)** द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनॉक 04.05.2026 तथा दिनॉक **06.05.2026 को एक अन्य प्रार्थना–पत्र** प्रस्तुत किया गया तथा उप–निबन्धक **तृतीय मेरठ** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची जिसमें कि गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 के डायेक्टर श्री जितेन्द्र सिह बाजवा द्वारा वर्ष 2023 व वर्ष 2024 में विभिन्न व्यक्तियों को बैनामें किये गयें संबंधी विवरण उपलब्ध कराये गयें है, को उपलब्ध कराते हुए प्रति–आपत्ति दिनॉक 29.06.2026 तक प्रस्तुत करने हेतु प्रस्तुत करने हेतु अपेक्षा की गयी। जिसके कम में श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा द्वारा अपनी प्रति–आपत्ति दिनॉक 29.06.2026 प्रस्तुत की गयी है। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनॉक 03.06.2026 के अनुपालन में याचीगण एवं प्रतिवादीगण के साथ सुनवाई हेतु जिलाधिकारी के समक्ष दिनॉक 16.07.2026 नियत है। सुनवाई उपरान्त समयबद्व रूप से अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करायी जायेंगी।

(iv)– **बिन्दु संख्या–4 में प्रतिवादी संख्या–3 क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड** को निर्देश दिये गये है कि वे प्रतिवादी संख्या–1 गॉडविन कन्स्ट्रक्शन क0 प्रा0लि0 मेरठ के डायेरक्टर श्री जितेन्द्र सिंह व श्री भूपेन्द्र सिंह एवं प्रतिवादी संख्या–2 मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ से परियोजना की लागत सहित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करें। तद्उपरान्त Goel Ganga Developers बनाम Union of India एवं अन्य में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्वातों के अनुसार अंतिम पर्यावणीय क्षतिपूर्ति की गणना करें। पहले से जमा अंतरिम क्षतिपूर्ति की राशि समायोजित करके बाद, शेष पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली प्रतिवादी संख्या–1 गॉडविन कन्स्ट्रक्शन क0 प्रा0लि0 मेरठ के डायेरक्टर श्री जितेन्द्र सिंह व श्री भूपेन्द्र सिंह से कानून के अनुसार की जायें। इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ को निर्देशित किया जाता है कि वह उक्त के संबंध में की गयी कार्यवाही संबंधी अपनी रिपोर्ट दिनॉक 10.07.2026 की प्रातः तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(v)– **बिन्दु संख्या–5 में प्रतिवादी संख्या–1 गॉडविन कन्स्ट्रक्शन क0 प्रा0लि0 मेरठ के डायेरक्टर श्री जितेन्द्र सिंह व श्री भूपेन्द्र सिंह** से प्राप्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की राशि का उपयोग संबंधित क्षेत्र में पहले से क्षतिग्रस्त पर्यावरण के सुधार (Remediation) एवं पुनर्जीवन (Rejuvenation) के लिए किया जायेंगा। यह कार्य पर्यावरण विकास योजना (Environment Development Plan) के अनुसार किया जाएगा, जिसे उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रणबोर्ड (UPPCB) तथा अधोहस्ताक्षरी की संयुक्त समिति द्वारा तैयार किया जायेगा। इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ को निर्देशित किया गया कि वे मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार समुचित कार्यवाही करते हुए अपनी रिपोर्ट/आख्या 02 दिवस के अन्दर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रत्येक दशा में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(vi)– **बिन्दु संख्या–6 में प्रतिवादी संख्या–1 गॉडविन कन्स्ट्रक्शन क0 प्रा0लि0 मेरठ के डायेरक्टर श्री जितेन्द्र सिंह व श्री भूपेन्द्र सिंह** उपर्युक्त किसी भी निर्देश का पालन करने में विफल रहता है, तो प्रतिवादी संख्या–3 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (UPPCB) को यह निर्देश दिये गये थे कि कानून के अनुसार आवश्यक कठोर (दण्डात्मक) कार्यवाही करें, जिसमें आपराधिक कार्यवाही तथा अन्य वैधानिक कार्यवाही शामिल होंगी। इस संबंध में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ को निर्देशित किया गया कि वे मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अपनी रिपोर्ट/आख्या अधोहस्ताक्षरी के समक्ष आगामी 03 दिवस के अन्दर प्रत्येक दशा में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

(vii)– **बिन्दु संख्या–7 में मेरठ विकास प्राधिकरण को** यह निर्देश दिये गये है कि प्रोजेक्ट एरिया में कोई भी सीवरेज जमा न हो और कनेक्टिंग पाईप लाइन को बदल दिया जायें। मेरठ विकास प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि एन0जी0टी0 द्वारा दिये गये आदेश के अनुपालन में उक्त कार्य कराया

जा चुका है। कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा सोसायटी में अन्दर वाला पाईप पीछे रजवाहें में डाला गया है, जिसका कि स्लोप बदलकर ठीक कराया जाना है। जिसके संबंध में उपस्थित आर0डब्लू0ए0 के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि गॉडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा मैनटेनेस वसूला जा रहा है परन्तु उनके द्वारा सोसायटी में मूलभूत सुविधा न दिये जाने के कारण कालोनी वासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है तथा पदाधिकारियों द्वारा मेरठ विकास प्राधिकरण से आवश्यक सहयोग की अपेक्षा की गयी। इस संबंध में सोसायटी के पदाधिकारियों को आश्वस्त किया गया कि उनको मेरठ विकास प्राधिकरण से अपेक्षित सहयोग समय–समय पर प्राप्त करतें रहेंगा।

प्रश्नगत प्रकरण में सुनवाई के दौरान अध्यक्ष एवं सचिव, ग्रीन वुड सिटी रेजीडेन्टस वेलफेयर एसोसिएशन,मेरठ तथा अध्यक्ष एवं सचिव, ग्रीन वुड सिटी विला जन वेलफेयर सोसायटी ग्रीनवुड सिटी बिहाइन्ड गाडविन होटल, मेरठ तथा सचिव, गोल्डन हाईट्स जन कल्याण समिति रजि0, ग्रीनवुड सिटी, एन.एच. 58 बागपत बाईपास रोड मेरठ के अतिरिक्त अन्य कालोनी निवासी उपस्थित हुए। जिनसें मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय नई दिल्ली में सोसायटी के संबंध में यदि कोई अन्य बिन्दु विचारणीय है, तो उसके संबंध में कल दिनॉक 10.07.2026 तक लिखित रूप से अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराये, ताकि उसके संबंध में संबंधित विभागीय अधिकारियों से वार्ता करते हुए निस्तारण सुनिश्चित कराया जा सकें। इसी कम में रेस्पोडेन्ट नं0–1 गॉडविन कन्स्ट्रक्शन क0 प्रा0लि0 मेरठ के डायेरक्टर श्री जितेन्द्र सिंह व श्री भूपेन्द्र सिंह को निर्देशित किया जाता है कि वे अपना पक्ष दिनॉक 16–07–2026 तक प्रत्येक दशा में प्रस्तुत करें।

अन्त में क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पल्लवपुरम मेरठ, एवं अपर नगर आयुक्त नगर निगम मेरठ तथा सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ को निर्देशित किया गया कि वे मा0 एन0जी0टी0 न्यायालय नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनॉक 04.03.2025 के सन्दर्भ में तत्काल उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए अपनी–अपनी रिपोर्ट/आख्या दिनॉक 13.07.2026 तक अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

11.07.2026

(डा0 वी0के0 सिह)
जिलाधिकारी
मेरठ।

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।
(संग्रह अनुभाग)

संख्या 1640/सी0आर0ए0/आर0सी0–प्रथम/2026–27 दिनॉक 11.07.2026

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. उपाध्यक्ष/सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ।
2. नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ।
3. अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) मेरठ।
4. तहसीलदार/उप–जिलाधिकारी, मेरठ को इस निर्देश के साथ कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली को नियत तिथि से पूर्व अवगत कराया जाना सुनिश्चित करें।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पल्लवपुरम मेरठ को उपरोक्तानुसार कार्यवाही हेतु।
6. अध्यक्ष/सचिव, ग्रीन वुड सिटी विला जन वेलफेयर सोसायटी ग्रीनवुड सिटी बिहाइन्ड गाडविन होटल मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अध्यक्ष/सचिव, ग्रीन वुड सिटी रेजीडेन्टस वेलफेयर एसोसिएशन, मेरठ।
8. गॉडविन कन्स्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0 लि0 मेरठ–श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व श्री भूपेन्द्र सिंह बाजवा पुत्र श्री जी0बी0सिह, निवासी ए–151 डिफेन्स कालौनी, मेरठ ।

जिलाधिकारी
मेरठ।

:: बैठक कार्यवृत्त ::

श्री जितेन्द्र वाजवा पुत्र श्री जी0बी0 सिंह निवासी ए–151 डिफेन्स कालौनी मेरठ (उ0प्र0) द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित सिविल मिस रिट याचिका संख्या 23066/2026 जितेन्द्र सिंह बाजवा व 2–श्री भूपेन्द्र सिह बाजवा बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व 09 अन्य में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनॉक 03–06–2026 के अनुपालन के संबंध में दिनॉक 16–07–2026 (गुरूवार) की अपरान्ह 04.00 बजे कलेक्ट्रेट मेरठ स्थित अधोहस्ताक्षरी के कार्यकक्ष में आहूत बैठक में उपस्थित विभागीय अधिकारियों व याची तथा प्रतिवादीगण एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति निम्नवत् है:–

1. श्री कुंवर वीरेन्द्र मौर्य, अपर जिलाधिकारी(वित्त/राजस्व) मेरठ।
2. राजेन्द्र प्रसाद, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पल्लवपुरम मेरठ।
3. श्री अर्पित यादव, अधिशासी अभियन्ता, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ।
4. श्री जितेन्द्र बाजवा, याची–पूर्व निदेशक,गॉडविन कंस्ट्रक्शन क0प्रा0लि0 मेरठ
5. श्री दीपक राज प्रेमी, अधिवक्ता, वादी ग्रीनवुड सिटी विला जन वेलफेयर सोसायटी एंड ग्रीन वुड सिटी विला जन वेलफेयर सोसायटी ग्रीनवुड सिटी बिहाइन्ड गाडविन होटल, मेरठ।
6. श्री एस0पी0सिंह, अध्यक्ष ग्रीन वुड सिटी रेजीडेन्टस वेलफेयर एसोसिएशन,मेरठ।
7. श्री एन0के0 अग्रवाल, अध्यक्ष, गोल्डन हाईट्स जन कल्याण समिति रजि0, ग्रीनवुड सिटी, एन. एच.58 बागपत बाईपास रोड मेरठ।
8. श्री धर्मपाल सिह, श्री ए0के0 गांधी, श्री आर0के0वर्मा, श्री संदीप जिन्दल,श्री ओमकार सिह, श्री हरि सिह,श्री उम्मेद सिंह,श्रीमती उर्मिला चौधरी,श्री शशि कुमार,श्री बृजपाल सिह,श्री महेन्द्र कुमार, व श्री वीरबल सिंह यादव व श्री जे0एस0 चौहान तथा श्री आनन्द कुमार सिंह(गोल्डन हाईटस), बागपत बाईपास रोड, मेरठ।

प्रश्नगत प्रकरण में जिलाधिकारी मेरठ कार्यालय के पत्र संख्या 1367/सी0आर0ए0/आर0सी0–प्रथम/2026–27 दिनाक 12.06.2026 के अर्न्तगत श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा पुत्र श्री जी0बी0सिंह, निवासी ए–151 डिफैन्स कालोनी मेरठ को श्री राजेन्द्र प्रसाद, क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मेरठ के कार्यालय के पत्रॉक 1161/जी/एस.एम.आर.नं0 11221/2026/एमआरटी/2026 दिनॉक 04–05–2026 द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत किया गया तथा प्रतिवादी संख्या–9 ग्रीन वुड सिटी विला जन वेलफेयर सोसायटी ग्रीनवुड सिटी, बिहाइन्ड गाडविन होटल (अध्यक्ष–श्री रविन्द्र सिह) एवम् प्रतिवादी संख्या–10 ग्रीन वुड सिटी रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन के पदाधिकारी (अध्यक्ष–श्री एस0पी0 सिंह) द्वारा अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से अपनी आपत्ति दिनॉक 04.05.2026 प्रस्तुत की गयी। इसके अतिरिक्त दिनॉक 06.05.2026 को एक अन्य प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया तथा उप–निबन्धक तृतीय मेरठ द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूची जिसमें कि गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्रा0लि0 के डायेक्टर श्री जितेन्द्र सिह बाजवा द्वारा वर्ष 2023 व वर्ष 2024 में विभिन्न व्यक्तियों को बैनामें किये गयें संबंधी विवरण–पत्र की सुसंगत प्रति याची श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा को दिनॉक 12–06–2026 को प्राप्त करायी गयी। जिसके कम में याची द्वारा दिनॉक 29.06.2026 को अपना उत्तर प्रस्तुत किया गया। याची श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा द्वारा दाखिल प्रति भी प्रतिवादी संख्या 09 व 10 को दिनॉक 01.07.2026 को उपलब्ध करा दिया गया था। याची श्री जितेन्द्र सिह बाजवा द्वारा उपलब्ध कराये अपने उत्तर में स्वंय स्वीकार किया गया कि उनको प्रतिवादी संख्या 9 व 10 द्वारा प्रस्तुत

आपत्ति की प्रति प्राप्त हो गयी। इस प्रकार प्रकरण में समस्त पक्षकारों को समस्त अभिलेख प्राप्त हो गये है। श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा के द्वारा अधोहस्ताक्षरी के समक्ष दिनॉक 16–07–2026 को उपस्थित होकर कहा गया कि दिनॉक 29.06.2026 को दाखिल जवाब ही मेरा कथन है।

आर0डब्लू0ए0/प्रतिवादी संख्या–9 व 10 के द्वारा दिनॉक 09–07–2026 को श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा द्वारा प्रस्तुत आपत्ति दिनॉक 29.06.2026 पर प्रति–आपत्ति संबंधी समस्त अभिलेख श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा को दिनॉक 16.07.2026 को सुनवाई के दौरान तत्समय उपलब्ध कराये गये। इसके अतिरिक्त दिनॉक 16.07.2026 को आर0डब्लू0ए0/प्रतिवादी संख्या–9 व 10 के प्रतिनिधि द्वारा अतिरिक्त जवाब की प्रति प्रस्तुत की गयी, जिसकी प्रति भी श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा को सुनवाई के दौरान तत्समय उपलब्ध/प्राप्त करायी गयी, जिसकी प्राप्ति पत्रावली पर उपलब्ध है।

प्रश्नगत प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 9 ग्रीन वुड सिटी विला जन वेलफेयर सोसायटी ग्रीनवुड सिटी बिहाइन्ड गाडविन होटल तथा प्रतिवादी संख्या–10 ग्रीन वुड सिटी रेजीडेन्टस वेलफेयर एसोसिएशन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया कि दिनॉक 24–01–2022 के बाद भूपेन्द्र व दिनॉक 10–04–2022 के बाद जितेन्द्र बाजवा डायेक्टर नही रहें। शेष 02 व्यक्ति निदेशक रहें। निदेशक के न रहने के बावजूद भी श्री जितेन्द्र बाजवा द्वारा 04 व श्री भूपेन्द्र बाजवा द्वारा 02 विकेय विलेख कियें गये। श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व श्री भूपेन्द्र सिह बाजवा ने मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकारी के समक्ष कार्यवाही के दौरान यह तथ्य कभी प्रकट नही किया कि वे कमशः 24–01–2022 एवं 10–04–2022 को निदेशक पद से हट गए थें। बल्कि उन्होने जानबुझकर इस तथ्य को छुपाकर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण को 04–03–2025 के अन्तिम निर्णय तक गुमराह किया। उन्होने मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनॉक 04.03.2025 के निर्णय को किसी भी सक्षम न्यायालय में चुनौती नही दी है। गॉडविन कंस्ट्रक्शन कपनी के निदेशक श्री जितेन्द्र बाजवा द्वारा विभिन्न विकय विलेख निष्पादित किये गए है। जिसमें कि दिनॉक 08.06.2022 को गॉडविन कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राईवेट लिमिटेड की ओर से श्रीमती रेखा के पक्ष में फ्लैट संख्या जी–डी–402 चौथी मन्जिल, जी.एच.ग्रीन वुड सिटी ग्राम रामपुर पावटी मेरठ एवं दिनॉक 15.10.2022 को गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड की ओर से श्री वीरेन्द्र सिंह के पक्ष में फ्लैट संख्या एम–18, 2बीएचके, प्रथम मन्जिल, ग्रीन वुड सिटी ग्राम रामपुर पावटी मेरठ के पक्ष में विकय विलेख किये गये।

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 248(7) व 250 तथा 251 में यह प्रावधान है कि कम्पनी के भंग होने की दशा में दायित्व कम्पनी के निदेशकों पर होगा तथा गॉडविन कंस्ट्रक्शन कम्पनी के विघटन के बाद निदेशक होने के कारण कम्पनी एक्ट 2013 की धारा 248(7) व 250 तथा 251 (1) (a) व अन्य सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कम्पनी के दायित्वों का निर्वहन करने से मुक्त नही है। इससे यह साबित करने का भार कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नही है, याची पर है, क्योकि वे अपनी निर्माण कम्पनी के तथाकथित पूर्व निदेशक है। रिकवरी प्रमाण–पत्र और उद्वरण को अवैध नही कहा जा सकता है।

प्रतिवादी संख्या–9 व 10 के विद्वान अधिवक्ता एवं प्रतिवादीगण को भी सुना गया। प्रतिवादी संख्या 9 व 10 के अधिवक्ता जो जवाब प्रस्तुत किये गये,की प्रति याची श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा को सुनवाई के दौरान तत्समय उपलब्ध करा दी गयी। याची ने 10 दिन का समय मांगा है। अतः सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्देश दिया गया कि याची श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा आगामी दिनॉक 23.07.2026 तक अपना लिखित अभिकथन उपलब्ध करा दें। इसके अतिरिक्त यदि अन्य कोई भी पक्षकार अपना तत्थात्मक कथन रखना चाहते है, तो आगामी तिथि 23.07.2026 से पूर्व रख सकते है।

अतः पत्रावली तदनुसार दिनांक 23–07–2026 को पेश हो। सभी सम्बन्धित पक्ष उपरोक्तानुसार निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करें।

18/07/26

(डा0 वी0के0 सिंह)
जिलाधिकारी, मेरठ।

कार्यालय जिलाधिकारी, मेरठ।
(संग्रह अनुभाग)

संख्या 1452 /सी0आर0ए0/आर0सी0–प्रथम/2026–27 दिनॉक 18.07.2026

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. उपाध्यक्ष/सचिव, मेरठ विकास प्राधिकरण मेरठ।
2. नगर आयुक्त/अपर नगर आयुक्त, नगर निगम मेरठ।
3. अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) मेरठ।
4. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड पल्लवपुरम मेरठ।
5. याची श्री जितेन्द्र सिंह बाजवा व श्री भूपेन्द्र सिंह बाजवा पुत्र श्री जी0बी0 सिंह निवासी ए–151 डिफेन्स कालौनी मेरठ।
6. अध्यक्ष/सचिव, ग्रीन वुड सिटी विला जन वेलफेयर सोसायटी ग्रीनवुड सिटी बिहाइन्ड गाडविन होटल मेरठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. अध्यक्ष/सचिव, ग्रीन वुड सिटी रेजीडेन्टस वेलफेयर एसोसिएशन, मेरठ।
8. श्री एन0के0 अग्रवाल, अध्यक्ष, गोल्डन हाईट्स जन कल्याण समिति रजि0, ग्रीनवुड सिटी, एन. एच.58 बागपत बाईपास रोड मेरठ।

18/07/26

जिलाधिकारी
मेरठ।